महिला प्रौढ़ शिक्षा

भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ

श्रीमति फिशर उद्‌घाटनभाषण करते हुए

बदलते हुए सामाजिक ढांचे में
महिला प्रौढ़ शिक्षा

राष्ट्रीय गोष्ठी की कार्रवाई
अक्टूबर 27-30, 1968
नई दिल्ली

भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ
17-बी इन्द्रप्रस्थ मार्ग
नई दिल्ली

प्रकाशक :
भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ,
17-बी, इन्द्रप्रस्थ मार्ग,
नई दिल्ली 110001

प्रकाशन संख्या 100
मूल्य : 6 रुपये
1974

मुद्रक :
आर. के. प्रिंटर्स,
80-डी, कमला नगर,
दिल्ली 110007

भूमिका

1971 के जनगणना के आँकड़ों के अनुसार हमारे देश की जनता में साक्षरता का स्तर बहुत ही निराशाजनक है। पूरे एक दशक में साक्षरता की दर केवल 24·03% से 29·35% हो पाई है। हालाँकि इस दशक में महिलाओं की साक्षरता दर में पहले से अधिक प्रगति हुई है। (1961 में 12·95% से 1971 में 18·45%) और यह प्रगति सम्पूर्ण जनता की साक्षरता प्रगति से अधिक हैं, फिर भी हमारे देश में महिला वर्ग की साक्षरता अभी बहुत ही कम है। इसलिये इस क्षेत्र में साक्षरता प्रसार के लिये विशेष प्रयास की आवश्यकता है।

भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ ने इस समस्या पर विचार करने के लिये यूनेस्को की सहायता से बदलती हुई सामाजिक परिस्थितियों में महिला वर्ग की प्रौढ़ शिक्षा विषय पर नई दिल्ली में अक्टूबर 1968 में एक राष्ट्रीय गोष्ठी की व्यवस्था की। सौभाग्य से डॉ. (श्रीमती) दुर्गाबाई देशमुख ने इस गोष्ठी का निर्देशन स्वीकार किया। आजकल देश में श्रीमती देशमुख जैसे शिक्षाविज्ञ का नेतृत्व मिलना कठिन है। इसके अतिरिक्त भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ के अध्यक्ष डॉ. मोहन सिन्हा मेहता की गोष्ठी में उपस्थिति भी बड़ी प्रेरणादायक तथा मार्गदर्शक रही।

गोष्ठी में उच्चकोटि का विचार विनिमय हुआ। वर्गों में जो कार्रवाई हुई, उनका विवरण बड़ा उपयोगी तथा अनुभवपूर्ण रहा। इनके आधार पर गोष्ठी द्वारा दिये गये कुछ सुझावों तथा निर्णयों का प्रतिपादन सरलता से किया जा सका।

गोष्ठी की कार्रवाई के विवरण को इस पुस्तक के रूप में हमें देश के शिक्षाविज्ञों तथा प्रौढ़ शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञों और कार्यकर्ताओं के समक्ष प्रस्तुत करने में बड़ा हर्ष हो रहा है। हमें आशा है कि सभी पाठक इसे पढ़ने में रुचि लेंगे तथा प्रौढ़ महिलाओं में साक्षरता प्रसार कार्य की आवश्यकता के बारे में जनमत बनाने में सहायता करेंगे। साथ ही साक्षरता प्रसार का कार्य करने के लिये संस्थाओं का निर्माण करने में सफल होंगे।

हम यूनेस्को के आभारी हैं कि उन्होंने हमें इस गोष्ठी के आयोजन में आर्थिक सहायता दी। केन्द्रीय शिक्षा तथा समाज सेवा मंत्रालय के हम आभारी हैं कि उन्होंने हमें प्रस्तुत पुस्तक के प्रकाशन के लिये अनुदान दिया।

शफीक स्मारक,
17-बी, इन्द्रप्रस्थ मार्ग,
नई दिल्ली-1

एस. सी. दत्ता
अवैतनिक महामंत्री
4 जून, 1973

विषय-सूची

1. परिचय ... 1
2. गोष्ठी द्वारा पारित प्रस्ताव ... 5
3. सुझाव ... 7
4. निर्णय ... 9
5. विषय विचार पत्र ... 12
6. उद्घाटन भाषण—डा. (श्रीमती) वैल्दी एच. फिशर ... 25
7. वर्गों में विचार विनिमय की कार्रवाई का विवरण ... 33
8. गोष्ठी में विचारणीय विषय सम्बन्धी प्रस्तुत लेख पत्र ... 65
   I. महिला वर्ग के लिए साक्षरता का स्तर ... 66
   II. महिला वर्ग के लिए साक्षरता का स्तर ... 74
   III. महिला वर्ग में साक्षरता प्रसार कार्य व्यवस्था तथा अधूरी पढ़ाई छोड़कर बैठे रहने वालों की समस्यायें ... 79
   IV. महिला वर्ग की व्यावहारिक साक्षरता का पाठ्यक्रम ... 86
   V. प्रौढ़ महिला वर्ग की शिक्षा के लिए उपयुक्त संस्थाएँ ... 92
9. संदेश ... 94

1
परिचय

"परिवर्तनशील समाज में महिला वर्ग की प्रौढ़ शिक्षा" विषय पर राष्ट्रीय गोष्ठी का चार दिवसीय अधिवेशन नई दिल्ली में 27 अक्टूबर, 1968 को आरम्भ हुआ। सामाजिक विकास परिषद; नई दिल्ली की अवैतनिक निदेशक, डाक्टर (श्रीमती) दुर्गाबाई देशमुख, इस गोष्ठी की अध्यक्ष थीं।

यह गोष्ठी भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ, नई दिल्ली के तत्वाधान में हुई। यूनेस्को ने इस सम्मेलन के लिये आर्थिक सहायता दी थी।

उद्घाटन :

"साक्षरता निकेतन", लखनऊ की संस्थापक तथा भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ द्वारा प्रचलित 'नेहरू साक्षरता पुरस्कार", 1968 की विजेता डा. (श्रीमती) वैलदी एच. फिशर, ने इस गोष्ठी का उद्घाटन किया। अपने उद्घाटन भाषण में श्रीमती फिशर ने कहा कि भारत की अधिकांश प्रौढ़ महिलाएँ आज भी ऐसे समाज में रहती हैं, जिस पर वर्तमान तकनीकी कला विज्ञान का कोई प्रभाव नहीं हुआ है। जीवन को सुखमय बनाने के लिये तकनीक की नई जानकारी तथा उसके आधार पर बने श्रम रहित सुख के साधनों को सारे संसार के नगरों में रहने वाली जनता ने अपना लिया है, परन्तु भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों पर इन नये साधनों का कोई प्रभाव दिखाई नहीं पड़ता।

श्रीमति फिशर ने भारतीय महिलाओं के 90% वर्ग का उल्लेख करते हुए कहा कि महिला जन संख्या का इतना बड़ा अर्थात 90% भाग

जिस भाषा को बोलता है, उसे न पढ़ सकता है और न लिख सकता है और न ही उनको इस ज्ञान की प्राप्ति के कोई सुगम साधन उपलब्ध हैं। उन्होंने जन शिक्षा में रुचि रखने वाले सभी लोगों से आग्रह किया कि हमें इतने बड़े समूह की दिन प्रतिदिन की समस्याओं को समझना चाहिये, और उन्हें प्रौढ़-शिक्षा की सुविधाएँ उपलब्ध करानी चाहियें। इससे उनमें आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास पैदा होगा। उन्होंने कहा कि बिना साक्षरता ज्ञान के उनमें यह गुण सफल रूप से जागृत नहीं हो सकता।

श्रीमती फिशर ने बताया कि यदि भारत वर्ष में प्रौढ़ शिक्षा को प्रभावशाली और उपयोगी बनाना है, तो उसे आर्थिक विकास के कार्यों से सम्बद्ध करना होगा। महिला वर्ग में प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार बड़ी तीव्र गति से करना होगा, ताकि शिक्षित वर्ग से उनका तालमेल भली प्रकार बैठ सके और उन्हें शिक्षित वर्ग से बात चीत तथा विचार-विनमय करने में झिझक न हो।

डा. फिशर ने कहा कि ग्रामीण महिलाएँ पढ़ाई करने के लिये तैयार हैं। हमें उन्हें वह ज्ञान देना होगा, जो वे चाहती हैं, उपयोगी समझती हैं, वह नहीं जो हम समझते हैं, कि वे चाहती हैं या उन्हें चाहिये। श्रीमती फिशर नें आशा प्रगट की कि भारतवर्ष सारे संसार के सामने नागरिक विकास का एक ऐसा प्रेरणादायक उदाहरण (नमूना) प्रस्तुत करेगा जिसमें नये और पुराने नैतिक मूल्यों के बीच पूर्ण और टिकाऊ सामंजस्य होगा।

श्रीमती फिशर ने कहा कि भविष्य के नागरिकों के निर्माण में महिलाओं को क्रियात्मक योगदान देना होगा। इसके लिये उन्हें शिक्षा द्वारा अपने सामाजिक तथा बौद्धिक ज्ञान को बढ़ाना होगा। समझदार-महिलाओं को चाहिये कि वे अपनी बहनों को शिक्षित बनावें ताकि वे एक ऐसा शिक्षित परिवार बना सकें जिसमें यथा आवश्यकता सबको भोजन मिले। उन्हें इस बात की समझ आ जाये कि छोटा परिवार ही सुखी परिवार होता है। अन्त में श्रोमति फिशर ने कहा कि महिलाओं को अपने विकास के साथ-साथ सारे समुदाय का विकास करने के लिये समर्थ होना चाहिये।

श्रीमती फिशर से पहिले, भूतपूर्व उपकुलपति, राजस्थान विश्व-विद्यालय, तथा भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ के प्रधान, डाक्टर श्री मोहन सिंहा मेहता, नें कहा कि महिला वर्ग की शिक्षा बहुत पिछड़ गई है। देश की प्रगति के लिये यह आवश्यक है कि महिला-वर्ग में शिक्षा प्रसार के लिये विशेष परिश्रम किया जाये।

गोष्ठी की निदेशक, श्रीमती डा. दुर्गाबाई देशमुख ने आशा प्रगट की कि गोष्ठी में अनुभवपूर्ण विचार विनिमय के परिणामस्वरूप भारतीय महिला वर्ग की शिक्षा के लिये एक व्यवहारयुक्त तथा उपयोगी कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई जा सकेगी। जनव्यापी निरक्षरता समाज का भीतरी शत्रु है। प्रौढ़ महिला वर्ग की शिक्षा की समस्या को राष्ट्रीय स्तर के आधार पर सुलझाना होगा क्योंकि भारतीय महिलाएँ राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं।

गाँधी शताब्दी वर्ष में शिक्षकों तथा विद्यार्थियों द्वारा निरक्षरता उन्मूलन के लिये किये गये प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों द्वारा निरक्षरता उन्मूलन कार्यों के लिये राष्ट्रीय सेवा योजना के अर्न्तगत दी गई एक करोड़ को धनराशि का उचित उपयोग किया जायेगा।

विचार-विनिमय :

गोष्ठी में महिलाओं के लिये परिवर्तनशील समाज में अपना सक्रिय योगदान देने की सामर्थ्य पैदा करने के लिये किस स्तर के साक्षरता ज्ञान की आवश्यकता है, इस पर विचार किया गया। ऐसे साक्षरता ज्ञान प्रसार में क्या बाधाएं उपस्थित होती हैं और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है, इसका भी अध्ययन किया गया। इस अध्ययन और विचार-विनिमय के आधार पर गोष्ठी ने महिला वर्ग की साक्षरता के पाठ्यक्रम तथा उसके संचालन की उपयुक्त व्यवस्था के बारे में सुझाव दिये।

गोष्ठी में 15 राज्यों तथा केन्द्रीय प्रशासित भागों के 65 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यूनेस्को का प्रतिनिधित्व श्री. के. मिलिनकोविक, प्रौढ़ शिक्षा विशेषज्ञ, यूनेस्को ने किया।

वर्ग अध्यक्ष :

प्रतिनिधियों को विचार-विनिमय की व्यापकता तथा सुगमता के लिये चार वर्गों में बांटा गया। प्रत्येक वर्ग का एक अध्यक्ष था और एक कार्रवाई लेखक। वर्गाध्यक्ष थे:—(1) डा. (कु) सरोजनी वार्ष्णेय, बनारस विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग की कार्यवाहक डीन। (2) श्रीमती सी. के. डांडिया, निदेशक विस्तार सेवा विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, (3) डा. (श्रीमती) हैलन बट्ट, साक्षरता सलाहकार, नीलोखेड़ी तथा (4) श्रीमती सारदा सर्वा, प्रिन्सिपल, आर्ट्स व साइन्स कालिज, विद्यानगर, हैदराबाद।

वर्ग कार्रवाई लेखक थे:—(1) श्रीमती सुनन्दा मैत्रा, बंगाल सोशल सर्विस लीग, कलकत्ता, (2) कुमारी संतोष चौपड़ा, प्रिन्सिपल, राजकीय महिला चल जनता कालिज, नई दिल्ली, (3) श्रीमती सूसी कोशी, गृह अर्थशास्त्री, भारतीय कृषि अनुसन्धानशाला, नई दिल्ली तथा (4) श्रीमती एम. के. मुकर्जी, सहायक शिक्षा निदेशक (ए. एन. पी.) एपलाइड न्यूट्रीशन प्रोग्राम, राजस्थान सरकार, जयपुर।

वर्गों के विचार-विनिमय के अतिरिक्त डा. (श्रीमती) फुलरेणू गूहा, केन्द्रीय राज्य मंत्री, समाज कल्याण, डा. सुशीला नायर, भूतपूर्व केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री, कुमारी शान्ता वशिष्ट, एम. पी.; श्रीमती ईला पाल चौधरी, एम. पी.; तथा श्रीमती रक्षा सरन, भूतपूर्व अध्यक्ष, अखिल भारतीय महिला परिषद, जैसे अनुभवी प्रौढ़ शिक्षाविज्ञों ने विषय के भिन्न-भिन्न पहलुओं पर प्रतिनिधियों के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत किये।

सभी प्रतिनिधि एक साथ भारत स्काउट्स और गाइड्स के राष्ट्रीय कार्यालय, नई दिल्ली के विश्राम भवन में ठहरे। गोष्ठियाँ भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ, नई दिल्ली के कार्यालय में हुईं। 27 और 28 अक्टूबर को दर्शनीय स्थानों का भ्रमण किया गया।

भारत के राष्ट्रपति, डा. ज़ाकिर हुसैन तथा दिल्ली के महापौर ने प्रतिनिधियों के सम्मान में भोज दिये।

समापन समारोह :

30 अक्टूबर को डा. (कुमारी) सरोजनी महीषी, प्रधान मंत्री से सम्बद्ध उपमंत्री, केन्द्रीय सरकार ने समापन समारोह में प्रतिनिधियों के समक्ष भाषण दिया। उन्होंने कहा कि बदलते हुए सामाजिक वातावरण में निरक्षरता समाज के माथे पर कलंक है। इसे दूर करने का भरसक प्रयत्न करना आवश्यक है।

डा. महीषी ने कहा कि राष्ट्र की प्रगति को बढ़ावा देने के लिये हम जितनी जल्दी निरक्षरता को दूर कर सकें, उतना ही उपयोगी होगा। साक्षरता ज्ञान तथा उसके द्वारा मिलने वाली जानकारी के आधार पर ही पुरुष तथा स्त्री प्रजातंत्रीय संस्थाओं तथा कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान देने में समर्थ हो सकते हैं। जिसके द्वारा आने वाले भविष्य में राष्ट्र का भाग्य निर्धारित होगा।

2

गोष्ठी द्वारा पारित प्रस्ताव

(1) गोष्ठी के सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता हुई कि केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार समिति ने, नई दिल्ली में हुए, अपने 34वें अधिवेशन में, 11 और 12 अक्टूबर 1968, को (प्रस्ताव सं० 26 द्वारा) राज्यों के शिक्षा मंत्रियों को परामर्श दिया है कि गाँधी शताब्दी वर्ष में निरक्षरता उन्मूलन कार्य को एक आन्दोलन रूप दिया जाये।

गोष्ठी भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ तथा उससे सम्बन्धित व प्रमाणित सभी संस्थाओं से और इनके अतिरिक्त और भी ऐच्छिक संस्थाओं से अनुरोध करती है, कि वे उपरोक्त प्रस्ताव को कार्य रूप देने में पूरा प्रयत्न करें। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों से भी गोष्ठी अनुरोध करती है, कि वे निरक्षरता उन्मूलनार्थ बनाये गये कार्यक्रमों को कार्यरूप देने के लिये एच्छिक संस्थाओं का सहयोग लें और केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार समिति के प्रस्ताव को कार्यरूप देने के साधन उन्हें उपलब्ध करें।

(2) राष्ट्रीय गोष्ठी के सदस्यों को यह जानकर संतोष है, कि किसानों की व्यावहारिक (व्यवसायोपयोगी) साक्षरता का एक मिला-जुला कार्यक्रम केन्द्रीय खाद्य व कृषि, शिक्षा तथा सूचना व प्रसार मंत्रालयों द्वारा सम्मिलित रूप से चलाया जा रहा है। यह कार्यक्रम अभी केवल 10 राज्यों में आरम्भ हुआ है।

इस कार्यक्रम का लक्ष्य किसानों को कृषि की उपज बढ़ाने के लिये कृषि के नये यंत्रों, साधनों और तरीकों की जानकारी देना है। इस कार्य की सफलता के लिये पढ़ाई लिखाई का जो ज्ञान आवश्यक है, वह व्यावहारिक साक्षरता की कक्षाओं में किसानों को दिया जायेगा।

साक्षरता ज्ञान को आर्थिक विकास से जोड़ने का यह कार्यक्रम निस्सन्देह बड़ा उपयोगी होगा। इसकी सम्भावनाएं अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। इसलिये यह संघ केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित करना चाहता है कि अभी तक जो क्षेत्र लिया गया है, वह बहुत सीमित है। इस क्षेत्र में भी कृषक महिलाओं को भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित करने की अत्याधिक आवश्यकता है। पुरुषों और महिलाओं के लिये साथ साथ किये गये जागृति प्रयासों से ही योजना का महान लक्ष्य प्राप्त हो सकता है।

इसलिये गोष्ठी के सदस्य केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों से अनुरोध करते हैं कि देश में प्रौढ़ शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाली अनेक ऐच्छिक संस्थाओं की सेवाओं तथा अनुभवों से लाभ उठाने के लिये इस योजना का विस्तार करें। विशेषकर भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ को दस कार्यक्रमों का उत्तरदायित्व दें ताकि संघ अपनी प्रमाणित संस्थाओं द्वारा उनको कार्य रूप दे सके।

(3) इस गोष्ठी के सभी सदस्य केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा परिषद से अनुरोध करते हैं कि छोटे और कुटीर उद्योगों में काम करने वाली सभी महिला श्रमिकों की शिक्षा का प्रबन्ध परिषद करे। अभी तक परिषद ने केवल पुरुष श्रमिकों की शिक्षा का प्रबन्ध किया है, जो अभी संतोष जनक और काफी नहीं है। गोष्ठी के सदस्य परिषद से अनुरोध करते हैं कि वह सभी उद्योगों के प्रबन्धकों को बतावें कि महिला श्रमिकों की शिक्षा मालिकों के अपने श्रमिकों के प्रति उत्तरदायित्वों का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके प्रसार के लिये उन सबको क्षेत्रीय एच्छिक संस्थाओं से सहयोग प्राप्त करना चाहिये।

(4) केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा आयोग की सिफारिशों के अनुसार विश्वविद्यालयी छात्रों के लिये राष्ट्रीय सेवा योजना का कार्यक्रम स्वीकार कर लिया है, गोष्ठी के सदस्यों को यह जानकर सन्तोष है कि मंत्रालय ने निरक्षरता उन्मूलन को राष्ट्रीय सेवा योजना कार्य का एक महत्वपूर्ण अंग माना है।

इसलिये गोष्ठी के सदस्य केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरोध करते हैं, कि वे इस योजना को सफल कार्य रूप देने के लिये सुव्यवस्थित प्रौढ़ शिक्षण संस्थाओं का सहयोग लें तथा भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ ऐसी संस्थाओं के कार्य में एकीकरण उपस्थित करे।

3
सुझाव

1. साक्षरता प्रसार के सभी कार्यक्रमों का लक्ष्य व्यवहारोपयोगी (व्यवसायोपयोगी) साक्षरता होना चाहिये। इसके द्वारा शिक्षार्थियों में केवल पढ़ने लिखने की सामर्थ्य ही नहीं, बल्कि इसके साथ-साथ दैनिक जीवन की सभी निजी समस्याओं का समाधान करने की योग्यता आ जानी चाहिये। महिला वर्ग के लिये व्यवहारोपयोगी साक्षरता के पाठ्यक्रम में गृह प्रबन्ध, शिशु पालन, परिवार नियोजन, शिल्प कला, स्वास्थ्य और सफाई, पोषण विज्ञान तथा नागरिकता जैसे विषयों के शिक्षण का समावेश अवश्य होना चाहिये।

2. विचार-विनिमय के आधार पर गोष्ठी का मत है कि महिला वर्ग में साक्षरता प्रसार के मार्ग में सीखने की इच्छा तथा प्रेरणा का अभाव, शिक्षा के प्रति परिवार की उदासीनता, प्रौढ़ शिक्षा कार्य के लिये प्रशिक्षित तथा योग्य शिक्षकों की कमी, साक्षरता तथा उत्तर साक्षरता कार्य के लिये उपयुक्त पाठ्य सामग्री का अभाव, तथा शिक्षा प्राप्ति से आर्थिक लाभ की अनुपलब्धी जैसी बड़ी बाधाएँ हैं। इसलिये गोष्ठी का सुझाव है कि महिला वर्ग की साक्षरता के किसी भी कार्यक्रम को आरम्भ करने से पहिले इन बाधाओं के समाधान पर विशेषकर शिक्षा प्राप्ति के फलस्वरूप आर्थिक लाभ की उपलब्धि पर विशेष विचार करना चाहिये।

3. गोष्ठी के सदस्यों का मत है कि महिला वर्ग की साक्षरता के पाठ्यक्रम का आधार किसी समाज में महिलाओं का घरेलू तथा सार्वजनिक कार्यों में योगदान होना चाहिये। व्यावहारिक साक्षरता का पाठ्यक्रम बनाते समय महिलाओं के ग्रामीण तथा नगरीय वर्गों के लिये उनकी भिन्न-भिन्न जरूरतों को ध्यान में रखना जरूरी है।

4. गोष्ठी के मतानुसार सामाजिक परिवर्तनों के युग में महिला वर्ग में प्रौढ़ शिक्षा का कार्य एक ही प्रकार की संस्थाओं को सोंप देना उचित नहीं है। सरकारी तथा ऐच्छिक संस्थाओं के कार्य में भली प्रकार सामंजस्य होना चाहिये ताकि दोनों प्रकार की संस्थाएँ एक ही कार्य को न करती रहें। ऐच्छिक संस्थाओं को केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों के विभिन्न विभागों द्वारा स्वीकृत योजनाओं की संचालन व्यवस्था का उत्तरदायित्व सौंप देना चाहिये।

5. गोष्ठी का सुझाव है कि 1968—69 के वर्ष को जो देश भर में गान्धी शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, विशेषकर निरक्षरता उन्मूलन का वर्ष मनाया जाये। इस संबन्ध में कार्यक्रम की रूपरेखा भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ बनाये।

4

निर्णय

(1) गोष्ठी का मत था कि महिला वर्ग के लिये साक्षरता के कार्य-क्रम को दो भागों में बाँटा जाये :—

(i) प्रारम्भिक साक्षरता पाठ्यक्रम ।

(ii) व्यावहारिक साक्षरता पाठ्यक्रम ।

प्रारम्भिक साक्षरता कार्यक्रम का लक्ष्य महिला शिक्षार्थियों में पढ़ने, लिखने तथा सामान्य तौर पर हिसाब करने की योग्यता पैदा करना होना चाहिये । इस कार्यक्रम का समय क्षेत्रीय वातावरण तथा आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न-भिन्न हो सकता है ।

गोष्ठी के मतानुसार महिला साक्षरता कार्यक्रम आरम्भ करने से पहले महिलाओं में साक्षरता के प्रति रुचि का जागृत करना आवश्यक है । साक्षरता ज्ञान की आवश्यकता तथा उसके उपयोग और लाभ की जानकारी उन्हें प्रेरणादायक भाषण मालाओं, प्रदर्शिनियों तथा दृश्यश्रव्य साधनों द्वारा दी जानी चाहिये । इस प्रकार उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा ।

प्रारम्भिक साक्षरता के पश्चात् उत्तर साक्षरता कार्यक्रम के रूप में व्यवहारोपयोगी साक्षरता का पाठ्यक्रम चलाना चाहिये । व्यावहारिक साक्षरता का पाठ्यक्रम उन्हें अपनी निजी समस्याओं को समझने और सुलझाने की योग्यता देगा और वे समाज के सभी कार्यों में उपयोगी तथा सक्रीय योगदान दे सकेंगी ।

व्यावहारिक साक्षरता का कार्यक्रम ग्रामीण तथा नगरीय महिला वर्गों के लिये भिन्न-भिन्न होगा । ग्रामीण महिलाओं के लिये इसका मुख्य

आधार कृषि ज्ञान होना चाहिये और नगरीय महिलाओं के लिये कुटीर उद्योगों की जानकारी पर विशेष बल दिया जाना चाहिये। हर दशा में उद्देश्य यही होना चाहिये कि साक्षरता प्राप्ति के फलस्वरूप शिक्षार्थियों को कुछ आर्थिक लाभ अवश्य हो जाये।

इसके अतिरिक्त ग्रामीण तथा नगरीय महिला वर्गों दोनों को गृह-विज्ञान, शिशुपालन, परिवार नियोजन तथा स्वास्थ्य और सफाई ज्ञान का प्रशिक्षण अवश्य मिलना चाहिये।

गोष्ठी के सदस्यों ने यह स्वीकार किया कि महिला वर्ग में साक्षरता प्रसार की व्यवस्था के मार्ग की मुख्य बाधाएँ प्रशिक्षित एवम् सुयोग्य शिक्षकों का अभाव तथा अन्य सामाजिक, आर्थिक और क्षेत्रीय परिस्थितियाँ हैं। अधूरी पढ़ाई छोड़कर बैठ रहने के कारणों में मुख्यतया शिक्षण समंय तथा स्थान की अनुपयुक्तता, पाठ्य विषय तथा शिक्षण पद्धत्ति की महिला वर्ग की रूचियों से असम्बद्धता और आर्थिक लाभ के आकर्षणों का अभाव है। इसलिये गोष्ठी के विचार में यदि महिलाओं को पढ़ाई पूरी करने की प्रेरणा देनी है तो उन्हें साक्षरता प्राप्ति के फलस्वरूप आर्थिक लाभ की प्राप्ति का विश्वास हो जाना चाहिये। ऐसा हो जाने पर ही पढ़ाई अधूरी छोड़ कर बैठ रहने वालों की संख्या घट सकती है। इसके अतिरिक्त प्रौढ़ साक्षरता के शिक्षकों को भली प्रकार प्रशिक्षित किया जाना चाहिये तथा शिक्षण पद्धति को श्रव्य-दृश्य साधनों की सहायता से अधिक रोचक बनाना होगा। शिक्षण समय तथा स्थान शिक्षार्थियों की सुविधा के अनुसार निश्चित किया जाना चाहिये।

गोष्ठी के सदस्यों ने यह भी माना कि महिला वर्ग के लिये साक्षरता का पाठ्यक्रम बनाते समय महिलाओं के पारिवारिक तथा सामाजिक उत्तरदायित्वों को अवश्य ध्यान में रखना चाहिये। पाठ्य विषय ऐसे होने चाहिये कि उनकी जानकारी से शिक्षार्थियों में बदलते हुए सामाजिक मूल्यों तथा वातावरण में सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता आ जाये और वे निजी जीवन को अधिक सुखपूर्ण तथा उपयोगी बना सकें। पढ़ाई, लिखाई तथा गणित ज्ञान के शिक्षण के अतिरिक्त साक्षरता पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषयों का शिक्षण भी शामिल होना चाहिये :—

(i) स्वास्थ्य, पोषण तथा परिवार नियोजन

(ii) नागरिकता ज्ञान

(iii) शिल्प कला

(iv) मनोरंजन

(v) लघु कुटीर उद्योग प्रशिक्षण (पारिवारिक आय वृद्धि के लिये)

साक्षरता पाठ्यक्रम बनाते समय तथा कार्यक्रम की व्यवस्था करते समय ग्रामीण तथा नगरीय महिलाओं के उत्तरदायित्वों की भिन्नता का ध्यान अवश्य रखना होगा। ग्रामीण महिलाओं के लिये पाठ्यक्रम का आधार कृषि ज्ञान होना चाहिये।

गोष्ठी को विचार-विनिमय के आधार पर विदित हुआ कि प्रौढ़ साक्षरता के क्षेत्र में सरकारी, ऐच्छिक तथा स्वतंत्र प्रकार की अनेक संस्थाएँ कार्य कर रही हैं। विभिन्न संस्थाओं के कार्य कभी-कभी एक समान होते हैं और व्यर्थ में ही उनके कार्यों में दोहराव उपस्थित रहता है। इसलिये किसी एक ऐसी संस्था की आवश्यकता है, जो भिन्न-भिन्न संस्थाओं के कार्यक्रमों के दोहराव को मिटाकर उनमें एकीकरण कर सके।

इसलिये गोष्ठी का मत था कि केन्द्रीय समाज कल्याण परिषद की तरह ही केन्द्रीय स्तर पर एक सशक्त केन्द्रीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद होनी चाहिये। यह परिषद क्षेत्र में कार्य करने वाली विभिन्न संस्थाओं के कार्यों में सामंजस्य तथा समन्वय स्थापित करेगी और प्रौढ़ शिक्षा क्षेत्र की सुव्यवस्थित ऐच्छिक संस्थाओं को कार्य संचालन के लिये उपयुक्त अनुदान भी देगी।

5

विषय विचार पत्र

वर्तमान युग वैज्ञानिक तथा तकनीकी प्रगतियों का युग है। इस बदलते युग के अनुकूल ही सामाजिक व्यवहारों तथा सामाजिक उत्तर-दायित्वों में परिवर्तन तथा प्रगति होना अनिवार्य है। सभी स्थानों पर जीवन में किसी न किसी अंश तक नगरीय प्रभाव स्पष्ट विद्यमान हैं। नगरों से दूर-दूर के भीतरी क्षेत्र भी, जहाँ शताब्दियों से मानव जीवन में कोई प्रभावपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ था, अब सड़कों, रेलों, समुद्री तथा हवाई जहाजों के द्वारा यातायात से तथा दूरभाष, दूरदर्शन, समाचार पत्र और चित्रपट के प्रभाव से नगरीय जीवन का कुछ न कुछ प्रभाव अनुभव कर रहे हैं।

जब कभी कोई समाज अपनी प्रगति के लिये ऐसी नई आवश्यकताओं का अनुभव करता है, जिन से सामंजस्य स्थापित करने के लिये उसके सदस्यों अर्थात् जनसाधारण को नई बौद्धिक विचार धाराओं, नये ज्ञान और नये व्यवहार की जरूरत पड़े, तो उसे अपने पुरुषों और महिलाओं को बार-बार उसी तत्परत के साथ शिक्षित और फिर प्रशिक्षित करना चाहिये जैसे कि वह बालकों को करता है। शिक्षा का अभिप्राय व्यक्तित्व विकास के अवसर उपलब्ध कराना तथा सामाजिक जीवन में सफल और क्रियाशील योगदान देने की क्षमता देना है। शिक्षा केवल विद्यालय में भर्ती हो जाना नहीं है, इससे बहुत अधिक है। इस का अर्थात् शिक्षा का सामंजस्य शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत जीवन की आवश्यकताओं तथा उन्हें भविष्य में समाज में अपना उत्तरदायित्व पूरा करने की क्षमताओं से अवश्य होना चाहिये।

इस लक्ष्य की पूर्ति के लिये हमें महिलाओं की शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर, अर्थात् उसे व्यक्तिगत रूप से, एक गृहिणी के नाते, माता के नाते और एक नागरिक के नाते, जिन विभिन्न क्रियात्मक योग्यताओं, प्रवृत्तियों और प्रबन्ध तथा शासन दक्षताओं की आवश्यकता पड़ेगी, उन पर पूरा ध्यान देना होगा। निरक्षर महिलाओं में इनमें से किसी भी योग्यता का संतोषजनक अंश तक होना सम्भव नहीं है।

महिलाओं ने अनेक क्षेत्रों में बहुत सराहनीय कार्य किया है। वर्तमान तकनीकी प्रगति का एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव यह हुआ है कि इसके फल-स्वरूप पुरुषों तथा महिलाओं दोनों के लिये ही अनेक कार्यक्रमों का द्वार खुल गया है। बहुत सारे सामाजिक उत्तरदायित्व अब पुरुषों से बदल कर महिलाओं पर और महिलाओं से बदल कर पुरुषों पर चले गये हैं।

हम सामाजिक जीवन में महिलाओं का अधिक से अधिक योगदान तथा उनको व्यक्तिगत विकास के अधिक से अधिक अवसर और साधन तो देना उचित समझते हैं परन्तु ऐसा करने में वे पुरुषों की नकल कर करके अपने स्त्रीत्व के गुण और मूल्य ही खो कर मानव जीवन को नीरस बना दें, ऐसा उचित नहीं समझते। उचित यह है कि वे महिला (स्त्री) रूप में ही पुरुष के सहयोगी के रूप में मानव जीवन की हर प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग दें।

वर्तमान युग में आज की नई महिला को एक विस्तृत संसार में रहना सीखना है। उसकी दुनिया अब छोटी सी व सीमित नहीं हैं। उसको अब अपने पुरखों की दुनिया व उसकी सीमा से बहुत आगे बढ़ कर ज्ञान खोजना है, बुद्धि लगानी है और दूसरों के अनुभवों को जानना समझना है। वर्तमान यातायात तथा संचार के साधनों ने हम सब को एक दूसरे का पड़ोसी बना दिया है और यह सभी जानते हैं कि पड़ौस में रह कर अच्छे पड़ोसी बन कर मित्रवत रहना ही सर्वश्रेष्ठ है। इस युग की हमारी सारी नई आवश्यकताओं की पूर्ति का, चाहे वह सामाजिक हों अथवा आर्थिक, चाहे विचार धाराओं सम्बन्धी हों, चाहे व्यवहार अथवा कला व ज्ञान सम्बन्धी, सब का एक मात्र उपाय है शिक्षा का व्यापक प्रसार। शिक्षा ही सारी प्रगति और सहअस्तित्व का आधार है। सारे पुरुषों, स्त्रियों तथा बालकों की शिक्षा को ही राष्ट्र प्रगति की योजनाओं में प्रथम स्थान मिलना चाहिये। कोई भी राष्ट्र प्रगति के स्वप्न नहीं देख सकता जब तक वह सभी जनसाधारण के लिये सार्वजनिक शिक्षा के साधनों को अनिवार्य प्राथमिकता नहीं देता।

हर्ष का विषय है कि हमारे उप प्रधान मंत्री ने हाल में ही एक जन समूह में बोलते हुए घोषणा की है कि वह महिलाओं की शिक्षा को प्राथमिकता देना स्वीकार करेंगे। एक महिला को शिक्षित कर देने का अर्थ एक परिवार को शिक्षित करना है, इसलिये महिलाओं की शिक्षा समाज की उच्च प्राथमिकता की आवश्यकता है।

साक्षरता के सम्बन्ध में 1961 की जनगणना का परिणाम बहुत ही निराशापूर्ण है। भारत में साक्षरता की दर बड़ी धीमी गति से 1901 में 7% से 1961 में 24% तक पहुँची है। 15 से 44 वर्ष के आयु वर्ग में ही जिसमें भारत की सम्पूर्ण क्रियाशील जनशक्ति आती है, 18·8 करोड़ में से 13·3 करोड़ निरक्षर हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में निरक्षरों की संख्या 78% (पुरुष 66% और महिला 90%) है। नगरीय क्षेत्रों में यह संख्या 47% (पुरुष 43% और महिला 60%) है। साक्षरता की प्रगति दर जनसंख्या वृद्धि दर से बहुत कम रही है, इसलिये आज की दशा तो और भी अधिक चिन्ताजनक होगी। इस से स्पष्ट है कि ग्रामीण तथा नगरीय दोनों ही क्षेत्रों में महिलाएँ बहुत बड़ी संख्या में निरक्षर हैं। और इस समस्या का समाधान तब ही सम्भव है, जब महिलाओं में साक्षरता प्रसार का कार्य बड़े व्यापक रूप में चलाया जाये। जब तक ऐसा न होगा, प्रगति हम से कोसों दूर रहेगी और हमें उसका मुँह देखना नसीब न होगा।

यूनेस्को की सहायता और सहयोग से भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ ने "बदलती हुई सामाजिक परिस्थितियों में महिला वर्ग की प्रौढ़ शिक्षा", विषय पर राष्ट्रीय गोष्ठी इसी समस्या के अध्ययन के लिये आयोजित की है। इस विषय के निम्नलिखित चार पक्षों पर गोष्ठी में विस्तृत विचार किया जायेगा :—

(i) महिलाओं को समाज में अपना दायित्व भली प्रकार निभाने की योग्यता देने के लिये किस स्तर की साक्षरता देनी चाहिये। साक्षरता का स्तर क्या होगा ?

(ii) महिलाओं के लिये साक्षरता प्रसार कार्यक्रम की व्यवस्था तथा संचालन में क्या बाधाएँ हैं ? अधूरी पढ़ाई छोड़ कर बैठ रहने के क्या कारण हैं ? और उनको दूर करने के लिये क्या किया जाये ?

(iii) महिलाओं की साक्षरता के पाठ्य विषय तथा पाठ्यक्रम क्या हो ? तथा उनके प्रौढ़ शिक्षा पाठ्यक्रम में और कौन-कौन से विषय जोड़े जायें ?

(iv) प्रौढ़ महिला वर्गों में साक्षरता एवं शिक्षा प्रसार कार्य के सफल संचालन के लिये कौन-सी संस्थाएँ उपयुक्त हो सकती हैं ?

विषय के इन चार अंगों पर विस्तृत विचार करने के लिये गोष्ठी में भाग लेने वाले सदस्यों की सुविधार्थ कुछ मूल संकेत नीचे दिये जा रहे हैं।

अ. स्तर :

1. साक्षरता का स्तर बदलती हुई सामाजिक परिस्थितियों के कारण महिलाओं का जो उत्तरदायित्व होगा, उस पर निर्भर करेगा। ये उत्तर-दायित्व महिलाओं की श्रेणी तथा व्यावसायिक वर्ग के अनुसार भिन्न-भिन्न होंगे।

2. श्रेणी तथा व्यावसायिक वर्गों के आधार पर महिलाओं को निम्नलिखित वर्गों में बाँटा जा सकता है :—

ग्रामीण महिलाएँ।	कृषि क्षेत्र।
ग्रामीण महिलाएँ।	गैर कृषि क्षेत्र।
ग्रामीण महिलाएँ।	भूमिहीन श्रमिक वर्ग।
नगरीय महिलाएँ।	श्रमिक वर्ग।
नगरीय महिलाएँ।	मध्यम वर्ग।
नगरीय महिलाएँ।	समृद्धशाली वर्ग।

इन वर्गों में से निरक्षरता की समस्या अधिकतर पहिले चार वर्गों में व्यापक रूप से उपस्थित है। इसलिये यहाँ पर हम इन्हीं चार वर्गों पर विचार करेंगे। बदलती हुई परिस्थितियाँ जो हमें ध्यान में रखनी हैं, वे हैं :—

(i) फैलता हुआ नगरीय वातावरण।

(ii) औद्योगीकरण के कारण टूटती हुई परम्परागत रूढ़ियाँ।

(iii) भूमि और उत्पादन के साधनों पर बढ़ती हुई जनसंख्या का बोझ तथा परिणामस्वरूप जीवनास्तित्व के लिये संघर्ष।

(iv) महिलाओं के कार्यों से नये ज्ञान का बढ़ता हुआ सम्बन्ध।

इन बदलती हुई परिस्थितियों के फलस्वरूप कुछ ऐसे सामाजिक बंधन एवम् मूल्य उपस्थित हो गये हैं, जिनके कारण महिलाओं को मौखिक

तथा लिखित दोनों ही प्रकार की शिक्षा अनिवार्य हो गई है। ये बंधन निम्नलिखित हैं :—

(i) होने वाला वर अर्थात् हर नवयुवक यह चाहता है, कि उसे सुशिक्षित बधू अर्थात् गृहिणी मिले।

(ii) सुखपूर्ण जीवन यापन करने के लिये अकेले पुरुष की कमाई में कुछ और कमाई जोड़ने की आवश्यकता।

(iii) परिवार का विस्तार सीमित (अर्थात् नियोजित) करने की आवश्यकता।

(iv) आर्थिक लाभ के कार्यों में महिलाओं का बढ़ता हुआ योगदान।

(v) महिलाओं की सामाजिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक विचार धाराओं का, इन बदलती हुई परिस्थितियों से सामंजस्य बनाने के लिये अनुकूल विस्तृत वातावरण तैयार करने के लिये महिलाओं में से ही नैतृत्व पैदा करने की आवश्यकता।

इनमें से अधिकतर आवश्यकताओं का सम्बन्ध महिलाओं के घरेलु जीवन से है और उनके सफल गृहिणी के दायित्वों से है और जिन वर्गों पर हम अब विचार कर रहे हैं, उन वर्गों की महिलाओं का यही अर्थात् सफल गृहिणी होना ही मुख्य कर्त्तव्य है।

य सभी कर्त्तव्य वे उपयुक्त शिक्षण तथा प्रशिक्षण पाने पर ही निभा सकती हैं। इस शिक्षण और प्रशिक्षण देने का उत्तरदायित्व अधिकतर तो सुव्यवस्थित विद्यालयों पर ही होना चाहिये। परन्तु इसके अतिरिक्त इन महिला वर्गों में अनेक पद्धतियों तथा विधियों और साधनों द्वारा सतत शिक्षा के कार्यक्रम की व्यवस्था भी जरूरी है।

जिन वर्गों की चर्चा हम कर रहे हैं, इन वर्गों की महिलाओं की साक्षरता का सब कार्यक्रम व्यावहारिक अथवा व्यावहारोपयोगी साक्षरता का ही होना चाहिये जो उनके दैनिक जीवन कार्यों के ज्ञान से पूर्णतया सम्बंधित हो। थोड़ा आगे चलकर हम विषय के इस पहलू पर विस्तार में विचार करेंगे।

साक्षरता तथा शिक्षा का अधिकतर अंश शिक्षा के श्रव्य दृश्य साधनों की सहायता से देना होगा। परन्तु इन श्रव्य दृश्य साधनों के साथ-साथ लिखित ज्ञान का दिया जाना भी जरूरी है ताकि मौखिक ज्ञान का लिखित

रूप में क्रियात्मक अभ्यास होकर ज्ञान सुदृढ़ हो जाये। भिन्न-भिन्न कार्यों के लिये तथा भिन्न-भिन्न वर्गों के लिये न्यूनतम साक्षरता ज्ञान का स्तर भिन्न-भिन्न होगा।

देश में इस समय साक्षरता प्रसार अभियान की जो गतिविधि है, उसके आधार पर साक्षरता प्रसार सीमित चुने हुए क्षेत्रों में तथा व्यक्तियों में आर्थिक लाभ की आकाँक्षाओं, सम्भावनाओं तथा साधनों के आधार पर करना होगा। उत्पादन के दूसरे साधनों की तरह साक्षरता ज्ञान को भी एक साधन मानना होगा और इसकी उपयुक्तता दूसरे साधनों की तरह ही इस पर व्यय और उसके बदले में इससे आयवृद्धि अथवा लाभ के आधार पर ही निर्धारित करनी होगी।

यह तर्क सामाजिक शास्त्र तथा दर्शन के विरुद्ध है फिर भी जब देश की वर्तमान परिस्थिति में इस सीमित अर्थात् चयनात्मक विस्तार के लिये भी भली प्रकार साधन उपलब्ध नहीं है, तो साक्षरता कार्यकर्ता के पास और कोई उपाय ही नहीं है। उसके लिये लाचार पर विचार करना व्यर्थ है।

उपरोक्त स्पष्टीकरण के आधार पर हमारी राय में ग्रामीण महिला वर्ग के लिये दो स्तरीय साक्षरता की आवश्यकता है — (i) सभी महिलाओं के लिये आधारभूत प्राथमिक साक्षरता और (ii) जिन महिलाओं में नेतृत्व का स्वभाव जान पड़े, उनके लिये कुछ उच्चस्तरीय साक्षरता।

आधारभूत प्राथमिक साक्षरता के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित योग्यताएँ आ जानी चाहिये :—

(i) लिखित भाषा को पढ़ लेने की योग्यता।

(ii) दैनिक बोलचाल में प्रयोग होने वाले लगभग 500 शब्दों की शब्दावली का ज्ञान व मौखिक अभ्यास।

(iii) लिखित आदेशों को पढ़कर समझ लेने तथा उन को काम में ले आने की योग्यता।

(iv) सरल भाषा में लिखी हुई पुस्तकों को पढ़ लेने तथा समझ लेने की योग्यता।

(v) 40 से 50 शब्द प्रति मिनिट की चाल से पढ़ लेने की योग्यता।

प्रत्येक गांव में कम से कम कुछ महिलायें जरुर ऐसी होंगी जो इस से ऊँचे स्तर की साक्षरता प्राप्त करके दूसरी बहनों को प्रोत्साहन दे सकेंगी और नेतृत्व के दायित्व को निभा सकेंगी। ऐसी महिलाओं के लिये कुछ अधिक ज्ञान की आवश्यकता होगी, ताकि वे दूसरी बहनों को साक्षरता कार्यक्रम के इस अभियान से लाभ उठाने की प्रेरणा दे सकें। इन महिलाओं के ज्ञान का स्तर व्यवस्थित विद्यालयों की आठवीं कक्षा पास विद्यार्थियों के ज्ञान स्तर के बराबर होना चाहिये।

नगरीय क्षेत्रों की श्रमिक वर्ग की महिलाओं के लिये, जिस वर्ग पर हम यहां विचार कर रहे हैं साक्षरता का स्तर, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के लिये बताई गई आधारभूत प्रारम्भिक साक्षरता के स्तर से कुछ ऊँचा होगा। नगरों में शिक्षा प्राप्ति की आवश्यकता तथा उसके साधन अधिक सुलभ हैं, इसलिये नगरीय महिलाओं की पढ़ाई की चाल अधिक होनी चाहिये। उन्हें लगभग 1000 शब्दों की शब्दावली का ज्ञान हो जाना आवश्यक है। उनमें थोड़ी कठिन भाषा में लिखे गये सन्देशों को भी पढ़ समझ लेने की सामर्थ्य होनी चाहिये। इस प्रकार उनके लिये प्रारम्भिक आधारभूत साक्षरता का स्तर लगभग व्यवस्थित विद्यालयों की पाँचवी कक्षा के स्तर के बराबर होना चाहिये।

गोष्ठी को इन संकेतों पर विचार-विमर्श करके उसके फलस्वरूप व्यवहारयुक्त निर्णय लेने चाहियें।

(ब) (1) **बाधाएँ** :—

1. समाज में महिलाओं का आदर कम होने के कारण कभी-कभी चाहते हुए भी महिलाएँ अपने अवकाश के समय को शिक्षा प्राप्ति में नहीं लगा सकतीं।

दूसरे देशों के अनुभव से पता चलता है कि महिलाओं के लिये सामाजिक बँधनों से छुटकारा पाने का काम प्रगतिशील शासन होने पर भी बहुत धीमी प्रगति करता है और ग्रामीण क्षेत्रों में तो यह समस्या बहुत ही गम्भीर है।

2. महिला वर्ग के लिये प्रौढ़ साक्षरता कक्षाओं की व्यवस्था तथा संचालन करने के लिये महिला शिक्षकों की कमी। भीतरी ग्रामीण क्षेत्रों में तो जहाँ कोई भी शिक्षक नहीं बसते हैं, यह समस्या और भी जटिल हो जाती है। ऐसे गाँवों में जहाँ महिला शिक्षकाएँ नहीं हैं, लगभग सारी

ग्रामीण महिला जनसंख्या का 50 से 60% तक महिलाएँ बसती हैं। ऐसे ग्रामों में रहने वाली महिलाओं में साक्षरता प्रसार की समस्या केवल शिक्षक भेज कर स्कूल खोल देने से भी हल नहीं होगी। इनमें तो शिक्षिकाओं को रहने की सुविधाएँ भी देनी पडेंगी। इन गाँवों में साक्षरता प्रसार की कोई भी योजना बिना साथ-साथ शिक्षक के आवास की योजना के सोचे हुए निष्फल हो जायगी।

इस समस्या का केवल एक ही वास्तविक समाधान यह है कि गाँवों की अधिक से अधिक लड़कियों को विद्यालयों में शिक्षा दी जाये।

3. जिन महिला वर्गो में साक्षरता प्रसार की समस्या पर हम विचार कर रहे हैं, उन वर्गों की महिलाओं में कोई स्थानीय नेतृत्व नहीं है। इस नेतृत्व का विकास निम्न बातों पर निर्भर है :—

(i) महिलाओं में शिक्षा का प्रसार।

(ii) जिन वर्गों में वे रहती हैं, उनकी आर्थिक प्रगति।

(iii) उनके घरेलू वातावरण में सुधार।

देश के राजनैतिक नेताओं में शिक्षा के प्रति आदर्शों तथा लक्ष्यों का अभाव है। केन्द्रीय सरकार ने तथा राज्य सरकारों ने, और प्रत्येक राजनैतिक दल ने जनता के निर्बल वर्ग की उन्नति में कभी कोई रुचि नहीं दिखाई। वे सब के सब इस ओर से उदासीन ही रहे हैं और कभी कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया। हमारे विधान के निर्माताओं की विवेक-पूर्ण नीति के कारण पिछड़े वर्ग के उद्धार का प्रयोजन विधान में स्थान पा गया है। परन्तु फिर भी वास्तविकता यह है कि पिछड़े वर्ग आज भी लगभग वहीं हैं, जहाँ पहिले थे। महिला वर्ग की उन्नति का तो विधान में भी कोई विशेष उल्लेख नहीं हैं और हमारे नेताओं को केवल महिला सुधार के अतिरिक्त और अनेक महत्वपूर्ण काम हैं।

ब. (2) अधूरी पढ़ाई छोड़ कर बैठ रहने के कारण और उसके उपाय :—

प्रौढ़ महिलाओं में साक्षरता प्रसार के कार्य में हम जितना परिश्रम तथा साधन लगा रहे हैं, उस सब का पूरा फल हमें नहीं मिलता, क्योंकि प्रौढ़ साक्षरता कक्षाओं में कई प्रकार से बहुत हानियाँ होती हैं और सारे शिक्षार्थी पूरे परिश्रम का लाभ नहीं उठा पाते। इसके निम्नलिखित कारण हैं :—

(1) प्रौढ़ साक्षरता कक्षा में आने वाली महिलाओं को साक्षरता प्राप्ति की रुचि नहीं है। इसके दो कारण हैं—पहले तो इन महिला शिक्षार्थियों को समाज की ओर से कोई सहयोग या प्रोत्साहन नहीं मिलता। इसका उपाय देश के सामाजिक तथा राजनैतिक नेताओं के आश्वासन तथा तीव्र जन आन्दोलन से यथा समय हो सकता है। दूसरे, साक्षरता कक्षाओं की पढ़ाई प्रौढ़ महिलाओं को रुचिकर नहीं होती। इस समस्या का हल शिक्षा विशेषज्ञ जो पाठ्य सामग्री बनाते हैं, वे कर सकते हैं।

(2) महिलाओं को कक्षाओं में नियमपूर्वक प्रति दिन यथा समय आने में पुरुषों की अपेक्षा बहुत अधिक कठिनाइयाँ होती हैं। इसका कारण समाज में उनके प्रति आदर का अभाव है। इसका उल्लेख हम ने ब (i) (1) में किया है।

(3) जैसा पहिले कहा गया है, ग्रामीण महिलाओं का एक बहुत बड़ा भाग ऐसे गाँवों में रहता है जहाँ बालिकाओं के विद्यालय नहीं हैं और न ही महिला शिक्षिकाएँ। जो कोई गाँव बड़े भी हैं और वहाँ विद्यालय हैं, तो भी शिक्षिकाएँ बहुत दूर से चल कर आती हैं, वहाँ रहती नहीं हैं। ऐसा होने पर हो सकता है, साक्षरता प्रसार के जोश में आरम्भ में तो वे दूर चलकर भी पहुँच जायें, परन्तु जैसे-जैसे समय बीतता जायेगा, उनका यह उत्साह दूरी की थकान के सामने ठंडा पड़ जायेगा। इसका उपाय सम्भवतया बड़े गाँवों में कई-कई कक्षाओं के खोल देने से हो जाये, परन्तु फिर वही महिला शिक्षिकाओं का अभाव समस्या उपस्थित करेगा।

(4) अभी हम ने यह नहीं समझा है कि प्रौढ़ों की शिक्षा के लिये प्रति दिन कक्षा लगाना जरूरी नहीं है। औरों के लिये तो यह बात उचित भी है। प्रौढ़ों को आखिर और अनेक अधिक महत्वपूर्ण काम करने होते हैं और विशेषकर महिलाओं को तो उनके घर का धन्धा कक्षा में नियमित उपस्थिति के मार्ग में बाधा अवश्य उपस्थित करेगा। इसलिये इस विशेष कारण के लिये कुछ छूट मिलनी ही चाहिये। कक्षाएं सप्ताह में 3 से 4 दिन तक के लिये लगाई जा सकती हैं।

(5) देखा गया है कि शिक्षार्थियों को यदि कक्षा के कार्य में क्रियात्मक सहयोग का अवसर दिया जाये और कार्यक्रम की व्यवस्था तथा संचालन में सहयोगी बनाया जाये तो साक्षरता कक्षाओं में शिक्षार्थियों

की उपस्थिति में सुधार हो जाता है। यदि शिक्षार्थियों को सामुदायिक तथा सार्वजनिक कार्यों में भाग लेने के अवसर दिये जायें तो भी उपस्थिति में सुधार होता है। महिला कक्षाओं में ऐसे कार्यक्रम बहुत थोड़े कराये जाते हैं और शिक्षार्थियों को क्रियात्मक सहयोग के अवसर कम मिलते हैं। इसलिये इस प्रकार के कार्यक्रम पाठ्यक्रम का भाग होने चाहियें। यह बात प्रशिक्षण कर्ताओं तथा पाठ्यक्रम निर्माताओं को ध्यान में रखनी चाहिये।

3. महिला वर्ग की साक्षरता के लिये पाठ्यक्रम

महिला वर्ग की साक्षरता का पाठ्यक्रम महिला शिक्षार्थियों के सामाजिक दायित्वों से सम्बन्धित होगा और अधिकतर घरेलू कार्य पर केन्द्रित होगा। इस पाठ्यक्रम के मुख्य अंग निम्नलिखित होने चाहियें :—

1. घर की सफाई, सुन्दरता तथा गृह प्रबन्ध व्यवस्था।

2. बालकों का पालन पोषण। बालकों की मुख्य-मुख्य सामान्य बीमारियाँ तथा उनके घरेलू उपचार। बालकों की शिक्षा, विशेष कर बालिकाओं की।

3. पोषण ज्ञान। भोजन की स्थानीय उपलब्ध वस्तुओं को काम में लेकर सस्ता, लाभदायक तथा सन्तुलित भोजन बनाना। रोगियों के भोजन तथा विशेष अवसरों पर महिलाओं के भोजन का ज्ञान।

4. स्वास्थ्य और सफाई के साधारण नियम। सामान्य रोग तथा उनका घरेलू, सस्ता उपचार, रोगी सेवा, प्राथमिक चिकित्सा और घरेलू दवाइयों का प्रयोग।

5. परिवार नियोजन।

6. कोई शिल्प या दस्तकारी के काम का ज्ञान जिससे परिवार के आय में वृद्धि हो सके अथवा पारिवारिक आवश्यकताओं पर खर्च बचाया जा सके। इस कला ज्ञान के शिक्षण का चुनाव स्थानीय वातावरण में विशेष आयपूर्ण काम की माँग पर निर्भर होना चाहिये। सिलाई, बुनाई, कसीदाकारी, तथा मधुमक्खी पालन जैसे कमाई के धन्धों की शिक्षा पर विशेष ध्यान होगा। ये सब कलाएँ महिलाओं के घरेलू कामों का ही अंग हैं।

7. महिलाओं के लिये उपयुक्त मनोरंजन कार्य। महिलाओं की शिक्षा को स्थानीय वातावरण से जोड़ना हर दशा में जरूरी है। उदाहरणार्थ नगरीय क्षेत्रों में उपभोक्ता विज्ञान की शिक्षा पर काफी बल देना होगा।

गृह व्यवस्था के शिक्षण में इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि आयवृद्धि के कामों से घर से बाहर के कामों पर कोई बाधक प्रभाव न पड़े।

महिला शिक्षार्थियों में से कुछ को स्थानीय नेतृत्व के लिये प्रशिक्षण देकर तैयार करना होगा। उनकी शिक्षा का स्तर कुछ अधिक ऊँचा होगा। उसमें निम्नलिखित ज्ञान सम्मिलित करना होगा :—

(1) कम आय वाले वर्गों में विशेषकर और साधारणतया सभी महिला वर्गों में महिलाओं की दशा और उसमें सुधार की आवश्यकता।

(2) महिलाओं की दशा सुधार के लिये उपलब्ध अवसर।

(3) महिला मण्डलों की स्थापना, व्यवस्था और संचालन।

(4) महिला मण्डलों की बैठकों की व्यवस्था तथा संचालन।

(5) वर्ग समूहों में विचार-विमर्श तथा सामूहिक कार्यक्रम की व्यवस्था की उपयुक्त कला विधियाँ।

(6) बैठकों की कार्रवाई लिखना और उनका लेखा रखना तथा महिला मण्डलों की ओर से स्मरण-पत्र आदि लिखना।

साक्षरता कक्षाओं के कार्यकर्त्ता शिक्षकों को इन सब विषयों के पढ़ाने के लिये उपयुक्त प्रशिक्षण देना होगा। साथ ही सब विषयों के शिक्षण के लिये पाठ्य सामग्री भी विशेष रूप से तैयार करनी होगी, तब ही दिये हुए पाठ्यक्रम के अनुसार महिलाओं की शिक्षा का पाठ्यक्रम सन्तोषजनक रूप से पूरा किया जा सकेगा।

4 महिलाओं की शिक्षा के लिये उपयुक्त संस्थाएँ

इन संस्थाओं में निम्नलिखित उपयोगी हो सकती हैं :—

1. स्थानीय महिला मण्डल विशेषकर वे जो शिक्षकों द्वारा व्यवस्थित किये गये हों। कभी-कभी सामाजिक कार्यकर्त्ताओं अथवा स्थानीय नेताओं अथवा सहकारी समितियों के कार्यकर्त्ताओं द्वारा भी ऐसे समूह बनाये हुए हो सकते हैं। ऐसे संगठनों के लिये कोई जटिल बन्धन नहीं लगाए जाने चाहियें।

2. अन्यत्र कार्य में लगे हुए शिक्षक यदि उनके पास अपने शिक्षण संस्थान अथवा विद्यालय में काम करते रहने के साथ-साथ महिला प्रौढ़ साक्षरता कार्य के लिये सुविधाएँ और साधन उपस्थित हों। उदाहरणार्थ

कोई अस्थाई, अथवा स्थानापन या अवैतनिक शिक्षक इस कार्य को नहीं कर सकता। इसके लिये नियमित रूप से स्थाई शिक्षक को ही सुविधाएँ तथा साधन उपलब्ध हो सकते हैं। ऐसा स्थाई शिक्षक ही एक संस्था में काम करता हुआ भी राजकीय स्वास्थ्य विभाग, तथा कृषि और उद्योग आदि विभागों के कार्यकर्त्ताओं से प्रभावपूर्ण सम्बन्ध रख सकता है और विषय के उन से सम्बन्धित अंश के शिक्षण में उनका पूर्ण सहयोग प्राप्त कर सकता है।

3. सहकारी समिति जैसी कोई ऐसी संस्था जिसका काम महिलाओं को कुटीर उद्योग का प्रशिक्षण देकर शिक्षार्थियों को आयवृद्धि के लिये छोटे-छोटे धन्धे आरम्भ करने के साधन देना हो। ऐसी संस्था उस प्रशिक्षण के काम के साथ-साथ साक्षरता प्रसार का कार्य भी अपने कार्य-क्रम में जोड़ सकती है।

4. शिक्षकों को प्रशिक्षण देने वाली तथा स्थानीय महिलाओं को नेतृत्व का प्रशिक्षण देने वाली संस्था।

5. ऐसी संस्था जो शिक्षा के सहायक साधन जैसे फिल्म, फिल्म स्ट्रिप, चार्ट, तथा पाठ्य सामग्री प्रायमर तथा पुस्तकें आदि बनाती तथा वितरण करती हो। अधिकतर ऐसी संस्था स्थानीय शिक्षा विभाग के अधीन ही हो सकती है। परन्तु यहाँ भी कोई जटिल नियमों का बन्धन नहीं लगाना चाहेंगे। हो सकता है कहीं यह काम कोई सहकारी संस्था करती हो, और दूसरे स्थान पर कोई नियुक्तिकर्त्ता। वे सम्भवतया इस कार्य को शिक्षा विभाग से भी अच्छी तरह कर सकें।

ऐसे देशों में जहाँ महिलाओं पर सामाजिक बन्धनों का इतना हस्तक्षेप नहीं है जितना कि उन महिला वर्गों पर जिनकी चर्चा हम यहाँ कर रहें हैं, यह पंचाँगी संस्थाएँ जिनका ऊपर वर्णन किया गया है, काफी उपयोगी हो सकती हैं। परन्तु हमारे देश में इसके अतिरिक्त कुछ और अधिक प्रयास की आवश्यकता है। इसलिये हमें इसके साथ-साथ और भी संस्थाएँ चाहियें जिनका उल्लेख हम कर रहे हैं।

6. ऐसी संस्थाएँ जिनका मुख्य लक्ष्य ही महिला वर्ग की सामाजिक दशा का सुधार और उनकी सामान्य प्रगति को बढ़ावा देना है। ये संस्थाएँ सरकारी हो सकती हैं, ऐच्छिक भी हो सकती हैं और दोनों प्रकार की मिली-जुली भी। राजनीति रहित ऐच्छिक संस्था हमारे देश की आवश्यकता के अनुसार महिला वर्ग की उन्नति के लिये पुरुष भी बना सकते

हैं, महिलाएँ भी बना सकती हैं और दोनों मिलाकर भी। इस संस्थ का उद्देश्य दो मुखी हो सकता है। एक तो महिला वर्ग की दशा के बारे में देश के राजनैतिक नेताओं में जागृति, जानकारी, और उत्साह पैदा करना और दूसरे महिला सुधार कार्य के लिये जन-मत बनाकर सामूहिक कार्यक्रम चलाना।

7. सरकारी संस्था के कई रूप हो सकते हैं। उदाहरणार्थ गाँवों में : (i) गाँव पंचायत समिति में महिलाओं के कल्याण तथा प्रगति के लिए एक विशेष उपसमिति हो सकती है। (ii) सहकारी समिति में महिला सुधार कार्य के लिये विशेष लक्ष्यों की पूर्ति के लिये एक महिला शाखा हो सकती है। नगरीय क्षेत्रों में इसके अनेक रूप सम्भव हो सकते हैं जैसे नगरीय सामुदायिक विकास विभाग, समाज शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग तथा समाज कल्याण विभागों में महिला कल्याण के लिये विशेष शाखाएँ हो सकती हैं या इन सब के साथ-साथ अलग से एक महिला कल्याण विभाग ही हो सकता है।

6

उद्घाटन भाषण

(डा. श्रीमति वेल्दी एच. फिशर)

"बदलती हुई सामाजिक परिस्थितियों में महिलाओं की प्रौढ़ शिक्षा" विषय पर भारत के भिन्न-भिन्न भागों से आई हुई महिलाओं के साथ विचार-विनिमय करने के लिये आज मुझे यहाँ आने का अवसर मिला, इससे मुझे प्रसन्नता हुई है तथा प्रोत्साहन मिला है। आईये, थोड़ी देर के लिये गोष्ठी के विचारणीय विषय पर ध्यान लगावें।

हम जिस महिला वर्ग या जिन महिलाओं की शिक्षा के बारे में विचार कर रहें हैं, वे सब 15 से 40 वर्ष की आयु वर्ग की हैं और माताएँ बनेंगी या बन चुकी हैं। जिस समाज में वे रहती हैं, उस पर वर्तमान परिवर्तनों की गति विधियों का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। यह ठीक है कि श्रम रहित सुविधा पूर्ण उपकरणों तथा सुखपूर्ण जीवन के अनेक साधनों और तकनीकी प्रगति के नये आविष्कारों ने संसार भर के नगरीय जीवन में स्वीकृत स्थान पा लिया है, परन्तु ग्रामीण जीवन में विशेषकर भारत में अभी इन परिवर्तनों का अधिक प्रभाव नहीं पड़ा है, नई तकनीक से लाभ उठाने के लिये ग्रामीण जनता अपने जन जीवन की मूल आधार-भूत ग्रामीय समाज को छोड़कर नगरों में बसती जा रही है।

परन्तु नगरीय जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। सारी सुविधाएँ होते हुए भी वहाँ व्यापक असंतोष और अशान्ति है। आपस की झगड़े बाजी है, क्योंकि ये सुविधाएँ सबको समान रूप से नहीं मिलती हैं। मैं हाल में ही पश्चिम देशों की यात्रा से लौटी हूँ, इसलिये मुझे मालूम है

कि घनी आबादी वाले नगरों में जीवन की समस्याएँ कितनी जटिल हैं। सोचना यह है कि क्या हम अपनी युवा ग्रामीण महिलाओं को इसी प्रकार के कोलाहल पूर्ण प्राचीन नगरीय जीवन के लिये शिक्षित करना चाहते हैं? अथवा आधुनिक ढंग के नये ग्रामीय जीवन के लिये, जिसमें नये नगरों का निर्माण ऐसा हो जिससे चारों ओर के देहातों से उनके सम्बन्ध गहरे होते जाएँ और नये तकनीकी सुधारों का प्रभाव उन तक भी उतना ही पहुँचे, जितना नगरों में। इससे सुखी जीवन के नये साधनों और आपसी मानवीय सम्बन्धों में साथ-साथ प्रगति हो सके। यदि हमारा लक्ष्य ऐसा होगा, तो भारतवर्ष दूसरे देशों के लिये नमूना बन सकेगा, जिसमें उच्च मानवीय सम्बन्धों और मूल्यों की परम्परा तो बनी रहेगी, फिर भी जीवन के सभी आधुनिक सुख साधन सबको प्राप्त होंगे। पुराने मूल्यों और नये साधनों के इस सामंजस्य को उपस्थित करना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिये।

मुझे आशा है कि हम लोग विचार-विनिमय द्वारा गोष्ठी के इन कुछ दिनों में उन निरक्षर प्रौढ़ तथा युवा महिलाओं की उलझनों, आकांक्षाओं तथा आवश्यकताओं को भली प्रकार समझ सकेंगे, जिनकी साक्षरता, शिक्षा और प्रगति के बारे में हम यहाँ कार्यक्रम निर्धारित करने के उद्देश्य से एकत्रित हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इन समस्याओं को समझ लेने के बाद हम निरक्षर प्रौढ़ महिला वर्ग की उन्नति का ऐसा मार्ग सोच सकेंगे और कार्यक्रम बना सकेंगे जिससे उनकी उन्नति के मार्ग की सब बाधाएँ जो अब तक उनका रास्ता रोके हुए थी, दूर हो जायेंगी और वे एक नया समाज निर्माण कर सकेंगी। आईये, आज हम यहां उस निरक्षर प्रौढ़ महिला की दशा पर कुछ चर्चा कर लें।

देश की सारी महिला जनसंख्या का 90% यह ऐसा महिला वर्ग है जो आम बोलचाल की भाषा जिसे वह रोज बोलती हैं, उसका एक शब्द भी पढ़ना नहीं जानतीं। न लिखना जानती हैं और न ही कागज पर एक अंक भी लिख सकती हैं, जिससे परिवार की आवश्यकताओं का, आय व्यय का हिसाब रख सकें।

अब जरा हमारी इन साथिनों की ओर देखिये। हमें सोचना है कि इस नये समाज का निर्माण करने में हम इनकी सबसे पहिले क्या सहायता करें ताकि वो अपनी उन्नति के साथ-साथ समाज की उन्नति भी कर सकें। ऐसा करने पर ही वह अपने विकसित गाँव में नये समाज का रूप देख सकेंगी और इस प्रकार आधुनिक सांचे में ढले हुए अनेक गाँवों का समूह ही एक

नगर बन जायेगा जिसमें आपसी भाईचारा, एक दूसरे का आदर तथा परस्पर विश्वास होगा ।

उसका हृदय :

जिस महिला के बारे में हम विचार कर रहे हैं, उसका हृदय बड़ा कोमल है और भावनाएँ बड़ी तीव्र । उसके मन में बड़ी सहानुभूति है। अपने परिवार का कल्याण उसके लिये सबसे अधिक प्रिय है । मान लो इसकी आयु लगभग 22 वर्ष की है । वह हर काम को उसी कमरतोड़ ढंग से करती है, जिससे उसकी माँ, दादी, सास और चाची, फूफी आदि सभी पुराने सम्बन्धी पीढ़ियों से करते चले आये हैं और जो जीवन की अनन्त परम्परा बन गई है । हमें देखना है, कि ऐसी महिलाओं को आज के युग में क्या चाहिये । मैं समझती हूँ, हमें उसकी मनोभावनाओं को प्राथमिकता देनी चाहिये । वह एक सच्ची गृहिणी है । वह अपने परिवार का सर्वश्रेष्ठ कल्याण चाहती है । परन्तु सर्वश्रेष्ठ क्या है, यह वह कैसे समझेगी । जब वह पढ़ना लिखना नहीं जानती, तो निश्चय भी स्वयं नहीं कर सकती । या तो दूसरे जिसको सर्वश्रेष्ठ कहें, उसी को वह भी सर्वश्रेष्ठ मान लेगी या फिर अपना मन जिसको सर्वश्रेष्ठ समझ लेगा, वह सर्वश्रेष्ठ होगा । आजके प्रजातंत्रीय युग में उसे इतना असहाय नहीं होना चाहिये । उसे बहुत कुछ और करने की स्वतंत्रता होनी चाहिये । परन्तु वह ऐसी इच्छा तो करती है, ऐसा समझती भी है, परन्तु शिक्षा ज्ञान के अभाव में ऐसा करने का साहस नहीं कर सकती क्योंकि उसे सन्देह है कि कहीं परिणाम प्रतिकूल न हो जाये ।

उसके परिवार का स्वास्थ्य :

इन महिलाओं को अपने बालकों की भी चिन्ता है, जो गाँव में आवारा फिरते हैं । उन्हें नहीं मालूम कि वे इन बालकों को रोगों से कैसे बचाएँ । वे आज भी शीतला माता की पूजा करती हैं और श्रद्धापूर्वक उसी का आवाहन करती हैं, ताकि वह उनके बालकों को चेचक के भयानक रोग से बचा ले । इस विषय का पुस्तकीय ज्ञान तथा कोई कठपुतली का प्रदर्शन उनकी आँखें खोल सकता है और उन्हें इस रोग के उपचार का ज्ञान भी करा सकता है ।

परिवार का स्वास्थ्य तो उसकी सबसे निकटतम और सर्वप्रथम समस्या है । यदि उसका अन्धविश्वास दूर हो जाये, तो सबसे पहिले उसका

यह प्रयत्न होगा कि टीका लगाने वाला डाक्टर कहाँ मिले और कैसे वह उनके बालकों को आवश्यक टीका लगा कर रोगों से मुक्त करे। उसकी तीव्र कामना है कि वह अपने बालकों को भलो प्रकार पौष्टिक भोजन दे सके, ताकि वे स्वस्थ और बलवान बनें। परन्तु बालकों को मिलता क्या है ? एक दाल और रोटी या गेहूँ का दलिया। इसे वो वरान्डे में बैठी हुई चूल्हे पर पकाती है, जिसमें जलाती है उपले। उपलों के धूएँ से उसकी आँखें और सम्भवतया उसके नन्हें बालक की आँखें भी, जिसे वो गोदी में लिटा कर छाती से दूध पिला रही है, धूएँ से भर जाती हैं। दूसरा बालक कंधे पर से उसकी साड़ी खींच रहा है। इस प्रकार वह उसी भूतकालीन पुरानी परम्परागत रूढ़ि की शिकार है, जो शायद ऐसी ही अनन्त है जैसे टैटनस रोग के कीटाणु।

फिर भी क्या हमने इस ग्रामीण महिला को पहचाना है ? उसकी मनोभावनाओं को समझा है ? उसके विचारों को जाना है ? उसे अपने परिवार के लिये अच्छे भोजन, उत्तम पोषण तथा स्वास्थ्यवर्द्धक सब्जियाँ उपलब्ध करने की गहरी इच्छा है। परन्तु ये मिलें कैसे ? वह नहीं समझती कि इसकी जानकारी प्राप्त करने के लियै वह कहाँ जाए और क्या करें ? उसे आधारभूत सफाई ज्ञान की भी जरूरत है। हमें उसको उसके अपने परिवार के लिये स्वस्थ वातावरण बनाने के उपायों की जानकारी देकर उसको सहायता करनी चाहिये।

इसलिये हमारा सर्वप्रथम कर्त्तव्य हुआ उसको पारिवारिक सुख सम्बन्धी इन धधकती हुई मनोभावनाओं और चिन्ताओं का समाधान करने की क्षमता देना। फिर उसे अपने परिवार के वृद्ध, युवा और बच्चों के स्वास्थ्य को चिन्ता है। इसका ज्ञान भी उसे समझदारी के साथ देना होगा। होशियारी के साथ समझने से वह समझ सकेंगी कि स्वस्थ, समृद्ध, सुखी और शिक्षित परिवार के लिये छोटा परिवार होना आवश्यक है।

उसके हाथ, कलापूर्ण होते हुए भी खाली :

तीसरी बात, पूज्य गाँधी जी के कथनानुसार, आधारभूत शिक्षा की है। आप और हम जानते हैं कि आधारभूत शिक्षा के भिन्न-भिन्न लोगों के मतानुसार अनेक अर्थ हैं। गाँधो जी का इससे तात्पर्य कातने और बुनने अर्थात् स्वालम्बी होकर आत्मनिर्भर बनने की कला ज्ञान से था। उनका विश्वास था कि कातने और बुनने की कला में निपुणता प्राप्त कर लेने से हमारे गांवों और गाँव वासियों को कमाई के धन्धे का आधार मिल

जायेगा। बापू हमें कहा करते थे कि, "पढ़ाई, लिखाई और गणित ज्ञान की शिक्षा कपास की कताई के द्वारा दी जा सकती है। आप 'अच्छी कपास', 'बुरी कपास', लिखिये और पढ़ना लिखना सिखाइये; इनके भेद बताईये। "अच्छी भूमि, उपजाऊ भूमि, बंजर भूमि" लिखिये, उनके भेद बताईये, पढ़ना सिखाईये। यह कपास बुरी क्यों है? और वह अच्छा क्यों है? बंजर भूमि पर अच्छी कपास क्यों नहीं उगती? "यह समझाईये"—आदि आदि वो कहते थे कि हम ग्रामीण युवकों तथा युवाओं को शिक्षित करने के लिये पढ़ना लिखना सिखाने के लिये, कताई से प्राप्त धागे को बेचने से जो आय हो, उसमें से शिक्षक का वेतन दे सकते हैं। चर्खे से आगे बढ़कर हमें क्या करना है? बस हाथ का काम; गाँधी जी ठीक कहते थे। शिक्षा की प्रगति के साथ-साथ आर्थिक प्रगति होनी ही चाहिये। उनके युग में चर्खा ही एक अधिकतम आशापूर्ण साधन था। आज और बहुत सी आधारभूत कलाएँ प्राथमिकता पा गई हैं। परन्तु उन सबके लिये चाहियें बुनियादी समझ और प्रशिक्षित हाथ।

हमने अपने विचारों की महिला के मन से (हृदय से) बात आरम्भ की थी। महिला के उस मन में कभी प्रसन्नता होती है, कभी दुःख, कभी क्रोध तो कभी शंका या भय—अर्थात उसका मन अनेक प्रकार की भावनाओं से भरा है। जैसे-जैसे महिलाओं का ज्ञान बढ़ता जायेगा, यह मनोभाव सुधरते जायेंगे, और इससे उसको स्वयं को, उसके परिवार को और सम्भवतया उसके सारे समुदाय को शक्ति मिलेगी। जैसे-जैसे उसके परिवार का स्वास्थ्य तथा भोजन सुधारेगा वैसे-वैसे वह इन परिवर्तनों के बारे में अधिक विचार करने लगेगी, अधिक जानकारी प्राप्त कर लेगी और फिर वह इन मौलिक हस्त कलाओं की जानकारी और उपयोग भी सीख जायेगी, जिनको गाँधी जी और इनके बाद विनोबा जी पुस्तकीय ज्ञान का माध्यम बताते रहे हैं।

सामाजिक शिक्षा योजना देश भर में चलाई गई। इसके उद्देश्य बहुत उपयोगी और महान थे, परन्तु बिना साक्षरता ज्ञान के सामाज़िक शिक्षा जन साधारण के मनों में वह आदर्श स्थापित न कर सकी। वे बुद्धि में समा न सके।

नेतृत्व तो बुद्धि करती है :

हमारा चौथा कार्यक्रम है, बुद्धि का प्रशिक्षण। हम ने उसके मन की बात की, मनोभावों के समाधान की बात की, उसके परिवार के सुख

और स्वास्थ्य की बात की, उसके लिये उपयोगी हस्तकला ज्ञान की चर्चा की, चाहे वह साबुनसाजी हो चाहे सिलाई।

अब हम उसकी बुद्धि की चर्चा कर रहे हैं, उसके बौद्धिक विकास की बात कर रहे हैं। वास्तव में बुद्धि ही ये सब प्रश्न करती है। इन परिवर्तनों के बारे में जानकारी देती है, शंकाएँ भी उपस्थित करती है। क्यों और कैसे का प्रश्न होता है। व्यवहारोपयोगी साक्षरता ज्ञान आधारभूत शिक्षा ही है। व्यवहारोपयोगी साक्षरता समाज शिक्षा है, व्यवहारोपयोगी साक्षरता स्वास्थ्य शिक्षा भी है। कला ज्ञान भी व्यवहारोपयोगी शिक्षा है। यह महिलाओं के मनोभावों की प्रगति का नाम है, जिसके फल स्वरूप वे अपने पारिवारिक क्षेत्र के बाहर से भी सुखदाई सामुदायिक जीवन के सामान उपलब्ध कर सकें और बढ़ते-बढ़ते सारे राष्ट्र के जन-जीवन में प्रभावशाली योगदान दे सकें।

हम महिलाएँ, यह समझती हैं कि बालकों को जीवन का दृष्टिकोण अथवा ज्ञान बिना समझाए स्वतः ही हम से ही मिलता है। हमें यह भी मालूम है, कि बाल्यावस्था में ही बालकों को धर्म की जानकारी हो जाती है। इसकी शिक्षा कोई नहीं देता। यह तो बच्चे माताओं को देख कर सीख जाते हैं। इसी प्रकार वे दूसरे लोगों के प्रति, समाज के प्रति व्यवहार करना सीख जाते हैं और भोजन करने की आदत भी ऐसे ही पड़ जाती है। 3 से 5 वर्ष की आयु तक वे जितनी बातें सीखते हैं, उतनी आयु के और किसी काल में भी नहीं सीख सकते। इसलिये हमारे विचारों की महिला का एक बहुत महत्वपूर्ण दायित्व कल के नागरिक को प्रशिक्षित करना है, उस कल के जिसका आरम्भ आज होता है।

युग के इस परिवर्तन को ग्रामीण महिलाओं के जीवन में लाने का कार्यक्रम कैसे आरम्भ किया जाये, यह हमें सोचना है। आप जानते हैं कि शिक्षण कार्य को उत्साहवर्द्धक, रुचिकर तथा शिक्षाप्रद बनाया जा सकता है। पिछले दस वर्षों में हमने प्राचीन भारतीय कला कठपुतली को शिक्षा के साधन का नया रूप दिया है। कठपुतली की कोई जाति तथा धर्म नहीं है। वह सभी के लिये समान है और उसके लिये सभी समान हैं। उसके माध्यम से सभी से बात की जा सकती है। सभी से हास्य विनोद किया जा सकता है और सभी से नई कामनाओं और प्रवृत्तियों की बातें की जा सकती हैं। कठपुतली के माध्यम से छोटे और सीमित परिवार की बातें की जा सकती हैं। अधिक प्रोटीन देने वाली खाद्य

सब्जियों की बातें की जा सकती हैं और ऐसे ही अनेक और विषयों पर भी बातें की जा सकती हैं, जिनकी जानकारी से कठपुतली देखने वाले अपने जीवन को एक नए सांचे में ढालने पर विचार करने लगेंगे। इस प्रकार कठपुतली अभिनय एक जीता जागता दूरदर्शन है।

कठपुतली कला की उत्पत्ति प्राचीन भारत में ही हुई। आज भी कठपुतली अभिनय दर्शकों के लिये नाटकीय प्रभाव रखता है। नाटक अब हमको सैटेलाइट दूरदर्शन के द्वारा दिखाए जाया करेंगे। परन्तु पश्चिमी देशों में भी जहाँ यह प्रचलित होगा, उसको देखने में मुझे रुचि नहीं होगी, क्योंकि मेरे मन पर कठपुतली अभिनय में छोटे-छोटे बालक जो चल भी नहीं सकते, जब वह प्रयोगार्थ बन्दूक मांगते हैं, तो जो आनन्द मिलता है और उस दृश्य का जो प्रभाव पड़ता है, दूरदर्शन का यह प्रभाव नहीं पड़ सकता। भारत के ग्रामों में तो इस प्रकार दूरदर्शन सम्भवतया न आ पाये। फिर भी दूर दर्शन-यंत्र में जो तकनीकी बातों तथा क्रियाओं को दर्शाने की अद्भुत शक्ति और सम्भावना है, उसको दर्शाने के लालच में कहीं दूरदर्शन की निर्माण—शक्तियों में बाधा न पड़ जाये, यह ध्यान रखना आवश्यक है।

मुझे यह बता देने में प्रसन्नता है कि हम एक ऐसा प्रयोग कर रहे हैं; जिससे शायद प्रत्येक गांव में एक छोटी सी आश्चर्यजनक गुड़िया मशीन प्राप्त हो सके। यह मशीन कठपुतली अभिनय की कला के माध्यम से सामाजिक शिक्षा प्रसारण का कार्य करेगी। मैं फिर कहूँगी कि साक्षरता आधारभूत शिक्षा है, साक्षरता सामाजिक शिक्षा है। साक्षरता मानव जीवन को प्रगतिशील बनाने के लिये जन जन की शिक्षा है। इससे मानव समाज अपने आप प्रगतिशील बन सकेगा। और भावी सन्तान के लिये उपयुक्त समाज बनाने में, महिलाओं जैसी मानवता के साथ, दृढ़ता के साथ, और हृदयता के साथ और कोई भी इतना सहायक नहीं हो सकता। महिलाओं को, संसार की समस्त नारी जाति को, ये संसार अर्थात् अखिल विश्व समाज के निर्माण का कार्य करने का दायित्व संभालना चाहिये। जैसा विनोबा जी ने कहा है, शिक्षा का लक्ष्य वास्तव में चरित्र-निर्माण ही है।

इस प्रकार महिलाओं को अपने आप पर भरोसा और श्रद्धा होनी चाहिये। यदि उन्हें अपनी विशेष योग्यता तथा निर्माण की क्षमता पर भरोसा हो जायेगा, तो वे अपना दृष्टिकोण बदल सकेंगी और धीरे-धीरे समाज को भी।

साक्षरता ज्ञान इस प्रगति का आधार होगा। समाज आखिर तब ही बदलेगा, जब व्यक्ति बदलेंगे। आपके पास चाहे सारे ही तकनीकी साधन हों, परन्तु यदि मानव बदला नहीं है, तो सभी साधन निष्फल हो जायेंगे। न बालकों का विकास होगा और न ही समाज का।

मुझे पूरा विश्वास है कि गोष्ठी में भाग लेने के लिये मेरे सामने बैठा हुआ जो महिला दल है, उसमें वो सब अनुभवी महिलाएँ हैं; जो सब मिलकर अपने-अपने अनुभवों के आधार पर विचार विनिमय करके भारत के लिये—उस भारत के लिये जो संसार का सबसे बड़ा प्रजातंत्रीय राज्य है—साक्षरता प्रसार का एक उपयोगी कार्यक्रम बना सकेंगी। आप में से हरेक क्षेत्र में काम करने का अनुभव रखती हैं और अपने-अपने क्षेत्र की नेता हैं। आप यहाँ से जो अनुभव ले जायेंगी, उनका प्रकाश आपके द्वारा सारे समाज में पहुँचेगा।

आईये अब हम अपने मन, अपने स्वास्थ्य, अपने हाथ और अपनी बुद्धि को काम में लायें। मन-बुद्धि और हाथ अर्थात् इच्छा, ज्ञान और कर्म के सम्मलित प्रयास से गोष्ठी के उद्देश्य को पूरा करें। आज सामाजिक कार्यकर्ताओं का दिन है और सभी सामाजिक कार्यकर्ता शिक्षकों के साथ मिलकर समाज को नया जीवन दे सकते हैं, जो अधिक सुखपूर्ण और समृद्धशाली होगा। कार्यशील पुरुष और महिलाएं ही समाज में यह परिवर्तन ला सकते हैं। संसार का मानव आज दो भागों में बटा हुआ जान पड़ता है, एक वह जो दूसरों का कल्याण चाहते हैं और दूसरा वह जो दूसरों की परवाह नहीं करते हैं। वास्तव में यह कोई नई बात नहीं है, यह तो पहिले भी कई बार कही जा चुकी है और मुझे विश्वास है कि हम अपना दायित्व समझते हैं और हमें क्या करना है, यह जानते हैं। एडविन मार्खम ने बड़े सुन्दर शब्दों में कहा है :—

अन्धे हैं हम सारे, यदि देख न सकें,
कि मानव विकास की योजनाओं में,
व्यर्थ है उस सब कुछ का समावेश,
मानव को जो दे न सके मानवता में प्रवेश।
क्या लाभ विशाल नगरों के निर्माणों का,
यदि मनुष्य न उन्नत हो पाया,
है व्यर्थ निर्माण सभी सुविधाओं का
यदि निर्माता न ज्ञाता उनका बन पाया।

आईये! हम सब मिलकर बहनों के मानव निर्माण की योजना को साकार तथा सार्थक बना दें।

7

वर्गों में विचार-विनिमय की कार्रवाई का विवरण

वर्ग 1.

अध्यक्ष : डा. (श्रीमती) सरोजिनी वार्ष्णेय,
कार्रवाई लेखक : श्रीमती सुनन्दा मैत्रा,

वर्ग 2.

अध्यक्ष : श्रीमती सी. के. डांडिया।
कार्रवाई लेखक : कुमारी संतोष चोपड़ा।

वर्ग 3.

अध्यक्ष : डा. (श्रीमती) हेलन बट्ट।
कार्रवाई लेखक : श्रीमती सूसी कोशी।

वर्ग 4.

अध्यक्ष : श्रीमती शारदा सरवा।
कार्रवाई लेखक : श्रीमती एम. के. मुखर्जी।

विषय बिन्दु—१

समाज के परिवर्तनशील रूप में महिलाओं में सक्रीय योगदान देने की सामर्थ्य पैदा करने के लिये साक्षरता का स्तर क्या होना चाहिये।

वर्ग–1

वर्तमान युग यांत्रिक कला प्रगति का युग है, जिसमें सफलता पाने के लिये जीवन के हर पहलू में परिवर्तन की आवश्यकता है। इस बदलते हुए युग की मांगों को पूरा करने का एक मात्र साधन शिक्षा है। बहुअंगी सामाजिक तथा आर्थिक प्रगति के लिये प्रौढ़ शिक्षा की तीव्र आवश्यकता तथा उपयोगिता को आज सारे संसार ने माना है। साथ ही राष्ट्र विकास की कोई भी योजना अधूरी है यदि उसमें योजना सम्बन्धित क्षेत्र के महिला वर्ग की अवहेलना की गई हो। महिला घर की गृहिणी है, स्वामिनी है, इसलिये परिवर्तन पहिले उसे ही समझना और लाना होगा।

वर्ग ने महिला वर्ग की साक्षरता के दो स्तर सुझाए।

(i) प्रारम्भिक और (ii) व्यावहारिक।

इन दोनों स्तरोंका शिक्षा काल 6 मास उपयुक्त समझा गया।

प्रारम्भिक साक्षरता पाठ्यक्रम का लक्ष्य महिलाओं को पढ़ना, लिखना-सिखाना और साधारण हिसाब सिखाना होना चाहिये। यह पाठ्यक्रम 2 से 3 महीने तक के समय में पूरा हो जाना चाहिये।

पाठ्य विषय :—

(i) पढ़ाई : साधारण शब्दों को समझ समझ कर 15 से 25 शब्द प्रति मिनिट की गति से पढ़ सकना—शब्दावली 300 से 400 शब्द।

(ii) अपना नाम और पता लिख सकना तथा साधारण वाक्यों का श्रुति लेख।

(iii) देख देखकर सुन्दर सुलेख कर सकना। सामान्य पत्र-व्यवहार तथा प्रार्थना-पत्र लिख सकना।

(iv) 100 तक की गिनती का लिखना और पढ़ना। साधारण जोड़ और बाकी।

व्यावहारिक साक्षरता पाठ्यक्रम

लक्ष्य : इस कार्यक्रम का लक्ष्य शिक्षार्थियों द्वारा पहले स्तर में सीखे गये ज्ञान को दोहराना और बढ़ाना है तथा शिक्षार्थियों में इस नये ज्ञान को अपनी निजी दैनिक जीवन की समस्याओं तथा आवश्यकताओं का समाधान करने के लिये उसके उपयोग की योग्यता पैदा करना है, जिससे वे अपने जीवन को अधिक सुखमय और उपयोगी बना सकें।

शिक्षा काल : तीन से चार महीने।

विषय वस्तु

पढ़ाई : अधिक गति से शुद्ध पढ़ सकने की योग्यता—शब्दावली 500 तथा इससे अधिक शब्द। साधारण सरल पुस्तकों का पढ़ सकना, समझ सकना ताकि जो कुछ उन पुस्तकों में पढ़ा जाये, सीखा जाये, उसे समझ कर व्यवहार युक्त किया जा सके।

लिखाई : शुद्ध रूप से पत्र व्यवहार कर सकना, मनीआर्डर फार्म का भर सकना, पारिवारिक बजट बनाना तथा हिसाब का लेखा रख सकना।

गणित : सैकड़े के स्थान तक की संख्याओं का पढ़ना लिखना तथा समझना, जोड़, बाकी, गुणा और भाग की जानकारी, दशमलव, सिक्के तथा तौल के पैमाने।

कृषि : यह विषय ग्रामीण महिलाओं के लिये विशेष महत्व रखता है। इसके द्वारा उन्हें बुवाई की नये तरीकों की, नई खादों के प्रयोग की, खाद के गड्ढे बनाने की, गृह बाटिका लगाने की, बीज रक्षा की तथा अनाज की संभाल की जानकारी मिलेगी, जो उपयोगी होगी।

दस्तकारी ज्ञान : मुर्गी पालन, मधु-मक्खी पालन, दुग्धशाला, सिलाई तथा फलों और सब्जियों के अचार, आदि का ज्ञान—ये छोटे-छोटे कुटीर उद्योग तथा दस्तकारियाँ भी उन्हें सिखाई जानी चाहियें।

इसके अतिरिक्त गृह व्यवस्था, शिशु पालन, स्वास्थ्य और सफाई, पोषण, प्रसूति विज्ञान तथा नागरिक शिक्षा आदि सब विषयों का ज्ञान साक्षरता पाठ्यक्रम में दिया जाना चाहिये।

इन सब विषयों के ज्ञान का स्तर व्यवस्थित स्कूलों की कक्षा तीन के स्तर के बराबर हो जाना चाहिये। विशेष चातुरी प्रदर्शित करने वाली महिलाओं को चुनकर थोड़ा अधिक ज्ञान देना होगा ताकि वे दूसरों का पथ प्रदर्शन कर सकें। इन महिला शिक्षार्थियों के ज्ञान के स्तर को कक्षा आठ के ज्ञान स्तर तक ले जाना होगा। यह भी सर्वमान्य है कि नगरीय महिला वर्ग को ग्रामीण महिला वर्ग से अधिक उच्च स्तरीय जानकारी की जरूरत है, क्योंकि नगरों में पढ़ाई की सुविधाएँ तथा आवश्यकता गांवों से अधिक है।

वर्ग 2

इस वर्ग के सभी सदस्यों ने यह स्वीकार किया कि प्रारंम्भ में कसी न किसी स्तर की साक्षरता प्रत्येक महिला के लिये आवश्यक है, भले ही उसका पाठ्यक्रम तथा पाठ्य विषय ग्रामीण और नगरीय महिला वर्गों के लिये उनके वातावरण और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न भिन्न हों।

सभी सदस्यों के मतानुसार वास्तविक साक्षरता कार्य आरंम्भ करने से पहिले अर्थात् पढ़ाई, लिखाई तथा गणित का शिक्षण आरम्भ करने से पहिले महिलाओं को साक्षरता की आवश्यकता तथा उपयोग की समझ दिलाने और उनमें इसके प्रति रुचि तथा मान्यता जागृत कराने के लिये कुछ आधारभूत प्रशिक्षण कार्य करना होगा।

यह आधारभूत बौद्धिक जागृति भाषणों, प्रदर्शनियों, रेडियो गोष्टियों तथा टैलीविजन कार्यक्रमों द्वारा दी जा सकती है।

जहाँ तक साक्षरता ज्ञान के स्तर का सम्बन्ध है, इसका निर्णय तो किसी परिवर्तनशील समाज में घर में और घर के बाहर महिलाओं के उत्तरदायित्व पर निर्भर होगा।

वर्तमान युग में सामाजिक कार्यों में महिलाओं का उत्तरदायित्व दिन प्रति दिन बढ़ रहा है तथा अधिक व्यापक, और बहुअंगी हो रहा है। जैसे :—

(i) महिला को एक उत्तरदायित्वपूर्ण माँ और सफल गृहिणी होना चाहिये तथा बालकों की देखरेख करने की योग्यता रखनी चाहिये।

(ii) उसमें अपनी पारिवारिक आय तथा साधनों के अनुसार गृह प्रबन्ध की योग्यता होनी चाहिये।

(iii) वह एक नागरिक भी है और नागरिक के सभी कर्त्तव्य उसे भली प्रकार निभाने चाहियें।

(iv) कभी-कभी उसे पारिवारिक आय में भी सहारा लगाने के लिये कुछ धन्धा करना होता है।

ग्रामीण अथवा नगरीय महिला वर्ग के उपरोक्त साधारण उत्तरदायित्वों को ध्यान में रखकर ही उनकी शिक्षा का एक ऐसा कार्यक्रम बनाया जाना चाहिये जो उन्हें अपने उत्तरदायित्वों को सफलतापूर्वक निभाने की योग्यता दे। इस कार्यक्रम में निम्नलिखित साधारण ज्ञान तथा कला ज्ञान होना चाहिये :—

(i) साक्षरता पाठ्यक्रम शिक्षार्थियों में पढ़ने, लिखने और हिसाब करने की योग्यता तथा अपने दैनिक जीवन की समस्याओं का संतोषप्रद समाधान करने की क्षमता पैदा करे।

(ii) इस ज्ञान द्वारा उन्हें नागरिक जीवन की उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी हो जाये तथा उनके उपयोग द्वारा उनमें उन्नत जीवन व्यतीत करने की रुचि जागृत हो।

(iii) साक्षरता पाठ्यक्रम द्वारा उन्हें गृह-विज्ञान तथा गृह प्रबन्ध की जानकारी प्राप्त हो ताकि वे अपने घरों का संचालन बेहतर तरीके से कर सकें और अपने आर्थिक साधनों के अन्दर रह कर ही जीवन को सुख पूर्ण बना सकें।

(iv) उन्हें स्वास्थ्य, सफाई, मातृत्व कला, रोगी सेवा तथा प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान मिलना चाहिए।

(v) सिलाई, बुनाई, रंगाई, कसीदा और चित्रकारी; साबुन और चाक बनाना; ऐसी साधारण घरेलू कलाओं का ज्ञान भी

उन्हें दिया जाना चाहिए। इससे पढ़ाई अधिक रुचिकर और उपयोगी हो जायेगी।

(vi) उन्हें नागरिक विज्ञान की शिक्षा भी मिलनी चाहिए ताकि वे उपयोगी नागरिक बनकर प्रजातन्त्रीय ढ़ाँचे में अधिक क्रियाशील योगदान दे सकें और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए साधारण स्कूलों की तरह प्रौढ़ शिक्षार्थी के लिये साक्षरता का स्तर किसी विशेष कक्षा के अनुसार नहीं रक्खा जा सकता। परन्तु यह ऐसा होना चाहिए कि कोई भी प्रौढ़ महिला शिक्षार्थी उसे सफलतापूर्वक पूरा कर लेने के बाद अपने घरों और बाहर के उत्तरदायित्वों को स्वयम् ही विश्वास के साथ सफलतापूर्वक निभा सके और इस प्रकार समाज का एक उपयोगी अंग बन सके।

साथ ही साक्षरता का यह स्तर ऐसा भी होना चाहिए कि वह आसानी से पढ़ते लिखते रहने का अभ्यास जारी रख सकें और वापिस निरक्षर न हो जायें।

इसके लिये प्रारम्भिक साक्षरता के कार्यक्रम की समाप्ति पर व्यावहारिक साक्षरता का कार्यक्रम आरम्भ हो जाना चाहिये। यह इस स्तर का अवश्य हो कि शिक्षार्थी में साधारण ज्ञान की पुस्तकों को पढ़ने और समझने समझाने की योग्यता आ जाये और वे वर्तमान गतिविधियों को समझ सकें और समझा सकें।

वर्ग 3

साक्षरता का स्तर

वर्ग के सदस्यों ने विषय विचार पत्र में दिये गये तत्सम्बन्धित संकेतों पर विचार किया और साक्षरता के स्तर के सम्बन्ध में बातचीत के आधार पर उन्होंने निर्णय किया कि इस समस्या के स्पष्टतया दो निम्न पहलू हैं :—

(1) केवल पढ़ने लिखने की योग्यता जिसमें पढ़ने की गति, वाक्य की लम्बाई, विषय संदर्भों की लम्बाई तथा मिले जुले संयुक्त अक्षरों को पहचान कर पढ़ने लिखने की योग्यता शामिल हैं।

(2) स्तर का संबन्ध व्यावहारिक उपयोगिता से हैं।

वर्ग के सदस्यों ने स्तर का निर्णय लेने में दूसरे सिद्धान्त अर्थात् स्तर का सम्बन्ध व्यावहारिक उपयोगिता के आधार पर मानने का निश्चय किया। इन दोनों सिद्धांतों के आपसी सम्बन्ध पर विचार करते हुए मत प्रगट किया कि यदि व्यावहारिक उपयोगिता के आधार पर साक्षरता का स्तर निश्चय किया जाये, तो पहला सिद्धान्त जो केवल साधारण पढ़ाई लिखाई ज्ञान से सम्बन्धित है, वह भी पूरा हो जायेगा।

जहाँ तक व्यावहारिक सिद्धान्त का सम्बन्ध है, महिलाओं में निम्न-लिखित योग्यता होनी चाहिये :—

(i) साधारण संकेतों, आदेशों तथा हिदायतों को पढ़ने समझने की योग्यता।

(ii) लिखित रूप में अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकने की योग्यता।

(iii) अपने दैनिक जीवन में इन दो योग्यताओं के प्रयोग को साधारण जीवन के नियम मान लेने की समझ।

जहाँ तक पढ़ लेने की योग्यता का सम्बन्ध है :—

(i) वर्ग के कुछ सदस्यों का मत था कि प्रौढ़ शिक्षार्थियों में पढ़ सकने की इतनी योग्यता आ जानी चाहिए जितनी कि सामान्य स्कूलों की चौथी पाँचवीं कक्षा के विद्यार्थियों में आ जाती है।

(ii) शिक्षार्थियों को छपी हुई पुस्तकों में सम्पूर्ण भाषा लिपि का ज्ञान हो जाना चाहिये।

(iii) शिक्षार्थियों को पढ़ने लिखने और पढ़े या लिखे हुए को समझने का ज्ञान हो जाना चाहिये, साथ ही उस ज्ञान को अपने निजी अनुभवों से सम्बन्धित करने की समझ भी आ जानी चाहिये।

वर्ग 4

इस वर्ग ने साक्षरता कार्य क्रम को तीन स्तरों अथवा कार्यक्रमों में बाँटा।

पहला स्तर :—आधारभूत अथवा प्रारम्भिक साक्षरता—वर्ग के सदस्यों ने श्रीमती त्रिवेदी द्वारा बताए गये साक्षरता के स्तर को स्वीकार किया, परन्तु इस स्तर का शिक्षा काल वर्ग के सदस्यों की राय में तीन से चार महीने तक की बजाय छः महीने होना चाहिये।

इस वर्ग के सदस्यों की राय थी कि यदि हम साक्षरता प्रसार के कार्यक्रम के शीघ्रातिशीघ्र ठोस और उपयोगी परिणाम चाहते हैं, तो उपरोक्त पहले स्तर की साक्षरता 14 से 45 वर्ष के आयु वर्ग की सभी महिलाओं के लिए अनिवार्य कर देनी चाहिए।

दूसरा स्तर : (अथवा कार्यक्रम सं० 2)

इस स्तर में सभी महिलाओं के लिए, चाहे वह ग्राम निवासी हों अथवा नगर निवासी, एक नौ महीने की अवधि का मौलिक व्यावहारिक साक्षरता का कार्यक्रम होना चाहिये जिसमें गृह प्रबन्ध, शिशु पालन, नागरिक विज्ञान तथा हस्तकला ज्ञान विषयों का अध्ययन कराया जाना चाहिए।

जहाँ तक ग्रामीण महिलाओं का सम्बन्ध है, इस व्यावहारिक साक्षरता का आधार कृषि ज्ञान तथा कृषि सम्बन्धी अन्य बातें अथवा ग्रामीण कुटीर उद्योग होना चाहिये।

वर्ग के सदस्यों ने ग्रामों में सहकारी समितियों के कार्य तथा उपयोग के शिक्षण को भी व्यावहारिक साक्षरता कार्य क्रममें जोड़ देना उचित समझा।

जहाँ तक साक्षरता ज्ञान के स्तर का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में वर्ग के सदस्यों ने श्रीमती त्रिवेदी के मत को माना। कृषि सम्बन्धी तथा कुटीर उद्योगों में, यदि कच्चे माल की उपलब्धि, शिक्षित जनशक्ति (योग्य शिक्षक) तथा बने माल की निकासी की सुविधाएँ मिल जायें, तो ग्रामीण तथा नगरीय महिलाओं के लिए अंश कालीन प्रशिक्षण के कार्यक्रमों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

तीसरा स्तर (सतत शिक्षा)

इस वर्ग का मत था कि शिक्षा प्राप्ति एक सतत कार्यक्रम है, इस लिये तीसरे स्तर में, सामान्य ज्ञान की शिक्षा सभी महिलाओं को मिलती रहनी चाहिए। प्रत्येक सदस्य ने यह स्वीकार किया कि महिलाओं के लिए साक्षरता ज्ञान का उपयोगी स्तर प्राप्त कर लेने के लिये क्रियात्मक तथा व्यावहारिक कार्यक्रम ही सफल हो सकते हैं।

विषय बिन्दु—२

महिला-वर्ग के लिये साक्षरता कार्यक्रम की व्यवस्था में बाधाएँ।?

अधूरी पढ़ाई छोड़ कर बैठ जाने के कारण ?

इन कारणों को दूर करने के उपाय ?

वर्ग 1

साक्षरता कार्यक्रम की व्यवस्था के मार्ग में हमारे देश में अनेक बाधाएँ हैं। इन में से कुछ इस प्रकार हैं :—

(1) साक्षरता प्राप्ति की इच्छा तथा उसके प्रति प्रेरणा का अभाव,

(2) पुराने परम्पराएँ रसम व रिवाज,

(3) अवकाश का अभाव,

(4) पारिवारिक व्यवहार,

(5) योग्य शिक्षकों की कमी तथा अनुपयुक्त शिक्षण विधियाँ,

(6) उत्तर साक्षरता काल में उचित पाठ्य सामग्री का अभाव,

(7) उच्च वर्गों में साक्षरता कार्यक्रम के प्रति उदासीनता,

अधूरी पढ़ाई छोड़ कर बैठ रहने की समस्या पर भी वर्ग में विचार किया गया और इस समस्या के निम्नलिखित कारण सामने आये :—

(1) शिक्षण समय तथा स्थान की प्रतिकूलता।

(2) पाठ्य विषय तथा शिक्षण पद्धति की अरोचकता।

(3) शिक्षार्थियों की अस्वस्थता तथा पारिवारिक संकट।

साक्षरता की प्रगति के मार्ग में से इन बाधाओं को दूर करने के उपायों पर विचार विनिमय करके निम्नलिखित सुझाव दिये गए :—

(1) प्रौढ़ साक्षरता शिक्षक को अपनी योग्यता तथा चातुरी से शिक्षार्थी महिलाओं का विश्वास प्राप्त करना चाहिए।

(2) साक्षरता प्राप्ति के फलस्वरूप कुछ आर्थिक लाभ की उपलब्धि बड़ी प्रेरणादायक होगी।

(3) शिक्षण समय का निश्चय शिक्षार्थियों की सुविधा के अनुसार होना चाहिये।

(4) साक्षरता के शिक्षक सब प्रशिक्षित होने चाहिएँ तथा स्थानीय वातावरण से सर्वथा परिचित।

(5) शिक्षा के सहायक श्रव्य दृश्य साधनों के प्रयोग से शिक्षण-कार्य को रोचक बनाना चाहिए।

वर्ग 2

महिला वर्ग में साक्षरता प्रसार का कार्यक्रम हमारे देश में व्यवस्थित रूप से पिछले दो दशकों से चल रहा है। क्षेत्र में कार्य करने वाले कार्य-कर्ताओं को इसके सफल संचालन में तथा महिला शिक्षार्थियों को इस में सम्मिलित होने के लिए आकर्षित करने में अनेक कठिनाईयाँ हो रही हैं। उनका अनुभव है कि आरम्भ में तो महिलाएँ इस कार्यक्रम में बड़ा उत्साह दिखाती हैं परन्तु कुछ समय के बाद उनकी रुचि कम हो जाती है और वे कक्षाओं में आना बन्द कर देती हैं। अधूरी पढ़ाई छोड़कर इस प्रकार बैठ रहने के अनेक तथा विभिन्न कारण हैं।

इस वर्ग के सदस्यों का मत था कि आरम्भ में शिक्षार्थियों को कक्षा में लाने तथा उसके बाद साक्षरता के प्रति उनके उत्साह को बनाये रखने का काम प्रौढ़ शिक्षा कार्यकर्ताओं के लिये बहुत कठिनाईयाँ उपस्थित करता रहा है। इसके निम्नलिखित कारण हैं:—

(1) मनोवैज्ञानिक,

(2) वातावरण सम्बन्धी,

(3) सामाजिक,

(4) आर्थिक,

(5) शासकीय, तथा

(6) शिक्षण-विधि और शिक्षण सामग्री सम्बन्धी।

1. मनोवैज्ञानिक

प्रौढ़ महिला के जीवन का एक अपना सिद्धान्त है और वह अपने ही सिद्धान्त को समझती है, जो उसे अपनी पैतृक परम्परा से मिला है। इसलिये वह आसानी से नई बातों को नहीं मानती और नहीं अपनाती। उनके प्रति उदासीन हो जाती है। उसमें आत्माभिमान की भावना भी है और दूसरों को अपनी नासमझी जिताने में झिझकती है। परिवार में माँ अथवा बहन अथवा वयोवृद्ध सदस्य होने के नाते उसका एक महत्वपूर्ण स्थान है और इस लिये बालकों के करने का काम वह नहीं करना चाहती। महिलाएँ यह भी समझती हैं कि आयु अधिक हो जाने से वे अब पढ़ाई सीख नहीं सकेंगी। यही कुछ कारण हैं जिनकी वजह से प्रौढ़ महिलाएँ साक्षरता कक्षाओं में आने से झिझकती हैं।

2. वातावरण सम्बन्धी

महिलाओं को परिवार में, घर में तथा अपने अड़ोस पड़ोस में शिक्षा का वातावरण नहीं मिलता, इसलिए उन्हें शिक्षा प्राप्ति की आवश्यकता तथा उसके लाभ का ज्ञान नहीं होता।

3. सामाजिक

(i) कुछ सामाजिक अन्धविश्वासों तथा रूढ़ियों के कारण वे घर से बाहर नहीं जातीं। परिवार की, बालकों तथा घर-बार की जो देख-रेख उन्हें करनी पड़ती है, उसमें उनका सब समय लग जाता है और उन्हें अवकाश नहीं मिलता। परिबार और समाज में उनका दायित्व बालकों के दायित्व से बहुत अधिक है। उन्हें अपना बहुत सारा समय सामाजिक पर्वों को मनाने तथा रीति-रिवाजों को पूरा करने में बीत जाता है।

(ii) महिलाएँ साधारणतया दूसरी जाति की महिलाओं के साथ मिलना जुलना नहीं चाहतीं। अनेक रूढ़ियाँ उनके मन में समाई रहती हैं।

4. आर्थिक

बहुत सी महिलाएँ कमाई के धन्धों में लगी हुई होती हैं। वे इस कमाई को छोड़कर साक्षरता ज्ञानोपाजर्न में समय नहीं लगाना चाहतीं विशेषकर जब कि उस कार्यक्रम से कोई आर्थिक लाभ की आशा नहीं है।

5. शासकीय

कुछ शासकीय कारणों से भी साक्षरता कक्षाओं में महिलाओं की उपस्थिति कम हो जाती है, उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :—

1. सुयोग्य प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी।

2. शिक्षकों के वेतनमान की न्यूनता।

3. उपयुक्त पाठ्य सामग्री का अभाव।

4. शिक्षकों के कार्य का व्यवस्थित निरीक्षण न होना। केवल आँकड़ों पर ही अधिक बल दिया जाता है, इसलिये कभी कभी शिक्षक झूठे आँकड़े भेज कर प्रगति संतोषजनक दिखा देते हैं।

5. साक्षरता कक्षाओं के चलाने के लिए उचित स्थान की अनुपलब्धि।

6. साक्षरता की जो शिक्षण-विधि शिक्षक प्रयोग में लाते हैं, वह नीरस तथा अरुचिपूर्ण होती हैं। शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन की समस्याओं से उस का कोई सम्बन्ध नहीं होता

7. साक्षरता ज्ञान पर ही अर्थात् पढ़ाई, लिखाई तथा हिसाब के शिक्षण पर ही अधिक बल दिया जाता है। महिलाओं के लिए और अधिक उपयोगी विषयों का शिक्षण जैसे गृह विज्ञान, कृषि, बागबानी, सिलाई, कटाई, बुनाई, रफूगरी तथा वस्त्रों की मरम्मत, नागरिकता, स्वास्थ्य व सफाई, परिवार नियोजन तथा परिवार ज्ञान आदि विषयों का शिक्षण नहीं होता, न ही हमारे शिक्षकों को इन विषयों का ज्ञान होता है।

अधूरी पढ़ाई छोड़कर बैठ रहने के कारण

1. आज के युग में हर महिला के ऊपर परिवार के घरेलू काम का बोझ बढ़ता जा रहा है और वह अपनी घरेलू तथा आर्थिक समस्याओं में उलझी रहती है। इसलिए दिन प्रति दिन उसे कम अवकाश मिल रहा है।

2. महिलाओं की प्रगति में पुरुष बिल्कुल रुचि नहीं रखते। पुरुषों का यह असहयोग महिलाओं को हतोत्साहित कर देता है। यदि पुरुष उनकी शिक्षा प्राप्ति पर उनके प्रति संतुष्ट और प्रसन्न हों, तो वे अवश्य पढ़ाई जारी रखेंगी।

3. शिक्षक की अपने काम के प्रति उदासीनता भी शिक्षार्थियों द्वारा अधूरी पढ़ाई छोड़ कर बैठ रहने का एक कारण है। यदि शक्षक को

स्वयम् ही अपने काम में रुचि नहीं है, तो वह शिक्षार्थियों के लिये कक्षा के वातावरण तथा विषय के शिक्षण को कैसे रुचिकर बना सकता है।

4. पढ़ने के लिए कोई विशेष प्रेरक आकर्षणों का अभाव भी एक कारण है। महिला शिक्षार्थी पढ़ाई लिखाई तथा गणित शिक्षण जैसे शुष्क और नीरस कार्यक्रम में मन नहीं लगा पाती; वे कोई और अधिक रोचक क्रियात्मक, उपयोगी तथा संतोषजनक कार्य करना चाहती हैं।

5. शिक्षक का व्यक्तित्व भी कक्षा को नियंत्रण में रखने में बहुत सहायक होता है।

6. प्रौढ़ महिलाएँ जब पढ़ने आती हैं, तो उस पढ़ाई से कुछ आर्थिक लाभ की प्राप्ति की आशा करती हैं। जब शिक्षण कार्यक्रम तथा पाठ्यक्रम उनको आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए कोई प्रशिक्षण नहीं देता, तो वे निराश हो जाती हैं।

7. अस्वस्थता तथा प्रसूति काल भी कभी-कभी अधूरी पढ़ाई छोड़ कर बैठ रहने का कारण होते हैं।

यदि प्रौढ़ शिक्षा के कार्य क्रम तथा पाठ्य क्रम को शिक्षार्थी के दैनिक जीवन कार्य से सम्बद्ध कर दिया जाये तो उसे कुछ ऐसी उपयोगी हस्तकलाओं का शिक्षण मिल जायेगा, जिन के द्वारा उसमें अपनी पारिवारिक आय को कुछ बढ़ा लेने की योग्यता आ जायेगी और इस प्रकार महिलाओं का साक्षरता ज्ञान प्राप्ति के प्रति उत्साह बढ़ेगा। उन्हें प्रेरणा मिलेगी और पढ़ाई अधूरी छोड़ कर बैठ रहने वालों की संख्या कम हो जावेगी।

वर्ग 3

इस वर्ग के विचार में इन समस्याओं के मुख्य केन्द्र तीन हैं :—

(i) शिक्षार्थी।

(ii) शिक्षक।

(iii) पाठ्य विषय तथा पाठ्य विधि।

1. शिक्षार्थी

सामाजिक वातावरण महिला वर्ग की साक्षरता के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए हमें सीमित रूप से काम आरम्भ करके ही संतुष्ट रहना चाहिये। आरम्भ के शिक्षार्थी बाद में दूसरों के लिये नमूना बनेंगे और दूसरों को प्रोत्साहन देंगे। इस प्रकार यह कार्यक्रम फैलता जायेगा।

अव्यवस्थित कक्षाओं में सप्ताह में तीन दिन काम करने पर भी उपस्थिति सुधर जाये, तो ठीक समझना चाहिए।

कक्षाओं का समय दिन में शिक्षार्थी महिलाओं की सुविधा के अनुकल होना चाहिए और वर्ष के उन दिनों में कक्षाएँ लगनी चाहिए, जिनमें महिला शिक्षार्थी कक्षा में उपस्थित हो सकें। कक्षा का स्थान भी उनकी सुविधा के अनुसार ही आकर्षक होना चाहिये।

जहाँ सम्भव हो सके, वहाँ युवा महिलाओं के लिये प्रौढ़ और वृद्ध महिलाओं से अलग कक्षाएँ लगनी चाहियें।

गोष्ठी के इस वर्ग के सदस्यों के मतानुसार साक्षरता के बाद अथवा अर्धशिक्षित महिलाओं के शिक्षण के लिए पढ़ाई जारी रखने के लिये सतत शिक्षा के कार्यक्रम की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि जो इस सुविधा का उपयोग करना चाहें, कर सकें। फिर भी हमारा मुख्य लक्ष्य तो उन करोड़ों निरक्षर महिलाओं को ही साक्षर करना होगा, जो साक्षरता ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना उत्तरदायित्व पूरा करने में अधिक दक्ष हो सकेंगी।

2. शिक्षक

साक्षरता कार्य में रुचि रखने वाले सयोग्य शिक्षकों का अभाव शिक्षण कार्य की प्रगति में बहुत बड़ी बाधा है जिसका निवारण करना होगा।

इस काम के लिये स्थानीय लोगों को ही तैयार करने का प्रयत्न करना होगा।

साक्षरता कार्यक्रम को सफलतापूर्वक सम्पन्न करने के लिये शिक्षकों का विशेष प्रशिक्षण बहुत जरूरी है।

यदि शिक्षक स्थानीय अर्थात् शिक्षा केन्द्र स्थान का निवासी नहीं है, तो उसके लिये वहीं निवास की सुविधा उपलब्ध करनी चाहिये।

शिक्षक की सुरक्षा का प्रबन्ध भी यथा साध्य करना ज़रूरी है।

शिक्षकों के कार्य का उपयुक्त निरीक्षण, उनका पथ प्रदर्शन तथा प्रोत्साहन भी अत्यन्त आवश्यक है।

3. पाठ्य विषय तथा पाठ्य विधियाँ :–

पढ़ाई अधूरी छोड़ कर बैठ रहने की आदत का सब से सुन्दर और प्रभावशाली उपाय रुचिपूर्ण शिक्षण है। यह पाठ्य विषय तथा शिक्षण पद्धति एवम् युक्ति पर निर्भर है।

वर्ग के सदस्यों के मतानुसार पाठ्य विषय का निश्चय महिला शिक्षार्थियों की दैनिक जीवन की आवश्यकताओं तथा उनकी रुचियों के आधार पर किया जाना चाहिये।

शिक्षण पद्धति प्रौढ़ों की बौद्धिक प्रवृत्तियों तथा सीखने की मनोवृत्तियों के अनुकूल होनी चाहिये।

पढ़ाई का कार्य इस प्रकार करना चाहिये कि शिक्षार्थी को हर समय अपनी प्रगति का आभास होता रहे।

उपरोक्त कुछ सुझाव साक्षरता कार्यक्रम की व्यवस्था के मार्ग की कुछ बाधाओं को दूर करने में सहायक होंगे।

शिक्षण कार्यक्रम को आगे जारी रखने में मुख्य बाधा अवकाश तथा अवसर के अभाव की है।

इसके लिये और अधिक पुस्तकालय खोलने होंगे। सतत शिक्षा के कार्यक्रम और बढ़ाने होंगे और उपयुक्त पाठ्य सामग्री के बराबर मिलते रहने का विश्वस्त प्रबन्ध करना होगा।

वास्तव में यह समाज में एक ऐसा वातावरण पैदा करने का प्रश्न है, जिसमें समाज नवसाक्षरों के प्रति अपने दायित्व को समझ सके।

वर्ग 4

इस वर्ग के सदस्यों के मतानुसार अधूरी पढ़ाई छोड़ कर बैठ रहने का एक मुख्य कारण शिक्षक तथा महिला शिक्षार्थियों के लिये कार्यक्रम में प्रोत्साहन तथा आकर्षण का अभाव है। इस तथ्य को भली प्रकार समझ कर इसका उपाय करना होगा और जितना शीघ्र यह हो सके, उतना ही अच्छा होगा।

वर्ग के सदस्यों के मतानुसार सुयोग्य निरीक्षकों का अभाव सुयोजित प्रौढ़ साक्षरता कार्य के प्रभावपूर्ण संचालन में बहुत बड़ी बाधा उपस्थित करता है। इस प्रकार सभी कार्यक्रम असफल हो जाते हैं, यदि सुचारू रूप से चलाये न जायें और बाद में उनका व्यवस्थित रूप से समय-समय पर लगातार निरीक्षण न हो।

इस वर्ग के सदस्यों ने प्रौढ़ महिला वर्ग के लिये साक्षरता कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिये सुझाव दिया कि इस काम की सफलता के लिये समाज को सभी आर्थिक, भौतिक तथा मानवीय साधनों को यथा साध्य काम में लाना चाहिये।

जो शिक्षक इस कठिन कार्य में लगे हैं, उनकी आर्थिक, सामाजिक तथा व्यावसायिक सुरक्षा का प्रबन्ध करना अनिवार्य है। यदि हम वास्तव में मन से साक्षरता आन्दोलन की सफलता चाहते हैं, तो यह प्रबन्ध करना बहुत जरूरी है। इसके बिना हम कितना भी और प्रयत्न करें, हमें साक्षरता प्रसार में सफलता न मिलेगी।

शिक्षकों को ही नहीं, प्रौढ़ महिला शिक्षार्थियों को भी आर्थिक लाभ की प्रेरणा की अत्यन्त आवश्यकता है। जहाँ तक सम्भव हो, साक्षरता पाठ्यक्रम में शिल्पकला शिक्षण का समावेश अवश्य होना चाहिये, ताकि जो महिलाएँ इस कार्यक्रम में भाग लें, वे पढ़ाई पूरी करने के बाद या तो कहीं काम पा सकें या स्वयम् ही कुछ ऐसी वस्तुएँ बना सकें, जो बेची जा सकें।

विषय विचार पत्र में देश नेताओं की इस कार्यक्रम में रुचि के बारे में जो बातें कही गई हैं, उस सम्बन्ध में वर्ग के सदस्यों ने विचार व्यक्त करते हुए खेद प्रगट किया क्योंकि उनकी राय में नेताओं को महिला वर्ग की प्रगति के अतिरिक्त और अधिक महत्व की अनेक बातों की चिन्ता रहती है।

उन्होंने मत प्रगट किया कि कहना तो बहुत आसान है, परन्तु सच्चे और कर्त्तव्य परायण कार्यकर्त्ताओं का मिलना बहुत कठिन है। फिर भी वर्ग के सदस्यों ने आशा प्रगट की कि लिखित अथवा मौखिक रूप में इस संकट को मिटाने का कुछ वैधानिक उपाय किया जा सकेगा।

वर्ग के सदस्यों ने आशा प्रगट की कि केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार समिति में श्रीमती देशमुख ने जो महत्वपूर्ण सुझाव दिये है और इस कार्य को राष्ट्रीय सेवा योजना का अंग बना लेने की सिफारिश की है, उस से इस प्रयोजनार्थ सरकारी अनुदान भी मिल जायेगा और सभी ऐच्छिक संस्थाएँ इस अवसर का लाभ उठा कर अपने-अपने क्षेत्र में साक्षरता प्रसार कार्य को बढ़ा सकेंगी ।

विषय बिन्दु ३

महिला वर्ग की साक्षरता के पाठ्य विषय कौन से हों?
तथा
इनविषयों के अतिरिक्त प्रौढ़ शिक्षा के पाठ्यक्रम में और कौन से विषय बढ़ाये जाने चाहियें ?

वर्ग 1

इस वर्ग के सदस्यों का मत था कि प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम आरम्भ करने से पहिले प्रौढ़ों में इसके प्रति रुचि तथा उत्साह जागृत करने के लिये कुछ प्रभावपूर्ण उपयोगी कार्यक्रम होने चाहियें।

विषय विचार पत्र में दिये गये तत्सम्बन्धित सुझावों से वर्ग के सदस्य सहमत थे। अर्थात् प्रौढ़ महिलाओं की साक्षरता के विषयों का सम्बन्ध उनके घर परिवार के दायित्वों से होना आवश्यक है। पढ़ाई, लिखाई तथा गणित शिक्षा के साथ-साथ गृह प्रबन्ध तथा घरेलू दस्तकारी की शिक्षा भी महिला साक्षरता के पाठ्य विषय होने चाहियें। शिशु पालन, पोषण ज्ञान, स्वास्थ्य तथा सफाई ज्ञान, प्राथमिक चिकित्सा, साधारण उपचार के साधन तथा परिवार नियोजन आदि सब विषयों की शिक्षा साक्षरता के पाठ्य विषय होने चाहियें।

कुछ आय वृद्धि के साधनों अथवा कलाओं की शिक्षा पारिवारिक आय को बढ़ाने के लिये जरूरी है।

लोक गीत, चित्रपट, प्रदर्शन तथा अन्य शिक्षाप्रद मनोरंजन के साधनों को भी साक्षरता पाठ्यक्रम में उपयुक्त स्थान मिलना चाहिये।

सदस्यों के मतानुसार महिला साक्षरता के पाठ्य विषयों का निश्चय स्थानीय वातावरण पर बहुत निर्भर करेगा। इसीलिये ग्रामीण क्षेत्रों और नगरीय क्षेत्रों का पाठ्यक्रम भिन्न-भिन्न होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षण पाठ्यक्रम कृषि ज्ञान पर केन्द्रित होगा और नगरीय क्षेत्रों में उपभोगता केन्द्रित।

इस वर्ग में साक्षरता के द्वितीय स्तर पर विचार-विमर्श हुआ और उसके अनुसार वर्ग के सदस्यों ने निश्चय किया कि दूसरे स्तर के कार्यक्रम का लक्ष्य पहले स्तर में किये गये कार्यक्रम से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसे और पक्का करना है। पढ़ाई लिखाई जो पहले स्तर में सीखी, अब उसे व्यवहार में प्रयोग करना सीखना चाहिये। सरल पुस्तकों तथा समाचार पत्रों का पढ़ना, दैनिक जीवन की सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं का समझना और उनके हल ढूँढना, यह सब योग्यता दूसरे स्तर में आ जानी चाहिये।

वर्ग के सदस्यों ने विषय विचार पत्र में दिये गये सुझाव को मानते हुए मत प्रगट किया कि कुछ अधिक चतुर तथा उत्साही महिला शिक्षार्थियों को सतत शिक्षा के कार्यक्रम के लिये चुन लेना जरूरी है, ताकि वे दूसरों के लिये नमूना बन सकें, उनको प्रोत्साहन दें और उनका मार्ग-दर्शन करें।

वर्ग 2

इस वर्ग के सदस्यों के मतानुसार महिला वर्ग की साक्षरता के पाठ्य विषय ऐसे होने चाहियें, जिनका ज्ञान प्राप्त करके महिलाएँ अपने विभिन्न दायित्वों को भली प्रकार पूरा कर सकें और बदलते युग में जो नई चुनौतियाँ उनके सामने आ रही हैं, उनको सफलतापूर्वक सम्पन्न करने की योग्यता पा सकें। इसलिये साक्षरता कार्यक्रम के पाठ्य विषयों का सम्बन्ध महिलाओं द्वारा किये जाने वाले विभिन्न कार्यों से होगा। अर्थात् साक्षरता ज्ञान से उन्हें पढ़ाई, लिखाई और गणित का ज्ञान हो जाना ही काफी नहीं है, बल्कि इसके अतिरिक्त उनमें बदलते हुए समय की मांग को पूरा करने की योग्यता पैदा करना भी है, ताकि वे एक उपयोगी तथा समृद्धशाली जीवन व्यतीत कर सकें। इस प्रकार साक्षरता ज्ञान का उनके सामाजिक दायित्वों, आवश्यकताओं और समस्याओं से सांमजस्य हो जाने पर ही साक्षरता कार्यक्रम उनके लिये वास्तव में सार्थक हो सकता है।

साक्षरता शिक्षा के पाठ्य विषय ऐसे हों जो नवशिक्षार्थियों को, यदि वे चाहें तो, आगे शिक्षा जारी रख कर अधिक योग्यता प्राप्त करते रहने में सहायक हों।

यह विषय ऐसे भी होने चाहियें, जिस से शिक्षार्थियों को आगे पढ़ते रहने की प्रेरणा मिले और उसकी चाह जागृत हो जाये।

प्रौढ़ महिला वर्ग की साक्षरता के पाठ्य विषय निर्धारित करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है—

(1) विषय ज्ञान प्राप्ति से शिक्षार्थियों में अपेक्षित सामाजिक परिवर्तनों की समझ तथा उनसे जीवन का सांमजस्य उपस्थित करने की योग्यता आनी चाहिये ।

(2) विषय ज्ञान से उनके जीवन के सामाजिक, आर्थिक, नैतिक तथा नागरिक पक्ष विकसित हो जायें ।

(3) विषय ज्ञान से उनकी कार्यदक्षता बढ़ जाये तथा उनमें क्रियात्मक मनोरंजन पूर्ण ढंग से अवकाश का सदुपयोग करने की योग्यता आ जाये ।

इन तथ्यों को ध्यान में रख कर महिला वर्ग की साक्षरता का पाठ्यक्रम निम्नलिखित होना चाहिये :—

1. दैनिक जीवन में उपयोगार्थ गणित के चार साधारण सिद्धान्तों का ज्ञान। घरेलू हिसाब रखना, बैन्क का हिसाब रखना, ब्याज लगाना तथा तौल और नाप के पैमानों का ज्ञान ।

2. सरल भाषा में लिखे हुए लेखों तथा संदर्भों का पढ़ लेना, समझ लेना । घरेलू पत्र व्यवहार तथा साधारण वाणिज्य पत्र व्यवहार ।

3. गृह प्रबन्ध तथा भीतरी सजावट ।

4. प्रसूतिपूर्व तथा जननोत्तर सावधानी, जनन ज्ञान, बाल मृत्यु के कारणों की जानकारी, बालकों के साधारण रोग तथा उनका उपचार ।

5. मानव शरीर रचना तथा विभिन्न अंगों के कार्य, प्राथमिक चिकित्सा तथा घरेलू रोगी सेवा ।

6. स्वास्थ्य तथा सफाई के साधारण नियम, सामान्य रोग और उनका घरेलू उपचार ।

7. सुनियोजित परिवार के लाभ। माता पिता के स्वास्थ्य तथा आय के अनुसार परिवार साधना ।

8. आय वृद्धि के लिये दस्तकारी ज्ञान तथा व्यय बचत के लिये कपड़ों की सिलाई, मरम्मत और रफू करने की शिक्षा, रंगाई, ड्राईक्लीनिंग, साबुन बनाना पौलिश बनाना, स्याही बनाना, बुना और गृह बाटिका शिक्षा ।

9. पारिवारिक बजट बनाना, पोषण ज्ञान, संतुलित, सस्ता और पौष्टिक भोजन। रोगियों का भोजन, (विशेषकर प्रसूतिपूर्व काल में महिलाओं के लिये)।

10. नागरिक शिक्षा, नागरिक के कर्त्तव्य और अधिकार, प्रजातंत्रीय शासनसंचालन। प्रजातंत्रीय संस्थाओं में योगदान तथा मताधिकार का उपयोग।

11. सांस्कृतिक तथा मनोरंजक कार्यक्रम जैसे समूहगान, कविगोष्ठी, कविता पाठ, लोकगीत, लोक नृत्य, परम्परागत पर्व और मेले, दस्तकारी प्रदर्शिनी, ऐतिहासिक दर्शनीय स्थानों की तथा शिक्षण यात्राओं की व्यवस्था। संसद भवन का कार्यक्रम देखना।

यह सूची सांकेतिक है। वैसे तो साक्षरता पाठ्यक्रम का निर्णय तो गांव, नगर अथवा कस्बे की स्थानीय दशा पर निर्भर करेगा और महिला शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं तथा सुविधाओं और बौद्धिक स्तर के अनुसार घटाना बढ़ाना होगा।

वर्ग 3.

वर्ग के सदस्यों ने विषय बिन्दु के दो भागों पर अलग-अलग विचार किया :—

(अ) साक्षरता शिक्षण के पाठ्य विषय क्या होने चाहियें ? इस सम्बन्ध में दो बातों पर विचार हुआ :—

(i) पाठ्यक्रम कितना होना चाहिये ? तथा

(ii) पाठ्यक्रम का केन्द्र क्या होना चाहिये ?

वर्ग के सदस्यों के मतानुसार

साक्षरता शिक्षण का मुख्य लक्ष्य साक्षरता ज्ञान पर अर्थात् पढ़ने लिखने की योग्यता पर केन्द्रित होना चाहिये। यह योग्यता इस स्तर की हो और कार्यक्रम इतना रोचक हो कि शिक्षार्थियों की रुचि इसमें बनी रहे। पाठ्य विषय महिलाओं को रुचिकर तथा नवीन ज्ञानपूर्ण होने चाहियें।

ध्यान यह भी रखना चाहिये कि नया ज्ञान इतना अधिक न हो, कि साक्षरता ज्ञान की प्रगति में बाधक हो जाये।

पढ़ने लिखने की कला सीख लेने के साथ-साथ साधारण हिसाब-किताब का सीखना भी जरूरी है।

साक्षरता की प्रारम्भिक पुस्तकों का विषय भी एक प्रकार से उत्तर साक्षरता कार्यक्रम में सीखे जाने वाले मुख्य विषयों की भूमिका ही होनी चाहिये, तभी साक्षरता को सतत शिक्षा कार्यक्रम में बदलना सुगम होगा।

विषय ज्ञान के प्रस्तुतीकरण को भाषा की अनेक शैलियों अर्थात् गद्य, पद्य, वार्तालाप तथा कहावतों का रूप दिया जाना चाहिये।

(ब) मुख्य विषयों का निर्णय शिक्षण केन्द्र के स्थानीय सामुदायिक वातावरण के आधार पर करना चाहिये।

ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में निम्नलिखित विषय एक जैसे उपयुक्त होंगे :—

(i) स्वास्थ्य, पोषण तथा परिवार नियोजन ज्ञान।

(ii) सहकारिता शिक्षा।

(iii) सामाजिक अध्ययन तथा मानव सम्बन्ध।

(iv) नागरिकता, महिलाओं के कर्त्तव्य और अधिकार।

(v) मनोरंजन।

इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नलिखित विषय और जोड़ने चाहियें :—

(i) कृषि, अन्न भंडार, भोजन सुरक्षा, पशु पालन, घरेलू दस्तकारी तथा कुटीर उद्योग।

नगर के क्षेत्रों के लिये :—

(i) नगर आवास नियम।

(ii) उपभोक्ता शिक्षा।

(iii) औद्योगिक सम्बन्ध।

(iv) कमाई के धन्धों के अवसर तथा प्रशिक्षण।

वर्ग 4.

इस वर्ग के सदस्यों का मत था कि साक्षरता पाठ्य विषय परिस्थितियों के अनुसार छांटे और चुने जाने चाहियें। सब जगह के लिये एक ही

माप दंड काम नहीं दे सकता। शिक्षण विषयों का उपयोग वास्तविक और व्यवहार युक्त होना चाहिये और इनका निर्णय लेते समय प्रौढ़ महिलाओं की सभी सीमाओं को ध्यान में रखना चाहिये।

वर्ग के सदस्यों ने विषय विचार पत्र में दिये गये विषय को उपयुक्त समझा तथा श्रीमती शीला त्रिवेदी के लेख में प्रारम्भिक साक्षरता स्तर के जो पाठ्य विषय दिये गए हैं, वह ठीक समझे गये। जहाँ तक दूसरे स्तर में शिक्षण के लिये सुझाये गये विषयों का सम्बन्ध है, 'कुछ लोगों ने इसको व्यावहारिक साक्षरता ज्ञानके लिये बहुत विस्तृत तथा व्यापक समझा। इसलिये उन्होंने इसकी व्यावहारिक तथा क्रियात्मक सम्भावना पर सन्देह किया। उनका मत था कि जो पाठ्यक्रम विषय विचार पत्र में दिये गए हैं या दूसरे कुछ साथियों ने अपने लेखों में प्रस्तुत किये हैं तथा उन पर विचार विनमय हुआ है, उससे जान पड़ता है कि उस स्तर का शिक्षण नौ महीने की अवधि में समाप्त नहीं हो सकता। सम्भवतया हम प्रौढ़ महिलाओं से, जो पहले से ही अनेक जटिल घरेलू जिम्मेदारियों का बोझ उठा रही हैं, बहुत अधिक आशाएँ रख रहे हैं।

यह सब सोच कर वर्ग के सदस्यों ने सर्व सम्मति से निश्चय किया कि साक्षरता का पाठ्यक्रम महिलाओं से अपेक्षित दैनिक जीवन के विभिन्न कार्यों में योगदान के आधार पर बनाया जाना चाहिये। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं, नगरीय महिलाओं तथा सामुदायिक नेतृत्व की क्षमता रखने वाली महिलाओं के लिये अलग अलग कार्यक्रम बनाना चाहिये। उपरोक्त तृतीय वर्ग के लिये तो विशेष प्रशिक्षण का प्रबन्ध करना होगा। इनके अर्थात् नेतृत्व के पाठ्यक्रम में प्रौढ़ तथा समूह मनोविज्ञान, सामूहिक व्यवहार तथा कार्य प्रवृत्ति, और सभा कारवाई लेखन विषयों की शिक्षा भी देनी होगी। ग्रामीण क्षेत्रों के लिये नेतृत्व के पाठ्यक्रम में जन-समुदाय में नैतिक तथा राजनैतिक जागृति और व्यापारिक भावनाओं की जागृति पैदा करने वाले विषय पढ़ाने होंगे। पंचायती राज्य तथा सहकारी संस्थाओं की कार्यविधियों का ज्ञान भी देना होगा। यह सब ज्ञान लिखित रूप में इन्हीं विषयों की पुस्तकों में अवश्य होगा परन्तु लिखित ज्ञान के साथ साथ मौखिक रूप से भी इन सब विषयों का ज्ञान इस वर्ग की महिलाओं को दिया जाना चाहिये। व्यावहारिक साक्षरता का उद्देश्य भी यही है कि शिक्षार्थी जो पढ़ना लिखना सीखें, उस ज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन में करना सीख जायें, और इस प्रकार पुस्तकों में लिखे ज्ञान को

समझकर अपनी ज्ञान की भूख को मिटाने में समर्थ हों और आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयम् करके आत्म-विश्वासी और आत्म-निर्भर हो जावें।

कुछ सदस्यों ने कम समय में समाप्त होने वाले सार रूपी पाठ्यक्रमों की उपयोगिता की सराहना की और सुझाव दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों की 14 से 40 वर्ष की आयु वर्ग की सभी महिलाओं को इन पाठ्यक्रमों का लाभ पहुँचाना चाहिये। गांवों में महिला शिक्षकों की कमी को दूर करने का यही एक मात्र उपाय है। सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता हुई कि जहां भी यह पाठ्यक्रम चल रहे हैं, वहाँ इनका शिक्षार्थियों के जीवन पर बड़ा सफल तथा उपयोगी प्रभाव हो रहा है। उन्हें साथ ही साथ समुदाय में साथ-साथ रहने की शिक्षा मिल जाती है। शिक्षा हो नहीं, अभ्यास भी हो जाता है। पाठ्यसामग्री का जहाँ तक सम्बन्ध है, उसमें इस बात पर बल होना चाहिये कि विषय शिक्षण के साथ-साथ सामाजिक उत्तरदायित्व पूर्ति का ज्ञान भी शिक्षक तथा शिक्षार्थी दोनों को होता रहे।

वर्ग के सदस्यों के मतानुसार शिक्षण काल की समाप्ति पर किसी न किसी प्रकार की मौखिक अथवा लिखित, सांकेतिक अथवा प्रस्ताव रूपी शिक्षा अवश्य व्यवस्थित रूप से होनी चाहिये और सफल शिक्षार्थियों को सरकारी मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र अवश्य मिलने चाहियें। महिलाओं को व्यावहारिक साक्षरता कक्षाओं में पढ़ाई करने की प्रेरणा देने का यह एक अच्छा साधन होगा। प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले के लिये यह एक बड़ी प्रेरक पूंजी है और प्रमाणित व्यक्ति को इसकी प्राप्ति पर बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। ऐसा होने पर समाज में शिक्षित महिलाओं का आदर होगा और वे भी अनेक कार्यों में योगदान दे सकेंगी।

विषय बिन्दु—४

प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम के लिये कौन-सी संस्थाए उपयुक्त हैं ?

वर्ग 1.

वर्ग के सदस्यों ने प्रौढ़ महिला वर्ग में साक्षरता प्रसार कार्य के लिये संस्थाओं की उपयुक्तता पर विचार करते हुए उनको दो भागों में बाँटा—

(i) राजकीय।

(ii) ऐच्छिक।

समाज कल्याण परिषदों, पंचायत समितियों, सहकारी संस्थाओं, महिला मंडलों तथा विकास खंडों द्वारा सरकारी अनुदान से अनेक प्रकार के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। गाँवों में बालकों तथा प्रौढ़ों की शिक्षा के लिये सैंकड़ों विद्यालय, लेख प्रमाण के अनुसार, चलाये जा रहे हैं, परन्तु प्रगति नाम मात्र को ही है। इससे मालूम होता है कि सरकारी कार्य पूरी धर्मनिष्ठा से नहीं हो रहा।

प्रौढ़ शिक्षा प्रसार कार्य का सम्बन्ध कई मंत्रालयों से है, जैसे शिक्षा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, समुदायिक विकास मंत्रालय तथा स्वास्थ्य मंत्रालय आदि, इसलिये कोई एक मंत्रालय भी इस कार्य की शिथिल प्रगति के लिये उत्तरदाई नहीं ठहराया जा सकता। इसलिये आवश्यक है कि प्रौढ़ साक्षरता प्रसार कार्य के लिये केन्द्रीय समाज कल्याण परिषद की तरह वैधानिक रूप से एक सशक्त परिषद का गठन किया जाये। उसके द्वारा कार्य सम्पादनार्थ धनराशि व्यय होगी और वह कार्य की प्रगति के लिये उत्तरदाई भी होगा।

इसके विपरीत ऐच्छिक संस्थाओं में काम करने की लगन और उत्साह होता है। परन्तु हमें यह देखना होगा कि उन्हें उत्साह के साथ साथ कार्य करने की जानकारी भी हो। ज्ञान रहित उत्साह भी निष्फल हो जायेगा।

ऐच्छिक संस्थाओं में काम करने वाले शिक्षकों को विषय सम्बन्धी उचित प्रशिक्षण देना होगा। विद्यालयों के शिक्षक स्वाभावतः ही प्रौढ़ों को भी बालकों की तरह परम्परागत विधि से ही पढ़ाने लगते हैं। उन्हें प्रौढ़ शिक्षण की सफल पद्धत्तियाँ सिखानी होंगी और उनके लिये प्रवेशिका, सहायक पुस्तकें तथा चार्ट आदि उपयुक्त पाठ्य सामग्री उपयोग के लिये देनी होगी।

अभी भी बहुत सारी ऐच्छिक संस्थाएँ काम कर रही हैं, परन्तु अभी तो अनेकों और चाहियें। प्रगति के इस युग में महिलाओं को आगे बढ़कर शिक्षा प्राप्त करना चाहिये। नगर में रहने वाली सम्पन्न परिवारों तथा मध्य आय वर्गों की अनेकों महिलाओं को काफी अवकाश मिलता है। उनका यह दायित्व है कि वे इस प्रकार की ऐच्छिक संस्थाएँ बनाकर उनके माध्यम से अपनी कम भाग्यशाली बहनों को पढ़ानें में अपने अवकाश का थोड़ा सा भाग लगावें। वर्ग के सदस्यों के मतानुसार राजकीय तथा ऐच्छिक संस्थाओं में कोई भेद नहीं होना चाहिये। राज्य को आर्थिक अनुदान देना चाहिये और ऐच्छिक संस्थाओं को प्रशिक्षित तथा निष्ठावान शिक्षक उपलब्ध करनें चाहियें, तब ही प्रौढ़ साक्षरता प्रसार का कार्य तीव्र गति से चलाया जा सकेगा।

वर्ग 2.

इस वर्ग के सदस्यों ने प्रौढ़ साक्षरता प्रसार कार्य में लगी हुई अनेक राजकीय तथा ऐच्छिक संस्थाओं के कार्य पर विचार किया। विशेषकर उन सस्थाओं के कार्य पर जो केवल महिला कल्याण का काम कर रहीं हैं। उनके मतानुसार ये सभी संस्थाएँ अपने अपने व्यक्तिगत ढंग से एक दूसरे से अलग अलग काम कर रहीं हैं और उनके कार्यक्रम में कोई तालमेल नहीं है। बिना उपयुक्त तालमेल के, उनके काम का मूल्यांकन करना कठिन ही नहीं पूर्णतया असंगत है।

वर्ग के सदस्यों के मतानुसार निम्नप्रकार की संस्थाएँ प्रौढ़ महिला वर्ग में साक्षरता प्रसार कार्य करने की योग्यता रखती हैं:—

(1) राजकीय।

(2) वैधानिक स्वशासित संस्थाएँ।

(3) ऐच्छिक संस्थाएँ।

राजकीय संस्थाएँ वे सरकारी संस्थाएँ हैं जो सरकार द्वारा विशेष रूप से महिला वर्ग में प्रौढ़ साक्षरता तथा कल्याण कार्य के लिये बनाई गई हैं जैसे:—

(1) राजकीय शिक्षा-विभाग।

(2) राजकीय समाज कल्याण विभाग।

(3) राजकीय विद्यालय तथा राजकीय कर्मचारी शिक्षक।

(4) सामुदायिक विकास विभाग।

(5) स्वशासित संस्थाएँ जैसे नगर निगम आदि।

वैधानिक स्वशासित तथा स्वशक्त संस्थाओं में निम्न प्रकार की संस्थाएँ उल्लेखनीय हैं:—

(1) विश्वविद्यालय।

(2) उच्चशिक्षा तथा अनुसंधान प्रतिष्ठान।

(3) केन्द्रीय समाज कल्याण परिषद।

(4) राजकीय समाज कल्याण परिषद।

(5) सहकारी समितियाँ।

(6) पंचायती राज्य संस्थाएँ।

ऐच्छिक संस्थाओं से अभिप्राय निम्न प्रकार की संस्थाओं से है:—

(1) भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ।

(2) महिला कल्याण परिषद।

(3) भारतीय समाज कल्याण परिषद।

(4) भारतीय सामाजिक तथा नैतिक स्वास्थ्य संघटन।

(5) महिला समितियाँ।

(6) स्थानीय महिला मण्डल जैसे महिला समूह।

(7) भारत सेवक समाज।

(8) नारी रक्षा समिति।

इन सभी संस्थाओं के कामों में तालमेल पैदा करने के लिये तथा दोहराव को रोकने के लिये हरेक को अपने कार्य तथा कार्यक्षेत्र का भली प्रकार स्पष्टीकरण कर देना चाहिये।

सदस्यों ने मत प्रगट किया कि इन सभी संस्थाओं के कार्य में ताल-मेल उपस्थित करने के लिये और क्षेत्र में काम करने वाली सस्थाओं का मार्ग-दर्शन तथा निर्धारण करने के लिये एक वैधानिक स्वशासित तथा स्व-शक्त केन्द्रीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद का निर्माण करना चाहिये। सदस्यों के मतानुसार बापू शताब्दी समारोहों के अर्न्तगत 1968-69 को महिला साक्षरता प्रसार वर्ष माना जाना चाहिये और इसके कार्य की रूपरेखा तथा उसके संचालन के लिये उपयुक्त मार्गदर्शन का उत्तरदायित्व भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ को सौंपा जाना चाहिये।

वर्ग 3.

इस वर्ग के सदस्यों के मतानुसार महिला वर्ग की शिक्षा के कार्य के कई पक्ष हैं:—

1. साक्षरता कार्य अर्थात शिक्षण कार्य।

2. दूसरे विकास कार्यों तथा विकास कार्य में लगी दूसरी संस्थाओं की व्यवस्था, संचालन तथा ताल-मेल स्थापना करना।

3. पाठ्य सामग्री बनाना, शोध तथा मूल्यांकन कार्य।

4. प्रशिक्षण तथा पथ-प्रर्दशन।

यह मत प्रगट किया गया कि ये भिन्न-भिन्न कार्य जुदा-जदा संस्थाओं को उनकी उपयुक्तता तथा सामर्थ्य के अनुसार सौंपे जा सकते हैं।

1. शिक्षण कार्य:—

(i) हमें केवल मात्र स्कूली शिक्षकों पर ही यह काम नहीं छोड़ देना चाहिये। फिर भी जो स्वशासित संस्थाएँ स्कूल और कालिज चलाती हैं, उन्हें प्रौढ़ शिक्षण का उत्तरदायित्य भी अपने ऊपर लेना चाहिये।

(ii) महिला मण्डलों और कन्या बालचरों जैसी ऐच्छिक संस्थाओं का सहयोग इस कार्य के लिये प्राप्त करना चाहिये।

(iii) श्रम संघ, मालिक (नियुक्ति कर्ता), कारागार, हस्पताल, उत्तर रक्षा गृह तथा महिला शिक्षा राष्ट्रीय परिषद जैसी सस्थाओं को भी इस कार्य के लिये योगदान देना चाहिये।

(iv) सामुदायिक विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, कस्तूरबा ट्रस्ट तथा खादी परिषद और ऐसी ही और संस्थाओं को भी इसमें भाग लेना चाहिये और क्षेत्र में कार्य करने के लिये उपयुक्त जनशक्ति उपलब्ध करनी चाहिये ।

2. प्रशिक्षण, शासन व्यवस्था तथा सामंजस्य उपस्थितिकरण :—

जो संस्थाएँ शिक्षक उपलब्ध करेंगी, कुछ व्यवस्था कार्य तो उन्हें स्वयम् करना होगा, परन्तु काम की योजना बनाने तथा उसमें तालमेल उपस्थित करने की भिन्न-भिन्न स्तरों पर विशेष व्यवस्था होनी चाहिये । केन्द्रीय स्तर पर केवल एक ही संस्था इस काम की सम्पूर्ण देख-रेख के लिये उत्तरदाई होनी चाहिये ।

३. पाठ्य सामग्री बनाना, शोध कार्य तथा मूल्यांकन :—

यह काम सुयोग्य और सुशिक्षित हाथों में सोंपा जाना चाहिये । इसके लिये विश्वविद्यालय, राजकीय शिक्षा संस्थान, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद और ऐसी ही दूसरी समर्थ संस्थाएँ जो इस कार्य के लिये पर्याप्त साधन रखती हैं, उनको यह कार्य करने चाहियें ।

4. प्रशिक्षण एवम् पथ प्रदर्शन :—

इस कार्य के लिये विशेष प्रशिक्षण की बढ़ती हुई आवश्यकता को समझते हुए वर्ग के सदस्यों ने मत प्रगट किया कि जो संस्थाएँ भी इस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, उन्हें अपने प्रशिक्षण के साधन तथा क्षमता को और बढ़ाना चाहिये ।

राजकीय शिक्षा संस्थानों तथा समाज कल्याण कार्य के विद्यालयों को इस सम्बन्ध में उनकी सहायता करनी चाहिये और अपने वर्तमान कार्यक्रम में प्रशिक्षण का यह कार्य भी जोड़ देना चाहिये ।

इस सारे कार्य की व्यवस्था का भार भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ को अपने ऊपर लेना चाहिये ।

वर्ग 4.

इस वर्ग के सदस्यों के मतानुसार प्रौढ़ साक्षरता का कार्य किसी वर्ग विशेष का कार्य नहीं है । इस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये परन्तु जितने भी वर्ग अथवा संस्थाएँ इस कार्य को करें, उनमें और उनके

कार्य में सुव्यवस्थित तालमेल होना आवश्यक हैं। सामुदायिक विकास योजना, समाज कल्याण, शिक्षा, चिकित्सा व स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन, उद्योग तथा सहकारिता जैसे विभागों में प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम के लिये विशेष शाखाएँ होनी चाहियें। एक और सुझाव जो इस वर्ग के सदस्यों ने दिया वह यह था कि केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों द्वारा प्रौढ़ साक्षरता कार्य सम्बन्धी जो भी नीति निर्धारणार्थ निर्णय लिये जायें, वे सब भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ तथा अखिल भारतीय महिला परिषद जैसी अखिल भारतीय संस्थाओं के माध्यम से प्रौढ़ साक्षरता क्षेत्र में कार्य करने वाली सभी संस्थाओं को पहुँचाये जाने चाहियें। इस प्रकार सभी ऐच्छिक संस्थाएँ सरकार द्वारा उपलब्ध की गई सुविधाओं से लाभ उठा सकेंगी।

वर्ग के सदस्यों के मतानुसार सभो राजकीय तथा ऐच्छिक संस्थाओं के कार्य में पूरा ताल मेल होना आवश्यक है।

इस सम्बन्ध में सुझाव दिया गया कि केन्द्रीय तथा राज्य स्तरों पर प्रौढ़ साक्षरता प्रसार कार्य में इस प्रकार के ताल-मेल के लिये प्रौढ़ शिक्षा सामंजस्य समितियाँ बनाई जानी चाहियें।

इस वर्ग के सदस्य विषय विचार पत्र में दी गई व्यवस्था से सहमत थे। प्रौढ़ साक्षरता केन्द्र सारे गांव के अथवा नगर में सारे मोहल्ले के विकास की सभी योजनाओं का केन्द्र बन जाने चाहिये। व्यावहारिक साक्षरता के पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिये केन्द्र के कार्यकर्ता को श्रमिक संघों, ग्रामीय तथा नगरीय धार्मिक तथा सांस्कृतिक संस्थाओं, और बालिका विद्यालयों तथा महिला कालिजों जैसी शिक्षण संस्थाओं का पूरा सहयोग प्राप्त होना चाहिये।

राजनीति रहित महिला कल्याण में लगे विद्वानों तथा अन्य शिक्षा विज्ञों की ऐच्छिक संस्थाएँ प्रौढ़ साक्षरता प्रसार कार्यार्थ बनाई जानी चाहियें। ऐसी संस्थाओं का लक्ष्य हमारे राजनीतिज्ञों को समाज में महिलाओं की दशा तथा आवश्यकताओं की जानकारी देना तथा महिला कल्याण के प्रति उनके उत्तरदायित्वों का ज्ञान कराना और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा देकर जन मानस को जागृत कर सारी जनशक्ति को महिलाओं के कल्याण कार्यों के लिये प्रेरित करना होना चाहिये।

8

गोष्ठी में विचारणीय विषय सम्बन्धी प्रस्तुत लेख पत्र

महिला वर्ग के लिये साक्षरता का स्तर :

(श्रीमती शीला त्रिवेदी)

समस्या का आकार

यह सर्व मान्य है, कि जब तक किसी देश की महिलाएँ निरक्षर हैं, तब तक सामाजिक प्रगति होना असम्भव है। इसलिये सर्वांगीण सामाजिक तथा आर्थिक प्रगति के लिये प्रौढ़ शिक्षा प्रसार की तीव्र आवश्यकता को आज सारे संसार ने स्वीकारा है। पिछले बीस वर्षों के प्रौढ़ साक्षरता अभियान के इतिहास से जान पड़ता है कि इस समय में हमारे देश भारत में साक्षरता की प्रगति कुल 0·7% प्रति वर्ष रही है। सारे देश में साक्षरता की दर 1947 में 15% से बढ़कर 1951 में 16·6% और 1961 में 23·7% हो पाई है।

प्रस्तुत लेख में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों की निरक्षर प्रौढ़ महिलाओं के लिये, जो साक्षरता कक्षाओं में पढ़ रही हैं, एक उपयुक्त पाठ्यक्रम का सुझाव दिया गया है। इस पाठ्यक्रम की रूप रेखा बनाने में विकास की भिन्न-भिन्न प्राथमिकताओं तथा प्रति दिन होते रहने वाले अनेक प्रयत्नों को भली प्रकार ध्यान में रक्खा गया है।

पाठ्यक्रम के लक्ष्य

1. महिलाओं को आधारभूत पढ़ाई, लिखाई तथा गणित ज्ञान की शिक्षा देना, ताकि वे इस ज्ञान का उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकें।

2. नव शिक्षित महिलाओं को पढ़ाई, लिखाई तथा गणित ज्ञान की योग्यता व्यवस्थित विद्यालयों की तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों की योग्यता के बराबर देना, तथा इस शिक्षण कार्यक्रम को उत्तरसाक्षरता कार्यक्रमों के द्वारा सतत शिक्षा का कार्यक्रम बना देना।

3. निरक्षर महिलाओं को पारिवारिक जीवन को सुखदाई बनाने के साधनों और विधियों की जानकारी देना। उन्हें चतुर गृहणी बनने में

सहायता देना, आय वृद्धि के लिये कला ज्ञान देना तथा नागरिक जीवन में योग दान की सामर्थ्य ।

पाठ्यक्रम की अवधि—शिक्षण काल—6 महीने ।

साक्षरता का कार्यक्रम दो भागों में बाँटा गया है, पहला भाग प्राथमिक साक्षरता तथा दूसरा व्यवहारोपयोगी साक्षरता ।

कार्यक्रम सं. 1.

प्राथमिक साक्षरता पाठ्यक्रम

लक्ष्य--शिक्षार्थियों को साधारण पढ़ने, लिखने तथा सरल हिसाब कर लेनें की योग्यता देना ।

समय दो से तीन महीने ।

विषय :—

—साक्षरता ज्ञान—दैनिक जीवन में इसका उपयोग ।

—पहचान ज्ञान—अक्षरों की, उनके उच्चारण की, शब्दांश तथा शब्दों की पहचान ।

—अक्षरों से मिलाकर नये शब्द और शब्दों को मिलाकर नये वाक्य बनाना ।

पढ़ाई—सरल शब्दों से बने छोटे-छोटे वाक्यों को 15-20 शब्द प्रति मिनिट की चाल से पढ़ना ।

लिखाई—अपना नाम, पता तथा छोटे-छोटे सरल वाक्यों का श्रुति लेख ।

लिखाई—देख-देख कर साफ-साफ लिखना ।

याद करना—100 तक गिनती गिनना, सादा जोड़ और बाकी ।

कार्यक्रम सं. 2.

व्यवहारोपयोगी साक्षरता

लक्ष्य—इस कार्यक्रम का लक्ष्य पहले कार्यक्रम से प्राप्त ज्ञान को बढ़ाना और पक्का करना है तथा साक्षरता ज्ञान का उपयोग कर व्यक्तिगत जीवन की समस्याएँ सुलझाने और जीवन को अधिक सुखमय तथा उपयोगी बनाने की योग्यता देना है ।

समय—तीन से चार महीने (कुल मिलाकर 6 महीने)

पढ़ाई—महिला शिक्षार्थियों को पढ़ने और पढ़े हुए को समझ लेने की योग्यता देना। व्यवहारोपयोगी साक्षरता ज्ञान के लिये पढ़ाई का स्तर निम्नलिखित के अनुसार होना चाहिये :—

स्वरों की पहचान, अक्षर, स्वर, व्यंजन, सरल शब्द और छोटे-छोटे वाक्य।

1. पढ़ाई

सरल पुस्तकों का पढ़ सकना और पढ़कर पढ़ी हुई बात को समझ लेना।

पढ़ाई की गति निम्नानुसार प्राप्त कर लेना।

50-60 शब्द प्रति मिनिट—18 पाइन्ट मोटा टाइप।

40-50 शब्द प्रति मिनिट—16 पाइन्ट मोटा टाइप।

30-40 शब्द प्रति मिनिट—12 पाइन्ट मोटा टाइप।

30-35 शब्द प्रति मिनिट—समाचार पत्रों जैसा टाइप।

25-35 शब्द प्रति मिनिट—साफ-साफ हस्तलिखित लिपि।

2. लिखाई

लिखने की कला सिखाकर लिखाई का अभ्यास कराना, महिला शिक्षार्थी को अक्षरों की बनावट तथा उनका मिलाना आ जाना चाहिये। साधारण विचारों को लिखित रूप में लिखकर प्रस्तुत कर सकने की योग्यता आ जानी चाहिये। लिखाई का अपेक्षित ज्ञान प्राप्त करने के लिये पढ़ाई और लिखाई का अभ्यास क्रम आरम्भ से ही साथ-साथ जारी रहेगा।

—छोटे-छोटे वाक्यों को प्रवेशिका तथा पाठ्य पुस्तकों में से नकल करके 7 से 10 शब्द प्रति मिनिट की चाल से साफ-साफ लिखना।

—5 से 7 शब्द प्रति मिनिट की गति से समझ कर लिख लेने की योग्यता।

—साधारण पत्र-व्यवहार के लिये पत्र लिखने, मनिआर्डर फार्म भरने, पारिवारिक आय-व्यय का लेखा बनाने, तथा हिसाब रखने की योग्यता।

3. गणित ज्ञान

गणित ज्ञान में गिनती का गिनना, पढ़ना, लिखना समझ में आना चाहिये। साधारण जोड़, बाकी तथा दैनिक जीवन में काम आने वाले गणित के गुरों का ज्ञान। गणित शिक्षण तब आरम्भ किया जाना चाहिये जब शिक्षार्थी तीन अंकों तक की गिनती जान जायें। आधारभूत सिद्धान्तों को समझाने के लिये दैनिक जीवन में आवश्यक गणित की बातों के ही उदाहरण देने चाहियें।

—तीन अंकों तक की हिन्दी गिनती संख्याओं की पहचान।

—हिन्दी में 10 तक पहाड़े।

—साधारण जोड़, बाकी, गुणा और एकांकी भाग।

—दैनिक जीवन में काम आने वाले गणित के सिद्धान्त जैसे—नाप, मूल्य, तौल, हानि-लाभ ज्ञान।

—सिक्के, नाप व तौल के दशमलव नाप तथा उनका प्रयोग अभ्यास करना।

4 कृषि सम्बन्धी ज्ञान : (विशेषकर ग्रामीण महिलाओं के लिये)

इस विषय का शिक्षण विशेषकर ग्रामीण महिलाओं के लिये रक्खा गया है। कृषि उपज बढ़ाने में तथा उपज के नये साधनों, उपकरणों और तरीकों के बारे में महिलाओं को ज्ञान होना जरूरी है ताकि वह पूरा सहयोग भली प्रकार दे सकें।

—कृषि उपज बढ़ाने के नये साधनों का ज्ञान, जैसे बुवाई के नये तरीके, पौद लगाना, अधिक उपज देने वाले बीज, खाद तथा कीट-नाशक दवाइयों का प्रयोग।

—खाद के गड्ढे बनाना और कम्पोस्ट बनाना।

—गृह बाटिका बनाना तथा साग, भाजी, फूल आदि घर खर्च के लिये उगाना।

—बीज छाँटना और उनकी सुरक्षा, चूहों और कीड़ों से अन्न की रक्षा, अन्न भंडार में अन्न सुरक्षित रखना।

—पशु पालन, पशुओं के सामान्य रोग और उनका उपचार, दुधारू पशुओं की देखरेख और उनको चारा देना। दूध निकालने का शुद्ध तरीका और दूध से दही, घी आदि सफाई व स्वच्छता के साथ बनाना।

5. कृषि सम्बन्धी तथा छोटे कुटीर उद्योग

इस विषय के शिक्षण में महिलाओं को अवकाश के समय का आय वृद्धि के साधनों में उपयोग करना सीखने की आदत डालना है। आय वृद्धि के साथ-साथ जीवन स्तर भी उन्नत होगा। इन छोटे उद्योगों की शिक्षा मौखिक तथा क्रियात्मक रूप से देनी होगी। दृश्य साधन जैसे फ्लैश कार्ड व फ्लेनल ग्राफ आदि भी प्रयोग में लाये जाने चाहियें। प्रयोगात्मक प्रशिक्षण तथा चलते हुए उद्योगों का साक्षात्कार कराना, शिक्षार्थियों में विश्वास और श्रद्धा पैदा करेगा।

संकेतात्मक छोटे घरेलू उद्योगों की सूची :—

1. मुर्गी पालन।
2. मधु मक्खी पालना।
3. साबुन बनाना।
4. रस्सी बनाना।
5. दुग्धशाला।
6. लिफाफे और कागज के थैले बनाना।
7. कपड़ों की कटाई और सिलाई तथा बुनाई।
8. चाक बनाना।
9. मसाले पीसना और पैकिट बनाना।
10. कताई—अम्बर चर्खा।
11. मुरब्बे व अचार बनाना।

इन उद्योगों को चलाने के लिये जो सुविधाएँ मिल सकती हों, उनका ज्ञान महिला शिक्षार्थियों को करा देना चाहिये।

6. गृह-प्रबंध

इस विषय की शिक्षा महिला शिक्षार्थियों को उत्तम गृहणी बनने के लिये घर परिवार की व्यवस्था और संचालन का ज्ञान देगी। शिक्षण कार्य वर्ग विचार विनिमय द्वारा तथा क्रियात्मक रूप से होगा।

—गृह संचालन की उत्तम विधियाँ जैसे किचिन (रसोई घर) की सफाई और स्वच्छता के लिये बर्तनों का साफ करके संभाल कर रखना ताकि उनको उपयोग में लेने में समय तथा श्रम की बचत हो।

—घर के कार्यों में श्रम की बचत करने वाले साधन उपयोग में लाना, जैसे धूआँ न देने वाला चूल्हा, गैस का चूल्हा, स्टोव, बौल बैरिंग वाली चक्की, कुकर, बिजली की इस्तरी तथा ऐसे ही और बिजली द्वारा चलने वाले उपकरण।

—व्यर्थ समझे जाने वाले फटे-पुराने कपड़ों की रद्दी से घर की सजावट की, तथा और दूसरे उपयोग की वस्तुएँ बनाना।

—कपड़ों की धुलाई और सफाई आदि।

—पारिवारिक बजट बनाना और हिसाब रखना।

7. स्वास्थ्य, सफाई और पोषण ज्ञान:

शिक्षण के इस अंश का लक्ष्य महिला शिक्षार्थियों को स्वस्थ जीवन के नियमों की जानकारी कराना है। यह जानकारी वर्ग विचार-विनिमय, साक्षात दर्शन तथा प्रदर्शन प्रयोगों द्वारा दी जायेगी।

1. **स्वास्थ्य और सफाई:**

व्यक्तिगत तथा पास-पड़ोस की सफाई। गन्दे पानी का निकास, सोक-पिट्स बनाना, घर के कूड़ा-करकट तथा मलमूत्र को फैंकना, नई किस्म के ग्रामीण शौचालय, उनके मिलनें का स्थान और मूल्य आदि।

—आदर्श मकान की जरूरतें, उपयुक्त प्रकाश और वायु की आवश्यकता, खिड़कियों और रौशनदानों का महत्व।

—पीने के पानी की स्वच्छता तथा पानी से पैदा होने वालो बीमारियाँ।

मलेरिया, चेचक तथा टाइफाइड जैसे साधारण रोग, उसकी पहचान रोकथाम तथा उपचार।

2. **भोजन और पोषण ज्ञान:**

भोजन और सब्जियों की सुरक्षा, शर्बत, स्कवेश, आचार, मुरब्बे तथा रस आदि बनाना। मौसमी फलों और सब्जियों को सुखाकर उपयोगी बनाना।

—स्थानीय उपलब्ध वस्तुओं से पौष्टिक भोजन बनाना। बालकों तथा बीमारों के लिये तथा गर्भवती और प्रसूता माताओं के लिये उपयुक्त भोजन के चुनाव तथा बनाने के मुख्य सिद्धान्त।

3. शिशु जनन तथा पालन

—बालक की गर्भ पूर्व तथा जन्मोत्तर देख-रेख। बालक को स्नान और भोजन कराना।

—परिवार नियोजन—क्या, क्यों और कैसे ?

—प्राथमिक चिकित्सा तथा रोगी सेवा ज्ञान।

—आँख, कान तथा नाक और गले की देखरेख में सावधानियाँ।

8. स्थानीय संस्थाए तथा संघटन

विषय के इस अंश की जानकारी का लक्ष्य महिला शिक्षार्थियों को कुछ स्थानीय संस्थाओं तथा संघटनों की व्यवस्था तथा प्रबंध और संचालन से अवगत कराना है, ताकि उन्हें विधान, और चुनाव आदि नियमों तथा उन संस्थाओं के कार्यक्रमों की जानकारी हो जाये।

—गाँव सभा, गाँव पंचायत, उनका क्षेत्र, चुनाव व्यवस्था, संचालन विधि तथा कार्य। (विशेषकर ग्रामीण महिलाओं के लिये)

—नगर निगम, नगर समिति, उनका क्षेत्र, चुनाव विधि, व्यवस्था तथा कार्य। (नगरीय महिलाओं के लिये विशेषकर)

—महिला सहकारी समिति।

—महिला मण्डल—व्यवस्था तथा कार्य।

—युवती मण्डल

9. नागरिक तथा नैतिक शिक्षा

विषय के इस अंश का लक्ष्य महिला शिक्षार्थियों को योग्य नागरिक बनने की जानकारी देना तथा सामाजिक कार्यों में योगदान देने की क्षमता पैदा करना है। इससे वे आज के संसार की वर्तमान गतिविधियों को भली प्रकार समझ सकेंगी और अपने उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक रहेंगी। नागरिकता तथा नैतिकता के मूल सिद्धान्तों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जायेगा।

—मतदान का महत्व तथा तरीका।

—राष्ट्रीय झण्ड़ा व राष्ट्रीय गान।

—देश के महत्वपूर्ण राजनैतिक दल।

—नागरिकों के अधिकार व कर्त्तव्य।

—डाक विभाग के कार्य की जानकारी।

—बस, रेल अथवा और गतिपूर्ण आवागमन के साधनों का ज्ञान तथा सावधानियाँ।

—पंचवर्षीय योजनाएँ।

—देश के तथा संसार के महान व्यक्तियों की जीवन गाथाएँ।

—मानवीय संबन्धों का विकास, सहास्तित्व का नियम, साँस्कृतिक तथा मनोरंजनात्मक कार्यक्रमों द्वारा मनोविनोद।

—धार्मिक ग्रन्थों तथा धर्माध्यक्षों की जानकारी।

—पारस्परिक व्यवहार के मूल सिद्धान्त।

इस सारे पाठ्यक्रम को शिक्षा देने के लिये निम्नलिखित विधि अपनाई जानी चाहियें।

(अ) पढ़ना, लिखना, और गणित सिखाने के लिए प्रौढ़ साक्षरता शिक्षण की उपयुक्त विधि।

(ब) साक्षरता ज्ञान को व्यवहारोपयोगी बनाने के लिये अन्य दैनिक जीवन सम्बन्धी विषयों का ज्ञान, उत्तर साक्षरता की सहायक पुस्तकों के निर्देशित पठन से।

(स) वर्गों में विचार-विनिमय तथा साक्षात दर्शन की अथवा प्रयोगात्मक प्रदर्शन की व्यवस्था से।

साक्षरता ज्ञान दे देना हमारा अन्तिम लक्ष्य नहीं है। यह तो जीवन पर्यन्त सतत शिक्षा कार्य का साधन है। इसलिये साक्षरता के अतिरिक्त अनेक उपयोगी बातों का ज्ञान शिक्षार्थी वर्ग की आवश्यकताओं तथा समस्याओं के अनुसार देना जरूरी है।

महिला वर्ग के लिये, साक्षरता का स्तर

(श्रीमती बी. भटनागर)

1. साक्षरता तथा साक्षरता का स्तर

साक्षरता का अभिप्राय केवल पढ़ने, लिखने तथा हिसाब कर लेने की योग्यता से नहीं है। बल्कि इसके साथ-साथ साक्षरता की योग्यता को जीवन के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के समझने तथा समस्याओं को सुलझाने के लिये उसके उपयोग कर सकने योग्य भी होना चाहिये। इसलिये साक्षरता ज्ञान अन्तिम लक्ष्य नहीं है, बल्कि उस लक्ष्य की प्राप्ति का साधन है। साक्षरता का व्यवहारोपयोगी अथवा व्यसायोपयोगी सिद्धान्त बहुत उपयोगी है तथा मान्य भी, क्योंकि यह साक्षरता ज्ञान को शिक्षार्थी के जीवन व्यवसाय, उत्पादन शक्ति तथा सर्वांगीण प्रगति से जोड़ देता है। व्यवसायोपयोगी साक्षरता के पाठ्यक्रम में पढ़ने, लिखने तथा हिसाब करने की शिक्षा, शिक्षार्थी की व्यावसायिक दक्षता, आर्थिक प्रगति तथा सामाजिक एवम् व्यक्तिगत ज्ञान की वृद्धि से जोड़ दी जाती है।

महिला वर्ग के लिये व्यवसायोपयोगी साक्षरता का स्वाभाविक अर्थ होगा; जिन विषयों का ज्ञान महिलाएँ अपनी आवश्कताओं की पूर्ति के लिए प्राप्त करना चाहती हैं, उसे तत् सम्बन्धित विषयों की उनकी अपनी भाषा में लिखी सरल पुस्तकों को पढ़ समझकर प्राप्त कर सकने की योग्यता तथा अपने ज्ञान को सरल भाषा में लिखकर दूसरों तक पहुँचा देने की योग्यता। साथ ही दैनिक जीवन से सम्बन्धित गणित ज्ञान की जानकारी भी प्राप्त कर लेना।

साक्षरता का स्तर

स्तर के बारे में सबके लिये कोई एक समान मापदंड निर्धारित करना कठिन है। यह तो परिवारों में महिलाओं के उत्तरदायित्वों तथा उनसे अपेक्षित कार्यों पर निर्भर करेगा और इसलिये भिन्न-भिन्न होगा। फिर भी भिन्न-भिन्न वर्गों के लिये फेर बदल की गुजांइश रखकर एक ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जा सकता है जो सभी महिलाओं के लिये समान आधार

बन सकें। जो शिक्षार्थी किसी क्षेत्र में विशेष रुचि रखते हों, उनके लिये प्रावधान किया जा सकता है।

2. हमारे समाज में महिलाओं के उत्तरदायित्व

हर परिवार और हर समाज में महिलाओं के उत्तरदायित्व भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। फिर भी सामान्य रूप से महिलाओं को लगभग हर वातावरण में जिन कामों और जिन समस्याओं से वास्ता पड़ता है, उन्हें मोटे तौर से 5 मुख्य वर्गों में बाँटा जा सकता है:—

(अ) पारिवारिक जम्मेदारी।

(ब) मानवीय सम्बन्ध।

(स) आर्थिक सन्तुलन।

(द) नागरिक जुम्मेदारी।

(इ) आत्म-ज्ञान।

महिलाओं से जिन जुम्मेदारियों को पूरा करने की अपेक्षा की जा सकती है, वे कई परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं। उनमें से कुछ हैं, समाज में समुदाय में उनका स्थान, परिवार की दशा तथा उसका आकार, आर्थिक स्थिति तथा वे काम जो घर के अन्दर और घर के बाहर महिलाओं से अपेक्षित हैं।

हैबीघ्रस्ट ने अपनी पुस्तक "समाज और शिक्षा", में लिखा है कि किसी व्यक्ति के उत्तरदायित्वों और उसकी शिक्षा के बारे में सोचते समय उसके जीवन के वातावरण का ध्यान रखना जरूरी है। इस सम्बन्ध में जीवन के वातावरण की जिन दशाओं को ध्यान में रखना जरूरी है, वह हैं:—

(क) भौतिक वातावरण

प्रत्येक व्यक्ति के भौतिक वातावरण की परिस्थितियाँ भिन्न-भिन्न हो सकती हैं और वर्ग से वर्ग की तथा परिवार से परिवार की भी। इन का व्यक्ति की जुम्मेदारियों पर बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिये शिक्षा का कार्यक्रम शिक्षार्थी की इन भौतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिये।

(ख) व्यक्ति के चारों ओर का समाज अथवा सामाजिक परिस्थितियाँ

व्यक्ति को सफल जीवन के लिये पारस्परिक व्यवहार कैसा और किन लोगों से करना होगा, उस पर भी उसकी शिक्षा का कार्यक्रम निर्भर करेगा। महिलाओं को अपने परिवार की तथा पास पड़ोस के साथियों की अनेक सेवाएँ करनी होती हैं। इसलिये उनके लिए यह बहुत जरूरी है कि साक्षरता के कार्यक्रम द्वारा तथा शिक्षा के दूसरे साधनों द्वारा वे उन सब की आवश्यकताओं को जान सकें और यह भी जान सकें कि वे लोग उनसे किन सेवाओं की अपेक्षा करते हैं, जिन्हें उन्हें पूरा करना चाहिये।

(ग) आवश्यकता पूर्ति अथवा प्रगति के साधन

महिलाओं की वास्तविक शिक्षा उसके चारों ओर प्रगति के साधनों की उपलब्धि पर भी निर्भर करतो है। विज्ञान और तकनीक की प्रगति के कारण जीवन में अनेक नई सुविधाएँ, और नये साधन उपलब्ध हैं। इन नई विधियों, सुविधाओं और साधनों का ज्ञान बहुत जरूरी है। शिक्षण कार्य-क्रम में यह आवश्यकता भी पूरी होनी चाहिये।

हमारे समाज में महिलाओं की जुम्मेदारियों को समझने के लिये हम इस विषय पर कई दृष्टिकोणों से अथवा आधारों पर भी विचार कर सकते हैं। उनमें से कुछ निम्नलिखित हो सकते हैं:—

(क) संस्थागत दृष्टिकोण

महिलाएँ किन्हीं संस्थाओं की सदस्य हो सकती हैं। ऐसी दशा में उनकी जुम्मेदारी संस्था के लक्ष्यों के अनुसार होगी। विवाहोपरान्त महि-लाओं के ऊपर कुछ नई जुम्मेदारियाँ आ जाती हैं जैसे गृहणी की, पत्नी की या माता की। इस प्रकार महिलाओं की जुम्मेदारियाँ संस्थाओं के लक्ष्यों के आधार पर भिन्न-भिन्न होंगी और उन्हीं के पूर्ति की शिक्षा उसे मिलनी चाहिये।

(ख) सामाजिक तथा पारिवारिक आधार

जिस श्रृखंला में शिक्षार्थी महिलाएँ रहती हैं और काम करती हैं, उसका महत्व उनकी जुम्मेदारियाँ समझने में बहुत है। इसके लिये यह समझना जरूरी है कि जिस परिवार में शिक्षार्थी महिला रहती है और काम करती है, वह ग्रामीय, नगरीय है अथवा मिला-जुला दोनों के बीच

का, स्वतंत्र है अथवा सम्मिलित, पुराने संकुचित विचारों का अथवा उदार व प्रगतिशील और एकमतीय है अथवा सर्वसम्मतीय या बहुमतीय, अर्थात् सबकी राय का आदर होता है या एक की आज्ञा सर्वमाननीय है।

प्रत्येक प्रकार की व्यवस्था में महिलाओं की जुम्मेदारियाँ भिन्न-भिन्न होंगी। समाज में विशेषकर मित्रों में, पड़ोसियों में तथा सम्बन्धियों में भी उनकी भिन्न-भिन्न जुम्मेदारियाँ होंगी।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय अथवा मानवीय परिस्थितियों का आधार

इस आधार के अनुसार सभी मानव क्रिया और प्रतिक्रिया करते रहते हैं। महिलाओं की क्रिया और वातावरण के अनुसार उनकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। और उनकी इस क्रिया और प्रतिक्रिया का आधार परिस्थितियाँ हैं।

(घ) पारिवारिक प्रगति का आधार

पारिवारिक जीवन की प्रगति के भिन्न-भिन्न स्तरों पर महिलाओं की जुम्मेदारियों का अध्ययन करके देखा जाता है कि मुख्य विकास के कार्यों में परिवार के किस-किस सदस्य का कितना हाथ है और परिवार समूह का कितना। इस प्रकार हरेक की जुम्मेदारियाँ क्या-क्या होनी चाहियें, उसका निर्णय किया जा सकता है।

3. महिलाओं की साक्षरता का प्रकार और स्तर

महिला वर्ग की साक्षरता का प्रकार और स्तर निश्चित करने के लिये महिलाओं की जुम्मेदारियों तथा उनसे की गई आशाओं का अध्ययन करना होगा। इस विषय में निम्नलिखित बातों पर विचार करना चाहिये:—

(अ) व्यावहारिक साक्षरता के आधारभूत पाठ्यक्रम में पढ़ाई, लिखाई तथा गणित ज्ञान, गृह प्रबन्ध, मानवीय सम्बन्ध, पोषण, स्वास्थ्य तथा शिशुपालन का ज्ञान होना चाहिये। इन विषयों का पाठ्यक्रम रोचक तथा व्यवहारयुक्त होना चाहिये। इसे शिक्षार्थी वर्ग की जरूरतों के अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है।

(ब) सामान्य ज्ञान की विस्तृत शिक्षा जो तीन से चार स्तरों में पूरी की जा सकती है।

(स) अंश 'अ' में दिये गये विषयों का विस्तृत ज्ञान।

(द) भिन्न-भिन्न वर्गों की परिस्थितियों के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा।

अंश 'अ' पर दिया गया पाठ्यक्रम 14 से 45 वर्ष के आयु वर्ग की सब महिलाओं के लिये अनिवार्य होना चाहिये, और अंश 'ब', 'स' और 'द' में दिया गया पाठ्यक्रम शिक्षार्थियों की रुचि पर छोड़ देना चाहिये, परन्तु प्रबन्ध अवश्य होना चाहिये। ये पाठ्यक्रम पूरे समय के न होकर थोड़ी-थोड़ी देर के हो सकते हैं, ताकि महिलाएँ अपनी सुविधा के अनुसार इनसे लाभ उठा सकें।

आज की परिस्थिति में जबकि महिला जनसंख्या में अधिकतर निरक्षर हैं, व्यावहारिक साक्षरता के आधारभूत पाठ्यक्रम को ही लक्ष्य बनाना चाहिये। साथ-साथ दूसरे पाठ्यक्रमों के शिक्षण का भी प्रबन्ध अवश्य किया जाना चाहिये ताकि जैसे-जैसे अधिक से अधिक शिक्षार्थी प्राथमिक पाठ्यक्रम पूरा करते जायें, आगे के शिक्षण के लिये भी शिक्षार्थियों की संख्या बढ़ती जाये।

महिला वर्ग में साक्षरता प्रसार कार्य की व्यवस्था तथा पढ़ाई अधूरी छोड़ कर बैठे रहने वालों की समस्यायें

डा. (श्रीमती) सुमति मुले

निरक्षरता की समस्या हमारे देश में बड़ी व्यापक है। राष्ट्र प्रगति के मार्ग में यह एक बहुत गम्भीर बाधा है। राष्ट्र की प्रगति में साक्षरता का महत्व अब सर्वमान्य है। अनेक अध्ययनों के आधार पर यह सिद्ध हो गया है, कि साक्षरता में और नये मूल्यों तथा विचारों की स्वीकृति में सीधा सम्बन्ध है। यह अपने आप में एक पूरा चक्र है। परिवर्तन की गति बढ़ाने में साक्षरता सहायक होती है और साक्षरता स्वयं एक सुव्यवस्थित परिवर्तन है।

पिछले कुछ वर्षों से महिला वर्ग की साक्षरता को प्राथमिकता मिली है। अनेक संस्थाएँ तथा विभाग महिला वर्ग में साक्षरता प्रसार के लिये विशेष कार्य कर रहीं हैं, इस पर भी पुरुषों की अपेक्षा निरक्षर महिलाओं की संख्या बहुत अधिक है। इसका क्या कारण है ?

समाज अपनी संस्कृति और मान्यताओं के आधार पर पुरुषों के व्यवहार, आकांक्षा एवम् कार्य पर काबू रखता है और महिलाओं पर उसका यह प्रभुत्व और भी अधिक कड़ा हो जाता है। यदि हम इस तथ्य को स्वीकार कर लें, तो महिला वर्ग में साक्षरता कार्यक्रम की व्यवस्था को अड़चनें बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जायेंगी। ये अड़चनें संस्कृति तथा समाज सम्बन्धी हैं और ये ही साक्षरता प्रसार के मार्ग में बाधाएँ बनती हैं।

सांस्कृतिक बाधाएँ :

कुछ बाधाएँ तो संस्कृति में ही जन्म लेती हैं। व्यक्ति की मनोवृत्तियाँ और बौद्धिक प्रवृत्तियाँ समाज की संस्कृति पर ही आधारित होती हैं। व्यक्ति किसी नये विचार अथवा नये व्यवहार को अपनाने में इसलिये नहीं झिझकता कि वह विचार अथवा व्यवहार उसकी प्रगति के लिये अनुप-

युक्त अथवा हानिप्रद है बल्कि इसलिये नहीं ग्रहण करता कि वह नई बात उसकी समाज की परम्पराओं के प्रतिकूल है।

(अ) प्रेरणा का अभाव

भारतीय महिलाओं को साक्षरता ज्ञान प्राप्त करने की कोई आन्तरिक प्रेरणा नहीं है और यह बात ग्रामीण महिलाओं पर और भी अधिक लागू है। ऐसा इसलिये है कि ग्रामीण महिलाएँ जीवन में जो कार्य करती हैं उनमें उन्हें पढ़ाई लिखाई की कोई आवश्यकता अनुभव नहीं होती और न ही उन्हें साक्षर बन जाने से कोई अधिक लाभ समझ में आता।

(ब) आत्म-गौरव तथा आत्म-सम्मान

महिला वर्ग में आत्म सम्मान की भावना बहुत गहरी है और उन्हें अपने आप पर गौरव है। बहुत से विशेष रूप से सुनियोजित साक्षरता के कार्यक्रम भी सफल नहीं हुए क्योंकि संस्कृति के आधार पर जो गौरव महिलाओं की भावनाओं में समाया हुआ है और जिसे वे अपने उत्तदायित्वों को सम्पन्न करने में दर्शाती हैं, उनको उस कार्यक्रम ने मान्यता नहीं दी है। पढ़ने का काम साधारणतया बालकों का समझा जाता है या बाल्यावस्था का कार्यक्रम है। इसलिये बालकों के लिये पढ़ना उचित है परन्तु प्रौढ़ों को इससे क्या वास्ता। चूंकि स्कूल में पढ़ने जाना बच्चों का ही काम है, इसलिय प्रौढ़ महिलाएँ स्लेट पैंसिल लेकर वहाँ जाना नहीं चाहतीं।

(स) परम्परागत बाधाएँ

भारत के अनेक समाजों में परम्परागत रूढ़ीवाद आज भी मान्य है। परम्परा बहुधा उनकी संस्कृति का मापदंड बन जाती है। महिलाओं के बारे में यह तथ्य अधिक सत्य है। वे अपने पुरखों का बहुत आदर करती हैं। यह आदरभाव कभी-कभी बहुत गम्भीर रूप धारण कर लेता है और वे समझती हैं कि हमारे बड़े जो करते चले आये हैं, वह ही सर्वोत्तम है।

(द) भाग्यवादिता

महिलाओं पर परम्परागत रूढ़ी से भी अधिक प्रभाव भाग्यवाद का है। "होये वही जो राम रचि राखा।" फिर साक्षरता ज्ञान से क्या सुधार होनेवाला है। गरीबी और दीनता आखिर भाग्य में लिखी है, तो सम्पन्नता कहाँ से आयेगी। भाग्य की इस मिथ्या धारणा के फलस्वरूप महिलाएँ कोई नया काम नहीं करना चाहती। इसलियें उन्हें साक्षरता कक्षा में जाने की कोई इच्छा नहीं।

(फ) सुशीलता का मापदंड

हर समाज में संस्कृति के आधार पर सुशील व्यवहार के कुछ मूल्य और मापदंड होते हैं। हर समाज के सदस्यों में उनकी संस्कृति के अनुसार सुशीलता के कुछ गुण होने चाहियें। ये मूल्य भिन्न-भिन्न समाजों में और संस्कृतियों में भिन्न-भिन्न हैं। किसी एक वर्ग में जो व्यवहार पूर्णतया सभ्य और सुशीलतापूर्ण है, वही दूसरे समाज में अभद्र और अश्लील समझा जा सकता है। कुछ जातियों में महिलाओं के लिये पर्दा-प्रथा अभी प्रचलित है। उन्हें घर में रह कर घर का काम करना है। बाहर जाने की आज्ञा नहीं है। इसके अतिरिक्त कुछ गांवों में महिला शिक्षिकाएँ नहीं मिल पाती हैं, तो महिलाएँ पढ़ने नहीं आतीं।

सामाजिक बाधाएँ

सांस्कृतिक बाधाओं की तरह ही कुछ सामाजिक बंधन भी ऐसे हैं, जो महिला वर्ग में, साक्षरता प्रसार के मार्ग में बाधक हैं जैसे परिवार और जाति विचार तथा, स्वार्थ।

कभी-कभी किसी परिवार के पुरुष यदि सब निरक्षर हों और वहाँ महिलाओं की साक्षरता कक्षा में उस परिवार की निरक्षर महिलाएँ चली जायें तो संकट उपस्थित हो जाता है। दिल्ली के देहात का एक उदाहरण इस तथ्य की पुष्टि में दिया जा सकता है। इस गांव में कुछ युवा बहुओं को साक्षरता कक्षा में भेज दिया गया। कुछ दिन बाद परिवार की कुछ बूढ़ी महिलाओं की यह धारणा बन गई कि "ये बहुएँ तो अब अपने को हम से भी बड़ा समझने लगी हैं, न बर्तन मांजती हैं, न पशुओं को चारा डालती हैं और न झाड़ू-बुहारी करती हैं।" संक्षेप में उनका व्यवहार अशिष्ठतापूर्ण समझा गया और उनको पढ़ाई बन्द कर देनी पड़ी।

भारत में वैसे भी जातिवाद के बंधन बहुत कड़े हैं। ऊँची जाति की महिलाए कक्षाओं में नहीं जाती, क्योंकि उनके विचार से वहाँ उनको नीची जाति की महिलाओं के साथ बैठना पड़ेगा।

इसी प्रकार समाज की परम्परा के अनुसार, नीची जाति वर्ग की महिलाएँ श्रमपूर्ण कार्य ही करती हैं, तो उन्हें साक्षर बनने की प्रेरणा ही नहीं दी जाती।

ये ऊँच-नीच के भेद-भाव साक्षरता प्रसार के मार्ग में एक बड़ी बाधा हैं।

कभी-कभी उच्च वर्गीय नेताओं का स्वार्थपूर्ण व्यवहार भी साक्षरता प्रसार कार्य को निष्फल कर देता है। उच्चवर्गीय लोग सोचते हैं कि यदि नीच वर्ग के लोग विशेषकर महिलाएँ साक्षर हो जाए तो उन्हें श्रमिक ही नहीं मिलेंगे। इसलिये उच्च वर्ग के लोग नीचे वर्ग के लोगों के लिये किये गये साक्षरता कार्यक्रम का विरोध करते हैं।

सामाजिक विरोध और गुटबन्दी भी महिला वर्ग की साक्षरता के मार्ग में बड़ी बाधा है। यदि कक्षा एक गुट के क्षेत्र में लग रही है, तो दूसरे क्षेत्र की महिलाएँ गुटविरोध के कारण पढ़ने नहीं जायेंगी।

महिला शिक्षिकाओं की कमी

साधारणत: महिला साक्षरता वर्ग की कक्षाएँ चलाने के लिये महिला शिक्षिकाओं का पूरी संख्या में उपलब्ध हो जाना बहुत कठिन है। ग्रामों में तो ऐसा होना बहुत ही कठिन है क्योंकि वहाँ हर जगह लड़कियों के विद्यालय भी नहीं होते। जब साक्षरता कार्यक्रम पुरुष शिक्षक चलाते हैं, तो महिलाएँ पढ़ने नहीं आतीं।

शिक्षण समय की समस्या

आमतौर पर निरक्षर प्रौढ़ महिलाएँ अपने घर के काम, खेती के काम में या कारखानों में श्रम के काम में बहुत व्यस्त रहती हैं। संध्या के समय तो बहुत थकी हुई होती हैं और दोपहर का समय उनके दूसरे कामों में जो उनके लिये अधिक महत्वपूण हैं, बाधा डालता है।

महिला बर्ग के लिये साक्षरता प्रसार कार्य की व्यवस्था तथा संचालन में यही कुछ मुख्य बाधाएँ हैं।

इस पर भी यह देखा गया है कि महिलाएँ साक्षरता कक्षाओं में आती हुई झिझकती तो हैं ही, इसके अतिरिक्त यह भी होता है कि कक्षा आरम्भ होने के कुछ दिन बाद ही आ तो जाती हैं, परन्तु उसमें से भी बहुत सी उपस्थित होना बन्द कर देती हैं। ऐसा क्यों हैं ?

अधूरी पढाई छोड़कर बैठे रहने के कारण

अधूरी पढ़ाई छोड़ कर बैठे रहने के कारणों में समय की प्रतिकूलता, स्थान की अनुपयुक्तता, पाठ्य सामग्री की अरोचकता, अयोग्य शिक्षक, प्रेरणा शून्य शिक्षण पद्धति तथा कक्षाओं के लिये आवश्यक सामान का समय पर न मिलना मुख्य हैं।

महिलाओं के कुछ प्राकृतिक बंधन

महिलाओं को अनेक भौतिक बन्धनों के कारण भी कक्षाओं में उपस्थित होने में बाधा होती है, जैसे विवाह, गर्भावस्था, प्रसूति काल, और शिशु पालन।

महिला वर्ग की साक्षरता की प्रगति में बाधक तत्वों का इस प्रकार विश्लेषण करने पर हमें आगे कुछ सोचने का साहस होता है। अर्थात् यह सब बाधाएँ हैं, तो फिर क्या कोई और हल हो सकता है क्या ?

यहां कुछ सुझाव दिये जा रहे हैं। सब से पहिली बात तो शिक्षक के लिये है। उसे कक्षा आरम्भ करने से पहले शिक्षार्थियों का विश्वास प्राप्त करना होगा। उसे घर-घर जाना होगा और महिलाओं से आत्मीयता बढ़ानी होगी और उन्हें साक्षरता के नये स्वरूप तथा उसकी आवश्यकता और उपयोगिता को समझाना होगा। स्थानीय महिलाओं में से ही कुछ समाज सेवी महिलाओं को अपने साथ लेकर उनका सहयोग प्राप्त करना होगा। ये महिलाएँ यदि पहले से समाज सेवा का काम न भी कर रही हों तो कम से कम ऐसी हों, जिन पर दूसरी महिलाओं को श्रद्धा हो और उनका प्रभाव मानती हों। ऐसा नेतृत्व ढूँढ कर या बना कर फिर शिक्षक को उसी के माध्यम और सहयोग से अपना अभिप्राय समझाना चाहिये।

महिलाओं को साक्षरता कक्षा में आने की प्रेरणा देने के लिये साक्षरता कार्य को शिल्प कला की शिक्षा के साथ-साथ मिला देना चाहिये, जैसे घर की सजावट, सिलाई, बुनाई, और कसीदाकारी आदि। यह युक्ति साक्षरता कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत सहायक होगीं। भोजन पकाना, अचार मुरब्बे बनाना तथा शिशुपालन आदि की शिक्षा एवम् प्रयोगात्मक अभ्यास पढ़ाई के साथ मिलाने से भी बहुत लाभ होगा। भजन कीर्तन आदि के साँस्कृतिक तथा मनोरंजक कार्यक्रम को पढ़ाई का अंश बना लेना, शिक्षाप्रद एवंम् धार्मिक शिक्षाप्रद गीतों आदि को पाठ्य पुस्तकों में जोड़ देना, महिलाओं को पढ़ने लिखने के अभ्यास की प्रेरणा देगा।

पढ़ाई का स्थान तथा समय शिक्षार्थियों की सुविधा के अनुसार निश्चित करना चाहिये। कहीं कहीं तो शिक्षार्थियों के घर पर जा कर ही पढ़ाने से बड़ी सफलता मिली है। यह सुविधा उन प्रौढ़ महिलाओं के लिये विशेषकर उपयोगी है, जो प्रचलित सामाजिक बन्धनों के कारण घर

से बाहर सार्वजनिक स्थानों पर पढ़ने नहीं जा सकतीं।

अवैतनिक अथवा वैतनिक महिला शिक्षकों को चुने हुए ऐसे घरों पर भेजना चाहिएँ जहां पास-पड़ोस के घरों से कुछ और महिलाओं के आकर पढ़ने की सुविधा भी हो। कक्षा की व्यवस्था में पारस्परिक सम्बन्धों का सधार भी होना चाहिये, इसलिये कक्षा में शिक्षार्थियों को समान रुचियों तथा परिस्थियों और योग्यताओं के आधार पर समूहों में बाँट देना चाहिये। इससे पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी और एकाकीपन अथवा अनजानापन अनुभव न होगा।

महिला शिक्षकों के अभाव का उपाय तो लड़कियों के विद्यालयों को फैलाकर और लड़कियों की शिक्षा का प्रसार अधिक व्यापक करके ही किया जा सकता है। ऐसे विद्यालयों में से ही प्रौढ़ महिला वर्ग के लिये अंशकालीन शिक्षक मिल सकते हैं।

इस समस्या का एक और उपाय यह भी हो सकता है कि स्थानीय शिक्षित महिलाओं को अवैतनिक रूप से समाज सेवा कार्य के लिथे प्रेरित किया जाये।

अरुचिकर अथवा शुष्क शिक्षण पद्धति शिक्षार्थियों के कक्षा छोड़ देने का एक बहुत बड़ा कारण है। इसका उपाय शिक्षाक्रम तथा शिक्षण विधि को अधिक से अधिक उपयोगी तथा रोचक बना देना है। पहिले तो प्रौढ़ शिक्षार्थी जो पढ़ रहे हैं, वे केवल उसे समझ ही न लें, बल्कि उसे स्वीकारें, उसे उपयोगी समझें और जिस पद्धत्ति से उन्हें पढ़ाया जा रहा है, वह भी उन्हें रुचिकर जान पड़े। दूसरे प्रतिदिन कार्य का आरम्भ दैनिक समाचारों तथा सामयिक गति-विधियों पर विचार-विनिमय से हो, विशेषकर वह विषय अवश्य लिये जायें, जो महिलाओं की रुचि के हों। शिक्षक को केवल बातें ही नहीं करना है, उसे तो व्यक्तिगत रूप से हरेक को शिक्षणक्रम में सम्मिलित कर लेना चाहिये। और प्रत्येक शिक्षार्थी के बौद्धिक स्तर तथा रुचि से विषय ज्ञान का सामंजस्य स्थापित करना चाहिये।

इसके अतिरिक्त शिक्षक को हर शिक्षार्थी की मनोवृत्तियों को समझ लेना चाहिये। कौन से अथवा किस लक्ष्य ने उसे कक्षा में आकर साक्षरता ज्ञान प्राप्त करने के लिये प्रेरित किया है। फिर महिला शिक्षार्थी की उस अभिलाषा अथवा लक्ष्य की पूर्ति साक्षरता द्वारा कैसे हो सकती है, ऐसा समझाने और करने का प्रयत्न करना चाहिये।

साक्षरता और शिक्षा के अभिप्राय का स्पष्टीकरण इस प्रकार समूहों में अथवा व्यक्तिगत विचार-विमर्श करके भली प्रकार हो जाना चाहिये। इस से यह भी जानकारी मिल जायेगी कि उत्तर साक्षरता काल में पढ़ाई जारी रखने के लिये नवसाक्षरों के उपयोग के लिये बनाई जाने वाली सहायक पुस्तकों में कौन-कौन से विषय होने चाहियें।

यह ध्यान रखना जरूरी है कि साक्षरता प्रसार कार्यक्रम के लिये कक्षा में आवश्यक सभी सामान, पाठ्य पुस्तकें, कापियाँ, पैन्सिलें, चाक, श्यामपट, बैठने के लिये सामान या फार्म, रजिस्टर आदि-आदि सबके सब कार्य आरम्भ करने से पहिले उपलब्ध कर लिये जायें। अन्यथा सामान मिलने में देरी लगी अथवा सामान पर्याप्त मात्रा में न मिला, तो महिला शिक्षार्थियों तथा स्थानीय जन-समुदाय पर इसका बुरा प्रभाव हमेशा के लिये पड़ जायेगा, जो हानिकारक होगा।

महिला वर्ग की
व्यावहारिक साक्षरता का पाठ्यक्रम

(डडा (श्रीमती) हैलन बटट्)

साक्षरता को व्यवसाय से सम्बन्धित करना

साक्षरता प्रसार के क्षेत्र में आजकल व्यवसायोपयोगी साक्षरता पर जो ज़ोर दिया जा रहा है, इसका अभिप्राय साक्षरता ज्ञान को जीवन से विशेष कर जीवन के व्यवसाय से सम्बन्धित करना है। परन्तु यह भी कार्यक्रम की मुख्य समस्या को नहीं सुलझाता। दूसरे इसमें अनेक शिक्षण कार्य की बाधाएँ हैं। यदि हमें इस क्षेत्र में वास्तविक प्रगति करनी है तो हमें साक्षरता तथा व्यवसाय सम्बन्धी शिक्षा के तार्किक अर्थात् व्यवहार-युक्त पक्ष पर गहरा विचार करना होगा।

यह तो निर्विवाद कहा जा सकता है कि हमारा लक्ष्य तो व्यवसायोपयोगी शिक्षा देना ही है, और यदि साक्षरता इस कार्यक्रम का अंश है, तो वह केवल लक्ष्य पूर्ति के साधन मात्र के नाते है, वह लक्ष्य ही नहीं है।

फिर भी यदि साक्षरता को शिक्षा का साधन मानना है, तो इसकी सार्थकता के लिये प्रयत्न करना होगा। साक्षरता ज्ञान को एक विशेष प्रकार का और विशेष स्तर का होना पड़ेगा। इसके द्वारा शिक्षार्थी में शिक्षा को आगे जारी रखने की योग्यता देनी पड़ेगी, और उस आगे की शिक्षा से यह कार्यक्रम सम्बन्धित भी करना होगा। इसलिये साक्षरता प्रसार का पहला स्थान बनता है, क्योंकि उच्च शिक्षा प्राप्ति की पहली आवश्यकता साक्षरता ज्ञान है। साक्षरता ज्ञान के इस लक्ष्य को ध्यान में रख कर और उसकी पूर्ति में जो बातें आवश्यक हैं, उन्हें सोचते हुए, हमें साक्षरता कार्यक्रम की व्यवस्था, पाठ्यक्रम तथा विधि आदि पर बात करनी चाहिये।

साक्षरता पाठ्यक्रम का लक्ष्य :

यह सोचना कि साक्षरता, ज्ञान के प्रकाश मय संसार की कुँजी है और उसमें पहुँचने की अनेक बाधाओं को दूर करती है, चाहे जितना सुहावना और आश्चर्यजनक मालूम होता हो, हमें यह मानना पड़ेगा कि साक्षरता ही वह ससार नहीं है। यह केवल एक मार्ग है। साक्षरता ज्ञान की आवश्यकता है और इसे लिखित पुस्तकों के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करके सदा बढ़ाते रहना होगा, परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि साक्षरता की शिक्षा ही सारी शिक्षा है अथवा सारी शिक्षा साक्षरता की शिक्षा ही है। साक्षरता के क्षेत्र को कहीं न कहीं सीमित करना ही होगा। इसलिये साक्षरता ज्ञान का अभिप्राय पढ़ने और लिखने की योग्यता से होना चाहिये। इसका दूसरे विषयों के ज्ञान से कोई सम्बन्ध नहीं है। पढ़ने लिखने की इस योग्यता का क्या स्तर हो, यह एकदम निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह तो साक्षरता ज्ञान का शिक्षार्थी क्या उपयोग करना चाहता है, उस पर निर्भर करेगा। यूनेस्को द्वारा दी गई परिभाषा ने इस तथ्य को स्वीकार किया है क्योंकि उसके अनुसार साक्षर व्यक्ति वही है, जिसमें साक्षरता ज्ञान को उपयोग में लाने की क्षमता आ गई हो।

इस आधार पर महिला वर्ग की साक्षरता का उद्देश्य क्या होना चाहिये, यह सोचना है। यदि साक्षरता का लक्ष्य व्यावहारिक शिक्षा है, तो इसके विषय पाठ्यक्रम में इसका सम्बन्ध केवल सीमावर्ती हुआ। क्योंकि पढ़ने-लिखने की योग्यता का व्यावहारिक ज्ञान तो थोड़े समय में ही अर्थात् 6 महीने में ही आ जाना चाहिये। परन्तु व्यवहारोपयोगी शिक्षा का क्षेत्र तो इतना व्यापक है, कि 6 महीने में तो उस शिक्षा का प्राथमिक स्तर भी पूरा नहीं हो सकता। यदि हम शिक्षार्थियों के किसी एक वर्ग को जिन सारे विषयों के ज्ञान की आवश्यकता है, चाहे वह वर्ग ग्रामीण महिलाओं का ही हो, उसे देखें तो भी 6 महीने में तो उन सब विषयों का बहुत मामूली ज्ञान हो पायेगा। हाँ, यदि हम इस कार्यक्रम को एक विषय के ज्ञान पर ही सीमित करदें जैसे पोषण ज्ञान, तो भी हमें दो पक्षों पर ध्यान लगाना होगा। एक शिक्षक और दूसरा शिक्षार्थी। (तीसरा पक्ष पाठ्य पुस्तक तथा उनके लेखक का भी है)। इसका परिणाम होगा, कि एक न एक पक्ष की कमी सारे कार्यक्रम की प्रगति को प्रभावित करेगी।

यहाँ यह तर्क उपस्थित हो सकता है, कि भाषा ज्ञान में साक्षरता ज्ञान से कहीं अधिक बातों का समावेश है, क्योंकि इसमें भाषा की शैली,

उसकी रुचिपूर्णता, व्याकरण तथा रचना भी शामिल है। साथ ही यह भी कहा जा सकता है कि प्रौढ़ों को साक्षर बनाने के लिये इतना थोड़ा समय निर्धारित किया गया है कि उसका हर क्षण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिये पोषण ज्ञान अथवा परिवार नियोजन की शिक्षा देने की बजाय हमें साक्षरता ज्ञान पर ही ज़ोर देना होगा।

साक्षरता का पाठ्यक्रम :

उपरोक्त आधारों पर हमें कुछ विशेष व्यावहारिक विषयों के शिक्षण के लक्ष्य को साक्षरता का पाठ्यक्रम नहीं समझना चाहिये। इसका विषय तो साक्षरता ज्ञान ही होना चाहिये। साथ ही हमें यह अवश्य मानना चाहिये कि साक्षरता ज्ञान केवल कुछ सौ शब्दों की शब्दावली को पहचानने, पढ़ने और समझ लेने का नाम ही नहीं है, इससे बहुत अधिक है। इस प्रकार साक्षरता तथा व्यवहारोपयोगी शिक्षा का सम्बन्ध स्थापित करके अब हमें साक्षरता पाठ्यक्रम पर व्यवहारोपयोगी शिक्षा के साधन के नाते विचार करना चाहिये।

पहिले यह सोचना जरूरी है, कि चूंकि आरम्भ में बहुत थोड़े अक्षर ही सिखाये जा सकते हैं और उनकी पहचान, बनावट, उच्चारण, पढ़ने और लिखने की योग्यता देने के लिखित अंश के काफी अभ्यास की जरूरत है, इसलिये प्रवेशिका के आरम्भ के पाठों में कोई बहुत विस्तृत ज्ञान का विषय नहीं हो सकता। दूसरे आम बोल-चाल में अधिक से अधिक काम में लिये जाने वाले शब्द जिन अक्षरों से बनते हैं, आरम्भ में उन्हीं को प्रयोग किया जायेगा, और ये शब्द शायद किसी व्यावसायिक विषय के ज्ञान में प्रयोग न होते हों, और उसमें जिन शब्दों के ज्ञान की जरूरत है, वे शायद इन आरम्भ के अक्षरों और शब्दों से न बनते हों। तीसरे आरम्भ के पाठ बहुत बड़े भी नहीं होने चाहियें, इसलिये उनके द्वारा विषय के बहुत थोड़े भाग को शिक्षा दी जा सकती है, इसलिये विशेष विषयों के शिक्षण में यह भी एक बाधा होगी। दूसरी ओर साक्षरता के पाठ में यदि केवल कुछ मौलिक शब्द ही हों और शिक्षक उनके द्वारा दूसरे अनेक शब्दों का ज्ञान कराये, तो ध्यान बट जाता है और साक्षरता ज्ञान के लिये पाठ का महत्व कम हो जाता है और सब से अधिक हानिकारक यह भावना होगी कि साक्षरता ज्ञान केवल एक खेल है। वास्तविक ज्ञान तो दूसरे ही साधनों से प्राप्त होता है।

इससे हमारा यह अभिप्राय नहीं है कि प्रवेशिका में विषय ज्ञान की सामग्री होना ही नहीं चाहिये। अभिप्राय यह है कि सबसे अधिक ध्यान

इस बात पर देना चाहिये कि पाठ का सीखने सिखाने की प्रवृत्ति पर क्या प्रभाव होगा । इस सम्बन्ध में पाठ का विषय कैसा और क्या होना चाहिये, कुछ सुझाव निम्नलिखित हैं:—

(अ) पुस्तकें भिन्न-भिन्न प्रकार की और रोचक होनी चाहियें। विषय की भिन्नता से केवल रुचि ही नहीं बढ़ती, बल्कि भाषा ज्ञान के भिन्न-भिन्न अंशों के प्रयोग में भी आसानी हो जाती हैं, जैसे सर्वनाम तथा क्रिया आदि रूपों में, जो भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के लिये संख्या और काल के लिये अलग-अलग प्रयोग होते हैं। साथ ही इससे पढ़ने के उद्देश्य भी बढ़ जाते हैं जैसे किसी एक बात को समझने, सारांश को समझने और किसी तर्क की ऊँच-नीच को समझने और मनोरंजन के लिये पढ़ने के लिये।

(आ) पुस्तकों के विषय का सम्बन्ध शिक्षार्थी के जीवन से होना चाहिये ताकि वह उसे भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में अपने जीवन के अनुभवों के सम्बंध से समझ सकें। यह ठीक है कि कोई भी विषय जो हम पढ़ाना चाहते हैं, शिक्षार्थियों के जीवन से सम्बन्धित तो होगा ही, तो उसके स्तुतीकरण की शैली से इस सम्बन्ध को बढ़ाया जा सकता है। फिर भी यदि हमारा लक्ष्य शिक्षार्थी को अपने अर्थात् पाठ के साथ लेना है, तो हमें पाठ में पहिले से ही सोची हुई सामग्री दे देने की एक सीमा निश्चित कर देनी होगी। विशेषकर जब हम यह सोचते हों कि पाठ का लक्ष्य केवल ज्ञान अथवा सूचना या जानकारी देना ही नहीं है, बल्कि पढ़ने, लिखने, लिखे हुए पाठ को पढ़ने, पढ़े हुए को समझने और समझ हुए को लिखकर समझाने की योग्यता को बढ़ावा देना भी है।

(इ) पाठ में अथवा पुस्तक में वही बातें होनी चाहियें जिनकी जानकारी थोड़ी बहुत शिक्षार्थियों को पहले से ही है या जिन विषयों के साथ उनका सम्बन्ध रहता है और उन्हें पहिले से उनके बारे में कुछ अनुभव है। यदि हम चाहते हैं कि शिक्षार्थी पाठ को स्वयम् पढ़ें, तो यह और भी आवश्यक है। इसका यह अर्थ नहीं हैं, जैसाकि कभी-कभी समझ लिया जाता है, कि साक्षरता प्रवेशिकाओं में केवल पहले से जानी समझी कविताएँ अथवा कहानियाँ ही होनी चाहियें। वास्तव में ऐसा तो शिक्षण शास्त्र के सिद्धान्त के विरुद्ध होगा। इसका अभिप्राय यह है कि विषय साधारण परिचित जैसा होना चाहिये ताकि शिक्षार्थियों को याद करने, समझने, और पढ़ने की कीटिनाई के साथ-साथ भावात्मक कठिनाई भी न हो जाये। प्रारम्भिक साक्षरता पाठ्यक्रम को किसी विषय विशेष के ज्ञान का पाठयक्रम

न बनाने के पक्ष में यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण तर्क है क्योंकि विषय विशेष के पाठ्यक्रम में अवश्य नये भाव और नई बातों का समावेश होगा।

साक्षरता पाठ्यक्रम का व्यवहारोपयोगी शिक्षा में स्थान

तो फिर साक्षरता का पाठ्यक्रम केवल भाषा के अक्षर और शब्द का ज्ञान देने के उपरान्त प्रौढ़ महिलाओं की व्यवहारोपयोगी शिक्षा का साधन कैसे बन सकता है, यह देखना है। अर्थात् साक्षरता पाठ्यक्रम में हम क्या पढ़ायें जिससे प्रौढ़ महिलाएँ जीवन पर्यन्त सतत शिक्षा कार्यक्रम में लाभ उठा सकें।

पहले तो हमें यह भली प्रकार देख लेना होगा, कि साक्षरता पाठ्यक्रम में दिये हुए ज्ञान से वास्तविक साक्षरता ज्ञान अथवा पढ़ने और लिखने की स्थाई योग्यता आ जानी चाहिये। क्योंकि अक्षरमाला के सारे अक्षरों और 500 अथवा इससे अधिक भी शब्दों की शब्दावली का ज्ञान हो जाने पर भी ये सम्भव हो सकता है, कि ऐसा व्यक्ति साक्षर न हो अथवा साक्षरता के व्यवहार की योग्यता उसमें न आई हो, अर्थात् पढ़ना लिखना न सीख पाया हो। जो साक्षरता ज्ञान बढ़ते-बढ़ते व्यवहारोपयोगी साक्षरता का ज्ञान देगा, वह शिक्षार्थी में केवल अक्षरों तथा शब्दों के पहचान लेने की योग्यता ही नहीं देगा, बल्कि उसमें पढ़ने लिखने की योग्यता पैदा कर देने वाला होना चाहिये। उससे शिक्षार्थी को नये शब्द पढ़ने और बनाने समझने की तथा सरल भाषा में लिखी हुई उपयोगी पुस्तकों को पढ़ने समझने की योग्यता भी आ जायगी, चाहे वे केवल प्रवेशिका की शब्दावली पर सीमित न हों।

दूसरी और आवश्यक बात यह है कि व्यवहारोपयोगी साक्षरता के पाठ्यक्रम के लिये शिक्षार्थी में पढ़ लेने के साथ-साथ पढ़ी हुई बात को समझ लेने तथा याद रखने की क्षमता भी होनी चाहिये। पहले पाठ के शिक्षण से ही उसे पढ़े हुए पाठ की महत्वपूर्ण बातों को लिखना होगा और जो कुछ पढ़ा है, उस पर अपने विचार भी व्यक्त करने होंगे। उसे पाठ पढ़कर उसके विषय पर विचार करके उससे सहमति अथवा असहमति प्रगट करने का अधिकार भी होगा। जो कुछ पढ़ा जाये, उसका अभिप्राय भी सारांश रूप में समझकर अपने वास्तविक अनुभवों से उसकी यथार्थता अथवा अव्यवहारिकता की जाँच करनी होगी, समझनी समझानी होगी।

प्रवेशिका से आगे के पाठ्यक्रम में जिन विषयों को विस्तृत रूप में पढ़ना है, चतुर लेखक उन्हीं विषयों के प्रारम्भिक ज्ञान का बिना प्रवे-

षिका के लक्ष्य को बिगाड़े अनेक रूप से अर्थात् जीवनगाथा, वाद-विवाद, बात-चीत तथा निबन्ध रूप में प्रवेशिका बनाने में ही काम में ला सकता है। और शिक्षार्थियों के समक्ष उपस्थित कर सकता है। विशेषकर वह पाठकों के सामने जाने पहचाने अनुभवों के द्वारा नये अनुभवों को प्रस्तुत कर सकता है। उदाहरणार्थ महिला वर्ग की साक्षरता के लिये बनाई गई विशेष प्रवेशिका में आसानी से लेखक महिलाओं के वर्तमान जीवन के वर्णन से आरम्भ करके भली प्रकार बार-बार शिक्षार्थियों का ध्यान उपयोगी रूप से इस ओर दिला सकता है कि किस-किस पुराने वातावरण में पोषण, शिशु-पालन तथा परिवार नियोजन के वर्तमान ज्ञान से क्या-क्या सुधार लाए जा सकते हैं। इस प्रकार दो उद्देश्यों की पूर्ति हो सकती है। एक तो जीवन विकास के प्रति शिक्षार्थियों की रुचि जागृत हो सकती है दूसरे उनमें यह विश्वास और श्रद्धा पैदा हो सकती है कि साक्षरता ज्ञान के द्वारा और आगे पढ़ाई करके, महिलाएँ ऐसा ज्ञान प्राप्त कर सकेंगी, जो उनके जीवन में काम आयेगा।

यदि प्रवेशिका इस तथ्य को सामने रखकर बनाई जाये और साक्षरता कक्षा में शिक्षण पद्धति ऐसी हो जिससे शिक्षार्थियों में साक्षरता की योग्यता और आत्मविश्वास आ जाये, तो साक्षरता के पाठ्यक्रम का महिला शिक्षार्थियों का व्यवहारोपयोगी साक्षरता की पहली सीढ़ी पर पहुँचा देने का लक्ष्य पूरा हो जायेगा। फिर यह शिक्षकों का दायित्व होगा कि वह इस दृढ़ आधार अर्थात् साक्षरता ज्ञान तथा आगे पढ़ने की चाह को समाज में महिलाओं की प्रगति और उनके सम्मानार्थ आवश्यक विशेष विषयों का ज्ञान उच्च शिक्षा द्वारा देने में उपयोग करें।

प्रौढ़ महिला वर्ग की शिक्षा के लिये उपयुक्त संस्थाएँ ।

[डा० (कुमारी) सुशीला मेहता]

प्रौढ़ शिक्षा क्षेत्र की दो बड़ी समस्याएँ हैं, शिक्षण कार्य की व्यवस्था तथा उसका सामंजस्य । साधारणतया सामान्य शिक्षा संस्थाएँ, प्रशिक्षण कालिज तथा ऐसी ही और संस्थाएँ प्रौढ़ महिलाओं की शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकतीं । पत्राचार शिक्षण पद्धति एक विशेष स्तर की साक्षरता योग्यता प्राप्त कर लेने के पश्चात् लाभकारी हो सकती है । अंशकालीन तथा संक्षिप्त पाठ्यक्रम भी उपयोगी हो सकते हैं, यदि समय और स्थान महिलाओं के लिये उपयुक्त और सुविधाजनक हों । ऐसी दशा में केवल दो या तीन प्रकार की संस्थाएँ महिलाओं की शिक्षा की आवश्यकता पूर्ति के लिये उपयुक्त हो सकती हैं ।

स्वशासित संस्थाएं (समाज कल्याण परिषद्)

महिलाओं के लिये साक्षरता कार्यक्रम की व्यवस्था के लिये समाज कल्याण परिषद् जैसी स्वशासित संस्थाएँ, जिन का मुख्य कार्यालय केन्द्र में हों और शाखाएँ जिलों में और गाँवों में हों, बहुत उपयोगी हो सकती हैं। चूँकि ऐसी परिषदों के अन्तर्गत अनेक नगरों और गाँवों में महिला मण्डलों जैसी स्वशासित संस्थाएँ हैं, नागरिकों तथा ग्रामीणों से उनका व्यक्तिगत सीधा सम्बन्ध है । अभी यह संस्थाएँ घरेलू शिल्पकला तथा अन्य कल्याण कार्य के शिक्षण पर अधिक ध्यान देती हैं। यदि ये संस्थाएँ शिल्पकला ज्ञान का सम्बन्ध साक्षरता ज्ञान से भी जोड़ दें, तो दोहरा लक्ष्य प्राप्त हो जायेगा । महिलाएँ पढ़ना लिखना भी सीख लेंगी और साथ-साथ शिल्पकला में भी अधिक श्रेष्ठ और योग्य हो जायेंगी ।

खादी ग्राम उद्योग संघ :

चूँकि खादी ग्राम उद्योग संघ ने भी अनेक नगरों और गाँवों में बहुत सारे प्रशिक्षण केन्द्र चला रक्खे हैं, और उनके बहुत सारे प्रशिक्षार्थी महिलाएँ हैं, वह भी महिला वर्ग के लिये प्रौढ़ साक्षरता का कार्य कर सकते हैं। कातने और बुनने के लिये गिनती ज्ञान जरूरी है। पढ़ाई और

लिखाई का ज्ञान भी उन हजारों श्रमिक महिलाओं के लिये जिनको वे प्रशिक्षित कर रहें हैं, बहुत उपयोगी हो सकता है। बड़ी संस्था होने के कारण वे अपनी महिला शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर विशेष प्रवेशिका भी बनवा सकते हैं। उनके पास एक केन्द्र संचालक भी है जो सब प्रबन्ध करता है, वह प्रबन्धक बड़ी आसानी से महिला श्रमिकों को, जब वे केन्द्र पर आवें, तो शिक्षा दे सकता है।

महिला मण्डल :

देश भर में बहुत सारे महिला मण्डल समाज कल्याण परिषदों के अन्तर्गत, अथवा दूसरी ऐच्छिक संस्थाओं के अन्तर्गत अथवा निजी तौर पर कार्य कर रहे हैं। उनके विविध कार्यक्रम कला तथा उद्योग शिक्षण एवम् सांस्कृतिक और मनोरंजनात्मक कार्यों के हैं। यदि ये मण्डल अपने कार्यक्रमों में साक्षरता प्रसार भी जोड़ लें, तो उन महिलाओं के लिये जो विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने कभी नहीं गईं, बहुत उपयोगी होगा।

बालिका विद्यालय :

यदि ग्रामों में बालिकाओं के विद्यालय प्रौढ़ महिलाओं के लिये अंश-कालीन साक्षरता कक्षाएँ भी चला लें, तो बहुत उपयोगी कार्य हो सकता है।

उद्योग :

बड़े-बड़े कारखाने जैसे कपड़ा बुनने के कारखाने जिनमें हज़ारों महिला श्रमिक कार्य करती हैं, यदि श्रमिकों के महिला वर्ग के लिये साक्षरता का कार्यक्रम चला दें, तो बड़ी सेवा हो सकती है। उद्योगपति आपस में मिलकर इन श्रमिक महिलाओं की आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्य सामग्री बनवाने की व्यवस्था कर सकते हैं। चाय बागों तथा इसी प्रकार के विशाल बागों में अनेक महिलाएँ कार्य करती हैं और उनके लिये श्रमकल्याण योजनाएँ भी चलती हैं। यदि इनके मालिक भी प्रौढ़ महिला वर्ग की साक्षरता का कार्य श्रमकल्याण के कार्यों में जोड़ दें, तो बाग़ान के कार्य सम्बन्धी ज्ञान के साथ-साथ साक्षरता प्रसार का कार्य भी हो सकता है। इसी प्रकार खनिज तथा भोजन उद्योगों में बड़ी संख्या में महिला श्रमिक कार्य करती हैं, वे भी प्रौढ़ साक्षरता को अपने श्रम कल्याण कार्यों में जोड़कर बड़ा उपयोगी कार्य कर सकते हैं।

9

सन्देश

राष्ट्रपति डॉ. जाकिर हुसैन

मुझे यह जानकार प्रसन्नता हुई कि भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ शीघ्र ही, "बदलती हुई सामाजिक परिस्थितियों में महिलाओं के लिये प्रौढ़-शिक्षा", विषय पर एक महिला गोष्ठी कर रहा है।

भारत में जनतंत्र की सफलता महिलाओं के उपयुक्त योगदान पर ही निर्भर है। हमारे देश की महिलाएँ, विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रों में—अज्ञानता और अन्धविश्वास के जाल में फंसी हैं। प्रौढ़ शिक्षा के द्वारा ही हम उनको जागरूक नागरिक बना सकते हैं। परन्तु यह भारी काम केवल राजकीय एवम् म्युनिसिपल संस्थाओं द्वारा नहीं किया जा सकता। इस धर्म युद्ध में तो भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ जैसी ऐच्छिक संस्थाएँ ही जन-शक्ति का आह्वान कर सकती हैं।

मुझे आशा है गोष्ठी के विचार लाभप्रद होंगे। मैं आपके प्रयास की सफलता की शुभ कामना करता हूँ।

उपराष्ट्रपति डॉ. वी. वी. गिरी

मैं आपके संघ को बड़े विचारपूर्वक तथा सुनियोजित गोष्ठी की व्यवस्था पर बधाई देता हूँ। इस गोष्ठी का विचारणीय विषय, "बदलती हुई सामाजिक परिस्थितियों में महिलाओं की प्रौढ़ शिक्षा", बड़े मार्मिक महत्व का है। हमारे समाज में महिलाओं के बढ़ते हुए उत्तरदायित्व के साथ-साथ उनके लिये शिक्षा प्राप्ति के अवसरों की उपलब्धि की आवश्यकता अधिक समझी जा रही है। महिलाओं में शिक्षा की प्रगति सारे

समाज की शिक्षा तथा सुयोग्यता को प्रभावित करती है। "पालना झुलाने वाले ही संसार के विधाता हैं" वाली कहावत सर्व माननीय है। वर्तमान समाज में गृह निर्माण तथा मानव चरित्र गठन के क्षेत्र में महिलाएँ जो उत्तरदायित्व निभाती हैं, उस दृष्टी से महिला वर्ग की शिक्षा देश की महिलाओं को उनके उत्तरदायित्व पूरा करने की असीम क्षमता देगी, जिसको अभी हम महिलाओं को शिक्षा प्राप्ति के अवसर न देकर खो देते हैं। मानव समाज की समझदार सदस्या के नाते शिक्षित महिलाएँ गृह-व्यवस्था, और राष्ट्रीय जीवन की प्रगति में, प्रजातंत्र की सामाजिक व आर्थिक दशा के आधारों को सुदृढ़ बनाने में तथा मानव चरित्र के निर्माण में बड़ी सहायक होंगी। इसलिये यह जानकर बड़ा सन्तोष होता है, कि प्रौढ़ साक्षरता तथा प्रौढ़ शिक्षा के कार्यों को ग्रामोत्थान एवम् महिला कल्याण अभियान का एक आन्तरिक अंग माना है। नये लक्ष्यों तथा कार्यक्रमों के अनुसार प्रौढ़ शिक्षा केवल प्रौढ़ साक्षरता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि नागरिकता ज्ञान, स्वास्थ्य ज्ञान, परिवार नियोजन, स्वच्छता तथा व्यवसाय ज्ञान भी सब इसके विस्तृत क्षेत्र में सम्मलित हैं। विकास की ऐसी स्थिति में जन शिक्षण के अनेक साधनों का उपयोग देश-व्यापी रूप में करना आवश्यक है।

गोष्ठी के सूझपूर्ण विचार-विमर्श, मुझे आशा है, समस्या के इन सभी पक्षों पर प्रकाश डालेंगे और प्रौढ़ शिक्षा अभियान को प्रगति देने में सफल होंगे।

प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि आपका संघ 'महिला वर्ग की प्रौढ़ शिक्षा", विषय पर यूनेस्को के तत्वाधान में एक गोष्ठी की व्यवस्था कर रहा है।

मैं इसके लिये अपनी शुभ कामनाएँ भेजती हूँ।

उप प्रधान मंत्री श्री मुरार जी देसाई

ऐसे प्रौढ़ नागरिक जो परिस्थिति वश विद्यालयी शिक्षा का लाभ नहीं पा सके, उनको साक्षरता कार्यक्रम के द्वारा आधारभूत ज्ञान की शिक्षा दी जाये। ऐसी दशा में ही वे भविष्य में अपने उत्तरदायित्वों को भूतकाल की अपेक्षा अधिक भली प्रकार निभा सकेंगे।

इस आधार पर महिला वर्ग की शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि समाज पर पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का प्रभाव अधिक होता है।

मुझे प्रसन्नता है कि भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ 'बदलती हुई सामाजिक परिस्थितियों में महिला वर्ग की प्रौढ़ शिक्षा', पर एक गोष्ठी का आयोजन कर रहा है। मुझे विश्वास है कि इस गोष्ठी में भाग लेने वाले प्रतिनिधि साक्षरता प्रसार कार्य को अधिक गतिशील बनायेंगे। इससे एक नये समाज का निर्माण होगा, जो जनसाधारण के सुख-समृद्धि का आधार बनेगा।

मैं भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ को उनके इस प्रयास के लिये अपनी शुभ -कामनाएं भेजता हूँ।

गृह मंत्री, श्री वाई. बी. चवन

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ, नई दिल्ली, "बदलती हुई सामाजिक परिस्थितियों में महिला वर्ग की प्रौढ़ शिक्षा", विषय पर एक गोष्ठी कर रहा है। भारत में पुरुषों और महिलाओं दोनों की ही प्रौढ़ शिक्षा हमारे प्रजातंत्र में जन साधारण को शिक्षित तथा समृद्ध बनाने के प्रयासों में बड़ा महत्व रखती है। महिलाओं के क्षेत्र में यह समस्या बड़ी गम्भीर है क्योंकि हमारी परम्परागत रूढ़ियों तथा लापरवाहियों के कारण समाज ने उन पर बड़े बड़े बन्धन लगा रक्खे हैं। इस समस्या के समाधान के लिये अभी वर्षों तक हमें बड़े सतत प्रयासों की आवश्यकता है।

मुझे विश्वास है कि प्रस्तुत गोष्ठी देश के विद्वानों का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित करेगी और एक सुरक्षित, समृद्ध और सुगठित समाज के निर्माण में सहायक होगी, जिसमें महिलाओं को पूरे और उपयोगी योगदान देने की स्वतंत्रता होगी।

मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं।

शिक्षा मंत्री, श्री त्रिगुणसेन

मुझे भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ, को उनके द्वारा 27 से 30 अक्टूबर तक आयोजित की जाने वाली गोष्ठी के उपलक्ष में अपनी शुभकामनाएँ भेजने में बड़ी प्रसन्नता है।

यह और भी प्रसन्नता की बात है कि गोष्ठी में विचार-विमर्श करने के लिये भारत के प्रत्येक राज्य से प्रतिनिधि आ रहें हैं। ये सभी लोग शिक्षा की आधारभूत समस्या पर विचार करेंगे। महिला वर्ग की आधार-

भूत शिक्षा और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका प्रभाव सारे समाज पर पड़ता है।

मैं गोष्ठी की सफलता की शुभकामनाएँ करता हूँ।

परिवहन तथा जहाजरानी मंत्री, डा. वी. के. आर. वी. राव

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ अक्टूबर 1968 के अन्तिम सप्ताह में 'महिला वर्ग के लिये प्रौढ़ शिक्षा' विषय पर एक राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन कर रहा है। आर्थिक प्रगति के लिये भिन्न-भिन्न कार्यक्रमों के विस्तार से सामाजिक परिस्थितियाँ बदल रही हैं, इसलिये यह ध्यान रखना जरूरी है कि समाज का कोई अंग भी प्रगति के क्षेत्र से बाहर न रह जाये। हमारे देश में महिलाओं की संख्या सारी जनसंख्या का लगभग 50% है। आर्थिक प्रगति में उनके योगदान के अतिरिक्त उन्हें गृहिणी के नाते भी पोषण तथा स्वच्छता आदि के आधुनिक सिद्धान्तों के प्रयोग में बड़ा महत्वपूर्णग योगदान देना है। माता होने के नाते बालकों के बौद्धिक विकास का दायित्व भी उन्हें पूरा करना है।

हमारे देश की ग्रामीण महिलाओं में से अधिकतर निरक्षर हैं। उनको ऐसी व्यावहारिक शिक्षा देना जरूरी है, जो उन्हें सामाजिक विकास में तथा परम्परागत मूल्यों को आधुनिक रूप देने में अधिक सक्रीय बना सके।

मुझे आशा है, गोष्ठी में इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये कोई व्यवहारोपयुक्त कार्यक्रम बनाया जा सकेगा।

मैं गोष्ठी की सफलता के लिये शुभकामना करता हूँ।

यूनेस्को

मुझे "बदलती हुई सामाजिक परिस्थितियों में महिला वर्ग की प्रौढ़ शिक्षा", विषय पर 27 से 30 अक्टूबर, 1968 तक होने वाली गोष्ठी के लिये सन्देश भेजने में बड़ी प्रसन्नता है।

आज के संसार में, जो प्रतिदिन बदल रहा है, शिक्षा केवल संस्कृति को बनाये रखने का साधन नही है, बल्कि इसके द्वारा एक ऐसे भविष्य का निर्माण भी होता है, जो सदैव प्रगतिशील हैं, और अनजाना भी। महिलाओं को भी समाज के पूर्ण सदस्य के नाते, इस भविष्य का सामना करने के लिये, पुरुषों की तरह ही तैयार किया जाना चाहिये।

इसके अतिरिक्त एक माता के नाते भी अब वह पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई परम्पराओं के अनुसार अपने बालकों का पालन-पोषण नहीं कर सकती।

यूनेस्को द्वारा निरक्षरता के आँकडें एकत्रित करने के लिये किये गये एक सर्वेक्षण द्वारा मालूम हुआ है कि 107 देशों में से 3 देशों में जनसंख्या का महिला वर्ग 100% निरक्षर है, 25 अफ्रीकी देशों में और सात एशियाई देशों में 90% से ऊपर, आठ देशों में 80 और 90% के बीच में, सात देशों में 70 और 80% के बीच में, आठ देशों में 50 और 70% के बीच, 21 देशों में 30 और 50% के बीच और केवल 29 देशों में महिला वर्ग की निरक्षरता 30% से कम है।

महिला वर्ग की निरक्षरता के कारण देशों की प्रगति रुकी पड़ी है। इसलिये हमें हायर सैकण्डरी और इस से अधिक शिक्षा प्राप्त महिलाओं का ध्यान अपनी निरक्षर बहनों के प्रति उनके उत्तरदायित्व की ओर दिलाना चाहिये।

यूनेस्को का ध्येय है कि महिला वर्ग में व्यापक निरक्षरता के कारण और परिवार की शिक्षा तथा समाजोत्थान में उनके महत्वपूर्ण योगदान की आवश्यकता के कारण महिला वर्ग में साक्षरता प्रसार पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। निरक्षरों के लिये पाठ्य पुस्तकें तथा नवशिक्षित महिलाओं के लिये सहायक पुस्तकें तथा अन्य पाठ्य सामग्री बनाते समय उनमें स्वच्छता, पोषण तथा शिशु पालन जैसे महिलाओं के लिये उपयोगी विषयों के ज्ञान का समावेश किया जाये। इस ज्ञान के आधार पर वे पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन में अधिक सक्रीय भाग लेनें में समर्थ होंगी।

मुझे पूरी आशा है कि इस गोष्ठी में किये गये विचार-विनिमय के आधार पर वर्तमान समाज में महिला वर्ग की शिक्षा की आवश्यकता को पूरा करने के लिये कोई व्यवहार युक्त कार्यक्रम अवश्य बनाया जायेगा।

उपाध्यक्ष, योजना आयोग, डॉ. डी. आर. गाडगील।

"बदलती हुई सामाजिक परिस्थितियों में महिला वर्ग की प्रौढ़ शिक्षा", विषय पर राष्ट्रीय गोष्ठीं की आपकी योजना की बात जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। यह विषय बहुत अधिक सामयिक तथा दीर्घ-कालीन महत्व का है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि डॉ० (श्रीमती) दुर्गाबाई

देशमुख के मार्ग-दर्शन में गोष्ठी में विषय के विभिन्न पक्षों पर उपयोगी विचार किया जायेगा और कुछ व्यवहार युक्त सुझाव दिये जायेंगे ।

मैं गोष्ठी की सफलता के लिये शुभ कामनाएं भेजता हूँ ।

राज्य मंत्री शिक्षा मंत्रालय भागवत झा आजाद :—

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ "बदलती हुई सामाजिक परिस्थतियों में महिला वर्ग की प्रौढ़ शिक्षा", विषय पर विचार करने के लिये एक गोष्ठी का आयोजन कर रहा है ।

हम सब जानते हैं कि जिस नई समाज का निर्माण हम अपने राष्ट्रीय विधान में दिये गये सिद्धान्तों के आधार पर करना चाहते हैं, उसमें महिलाओं का उत्तरदायित्व बड़ा महत्वपूर्ण है। जो राष्ट्र अपने ग्रामीय केद्रों की 90% और नगरीय क्षेत्रों की 65% महिलाओं को निरक्षर रखता है। वह प्रगति और समृद्धि का स्वप्न नहीं देख सकता ।

बालक के विकास में माता का योगदान प्राथमिक महत्व का है। इसलिये महिलाओं की शिक्षा केवल बालकों को शिक्षा ज्ञान का प्रकाश देने में सहायक बनने के लिये ही नहीं बल्कि आने वाली सभी पीढ़ियों को सुशिक्षित बनने की प्रेरणा देने के लिये भी जरूरी है ।

मुझे आशा है कि गोष्ठी के सुझाव देश भर में महिला वर्ग में साक्षरता प्रसार की महान आवश्यकता के प्रति जनमत जागृत करने में सहायक होंगे ।

मैं गोष्ठी की सफलता के लिये शुभ कामनाएँ भेजता हूँ ।

गोष्ठी में भाग लेने वाले प्रतिनिधि गण

विषय पर वर्गों में विचार